ISBN: 978-81-966699-2-8

स्व अध्ययन सामग्री
Self -Learning Material

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

अनिवार्य सैद्धान्तिक विषय (मुख्य)

मॉड्यूल – 2

समाज कार्य एवं अन्य अवधारणाएं

(Social Work and Other Concepts)

दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय
चित्रकूट सतना (म.प्र.) 485334

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद्
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र.शासन)
35, राजीव गांधी भवन, द्वितीय खण्ड, श्यामला हिल्स, भोपाल 462002

ISBN: 978-81-966699-2-8

मॉड्यूल – 2 समाज कार्य एवं अन्य अवधारणाएं

संस्करण 2022

अवधारणा :

श्री बी.आर. नायडू, महानिदेषक

मध्यप्रदेष जन अभियान परिषद्, भोपाल

मार्गदर्शन :

डॉ. जितेन्द्र जामदार, उपाध्यक्ष

मध्यप्रदेष जन अभियान परिषद्, भोपाल

श्री विभाष उपाध्याय, उपाध्यक्ष

मध्यप्रदेष जन अभियान परिषद्, भोपाल

डॉ. भरत मिश्रा, कुलपति

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

डॉ, धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, कार्यपालक निदेषक

मध्यप्रदेष जन अभियान परिषद्, भोपाल

लेखक मण्डल :

डॉ. अजय आर. चौरे, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

डॉ. विनोद शंकर सिंह, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

सम्पादक मण्डल :

डॉ. कुसुम सिंह, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

डॉ. ललित कुमार सिंह, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

डॉ. राममूर्ति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

मुद्रक एवं प्रकाशक :

कुलसचिव,महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट

सम्पर्क : हेल्पडेस्क चित्रकूट – 07670–265627, हेल्पडेस्क भोपाल – 0755–2660203

वेबसाईट : www.cmcldp.org, **ई–मेल** :cmcldpcourse@gmail.com

लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल :http://web700.128.202.new.ocpwebserver.com/

लर्निंग एप्प :

कॉपीराइट : महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विष्वविद्यालय, चित्रकूट, मध्यप्रदेश

आभार : इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों तथा वेबसाईट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। सभी के प्रति कृतज्ञता और आभार।

ISBN: 978-81-966699-2-8

माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है की मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (CMCLDP) के अंतर्गत महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय एवं मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के साझा प्रयासों से अकादमिक सत्र 2022–23 से नई शिक्षा नीति–2020 के प्रावधानों के अनुसार समाज कार्य स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम (BSW/MSW) पुनः प्रारंभ किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम, मध्यप्रदेश शासन के द्वारा 2015 से प्रारंभ किया गया एक अभिनव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से अब तक एक लाख पच्चीस हजार से ज्यादा युवा प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर ऐसा प्रशिक्षित युवा नेतृत्व तैयार करना है, जो सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ जन–जन तक पहुंचाकर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने हेतु जन भागीदारी सुनिश्चित कर सके।

पाठ्यक्रम तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का समावेश पाठ्य सामग्री के साथ जोड़ा जाये। जिससे विद्यार्थी कार्य करके सीखने की पद्धति से प्रशिक्षित हों। प्रायोगिक कार्य के लिये गांव को व्यावहारिक कार्य प्रशिक्षण की प्रयोगशाला मानकर विद्यार्थियों को निर्देशित किया जायेगा कि वे उस गाँव में संचालित शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें। उसमें जन भागीदारी से कैसे और अधिक बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इस हेतु कार्य करें। सतत विकास लक्ष्यों को चिन्हित कर निर्धारित सूचकांक में जन समुदाय में आवश्यक व्यवहार परिवर्तन लाकर वृद्धि करना पाठ्यक्रम के क्रियाकलापों का प्रमुख उद्देश्य होगा। इससे मध्यप्रदेश में विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने और इस प्रक्रिया से सतत विकास की व्यवहारिक जानकारी विद्यार्थियों को देने में आसानी होगी।

प्रायोगिक कार्य मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद से संबंधित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं तथा मध्यप्रदेश शासन के विभागों के स्थानीय कार्यालय में इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों के द्वारा करने की व्यवस्था इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत की गई है। दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अंतर्गत चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को वह सभी सुविधाएं मुहैया कराने की प्रयास किया गया है कि जो नियमित छात्रो के लिए उपलब्ध हो सकती हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि **विकास को एक जन आंदोलन बनाएं**। मेरी आशा है कि इस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित युवाओं के द्वारा यह नारा एक वास्तविकता में बदले और वे **आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश** बनाने के संकल्प में अपनी आहुति दें।

(शिवराज सिंह चौहान)
मुख्यमंत्री

ISBN: 978-81-966699-2-8

कुलपति महोदय का संदेश

सुप्रसिद्ध समाज सेवी भारतरत्न राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख के दूरदर्शी प्रयासों और पहल के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश शासन द्वारा चित्रकूट में पुण्य सलिला माँ मंदाकिनी के सुरम्य तट पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना 12 फरवरी 1991 को एक पृथक अधिनियम 9, 1991 के द्वारा देश के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में हुई। विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है–**'विश्वं ग्रामे प्रतिष्ठितम्'** अर्थात ग्राम विश्व का लघु रूप है। सर्वांगीण ग्राम्य विकास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विगत तीन दशकों से विश्वविद्यालय अपनी सम्पूर्ण रचनात्मक ऊर्जा का विनियोग कर रहा है। निर्धन के मित्र, विकास के चिंतक और शासन के सहयोगी के रूप में विश्वविद्यालय ने अपनी उल्लेखनीय सेवायें प्रदेश और राष्ट्र को समर्पित की हैं।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (सी.एम.सी.एल.डी.पी.) मध्यप्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी और अभिनव पहल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद् के सहयोग से प्रदेश के समस्त 313 विकासखण्डों में विकास की आवश्यकताओं हेतु वांछित मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से समाज कार्य के स्नातक और परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों का संचालन करने जा रहा है। विश्वविद्यालय ने इस कार्य का शुभारम्भ शैक्षणिक सत्र 2015–16 से किया था। स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में अब तक एक लाख पच्चीस हजार से अधिक छात्र पंजीकृत होकर पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं। पाठ्यक्रम की उपलब्धियाँ सहज ही गौरव की अनुभूति कराने वाली हैं।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020' के युगान्तरकारी प्रावधानों ने भारतीय शिक्षा की दशा और दिशा में आमूलचूल परिवर्तन करने का शंखनाद कर दिया है। हमारा प्रदेश इसमें नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है। हमारा विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए उपयोगी प्रावधानों को इस पाठ्यक्रम से अर्थपूर्ण रूप में जोड़कर इन्हें सत्र 2022–23 से पुनः संशोधित–परिवर्धित रूप में प्रारम्भ करने जा रहा है। पाठ्यक्रम यद्यपि दूरवर्ती पद्धति से संचालित है, किन्तु नियमित संपर्क कक्षाओं के आयोजन, उच्च गुणवत्ता की स्व–अध्ययन सामग्री एवं नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षार्थी को 'लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टेम (एल.एम.एस.)' और 'स्मार्ट फोन' पर एक्सेस करने वाले एप्प के माध्यम से बेहतरीन शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। ऐसा करने वाला यह प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। पाठ्यक्रम का लक्ष्य गांव–गांव में विकास की क्षमता और समझ रखने वाले परिवर्तन दूतों को तैयार करना है। यह विश्वविद्यालय के लक्ष्यों के केन्द्र में भी है और *'संगच्छत्वम् संवदत्वम्'* की अवधारणा वाले मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् के क्रिया–कलापों के केन्द्र में भी है। समान अवधारणा और कार्यक्रमों से ग्राम्य जीवन को पुष्पित–पल्लवित करने वाले इन संस्थानों का मणि–कांचन संयोग प्रदेश के विकास परिदृश्य के लिए अनुकूल और अनुकरणीय होगा। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

पाठ्यक्रम से जुड़े शिक्षार्थियों, अभिभावकों, प्रशासकों, समन्वयकों और अन्य सभी को मेरी मंगलकामनाएँ!

प्रो. भरत मिश्रा
कुलपति

ISBN: 978-81-966699-2-8

प्रस्तावना

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास) मध्यप्रदेश शासन की महत्वकांक्षी पहल है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक एवं युवतियों को तैयार करना है, जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो और जो क्षेत्र की समस्याओं की पहचान भी कर सकें। समस्याओं के निदान के लिए निर्णायक पहल कर सकें। आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओतप्रोत नौजवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न हो, बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम की या अपने आस–पास की परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक पहल कर सकें। यह कार्य चुनौती भरा है, किन्तु असम्भव नहीं है। यथार्थ में अपने क्षेत्र के विकास में आपके योगदान से ही स्वर्णिम मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार हो सकेगा। इसी की पहली कड़ी के रूप में यह पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें परिवर्तन और विकास के दूत बनाने के लिए आपको सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया है कि आप ग्राम के विकास के प्रयासों को वैज्ञानिक स्वरूप दे सकें। आप जो भी सामुदायिक कार्य करें वह स्थायी हो, सबके सहयोग से हों और सबके विकास में सहयोगी हो। इस दृष्टि से समुदाय विकास के कुछ महत्वपूर्ण आयामों को इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आपके ज्ञानवर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु समायोजित किया गया है।

बी.एस.डब्ल्यू. प्रथमवर्ष के अनिवार्य सैद्धांतिक विषयों (मुख्य) की कड़ी में यह द्वितीय प्रश्नपत्र है। इस अध्ययन सामग्री को पढ़ कर आप समझ पायेंकि कि समाजकार्य का विकास भारत से लेकर पश्चिमी देशों तक किस प्रकार से हुआ। इससे आपकी बहुत सी जिज्ञासाएँ परिपूर्ण होंगी एवं समाजकार्य के प्रति नवीन जानकारियों में वृद्धि होगी।

इस मॉड्यूल में समाजकार्य का अन्य सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्धों को स्पष्ट किया गया है। साथ ही समाजकार्य का दर्शन, आचार संहिता, मूल्य एवं नैतिक दायित्वों को भी स्पष्ट किया गया है। इस पाठ्यक्रम में समाजकार्य में अध्ययन योग्य एवं व्यावहारिक उपयोग हेतु गाँधीवादी विचारधारा एवं दृष्टिकोण का समन्वय किया गया है। इसके अध्ययन के पश्चात् जब आपमें समझ विकसित होगी तो आप स्वयं समुदाय को विकास की मुख्य धारा में ले जाने हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। सामुदायिक मनोवृत्तियों के निर्माण में समाजकार्य की भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे। अतः इस मॉड्यूल का अध्ययन ध्यान से करें।

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस मॉड्यूल की जानकारी एवं प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान आपके लिए उपयोगी एवं प्रभावशाली सिद्ध होगा। अतः शुभकामनाओं के साथ पठन–पाठन की इस सतत प्रक्रिया के साझीदार बनते हैं।

ISBN: 978-81-966699-2-8

मॉड्यूल–2 समाज कार्य एवं अन्य अवधारणाएं (Social Work and Other Concepts)

इकाई–1 : समाज कार्य अवधारणा

1.1 भारत में समाज कार्य का इतिहास

1.2 इग्लैण्ड में समाज कार्य का इतिहास

1.3 अमेरिका में समाज कार्य का इतिहास

1.4 भारत में व्यवसायिक समाज कार्य का शैक्षणिक विकास

इकाई–2 : समाज कार्य एवं अन्य अवधारणायें

2.1 समाज कार्य का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ सम्बन्ध

2.2 समाज कार्य एवं समाजशास्त्र

2.3 समाज कार्य एवं राजनीति विज्ञान

2.4 समाज कार्य एवं ग्रामीण विकास

2.5 समाज कार्य एवं अपराधशास्त्र

2.6 समाज कार्य एवं विधिशास्त्र

2.7 समाज कार्य एवं मनोविज्ञान

2.8 समाज कार्य एवं मानवशास्त्र

2.9 समाज कार्य एवं सांख्यिकी

इकाई–3 : भारत में समाज कार्य का इतिहास

3.1 समाज कार्य– अवधारणा एवं दर्शन

3.2 आचार संहिता

3.3 समाज कार्य में मूल्य एवं नैतिक दायित्व

3.4 सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार उन्मुखीकरण

इकाई–4 : समाज कार्य का दर्शन एवं मौलिक मूल्य

4.1 समाज कार्य के लक्ष्य – सुधारात्मक, उपचारात्मक

4.2 समाज कार्य के लक्ष्य – पुनर्वासन, संवर्धनकारी

4.3 समाज कार्य के लक्ष्य – विकासात्मक, रूपांतरकारी

4.4 समाज कार्य के लक्ष्य – निरोधक

इकाई–5 : समाज कार्य के सिद्धान्त एवं तकनीकियाँ

5.1 समाज कार्य की भूमिका

5.2 समाज कार्य प्रक्रिया

ISBN: 978-81-966699-2-8

5.3 समाज कार्य में गांधीवादी दृष्टिकोण

ISBN: 978-81-966699-2-8

इस मॉड्यूल के अध्ययन से निम्नवत क्षमतायें/कौशल विकसित होंगे –

- इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी में भारत, इग्लैंड एवं अमेरिका में व्यावसायिक समाजकार्य के शैक्षणिक विकास की समझ विकसित होगी।
- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से विद्यार्थियों में समाजकार्य का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या सम्बन्ध है ? इसकी समझ विकसित होगी।
- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से विद्यार्थियों में समाजकार्य के लक्ष्यों एवं कार्यों को समझने में सहायता होगी।
- इस पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों में सर्वोदय एवं गाँधीवादी विचारधारा की समझ विकसित होगी जिसका उपयोग वे अपने व्यावहारिक जीवन में कर सकेंगे।
- सामाजिक विकास की प्रक्रिया में समुदाय के सभी सदस्यों को सहभागिता आवश्यक है। विशेष रूप से स्थानीय समुदाय को विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनाना आवश्यक है।
- इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से विद्यार्थियों में समाजकार्य एवं उससे सम्बन्धित अन्य अवधारणाओं की सीख एवं समझ को समाज में व्याप्त मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायता होगी।

मॉड्यूल की सतत विकास लक्ष्यों से संबद्धता

- समाजकार्य का यह स्नातक पाठ्यक्रम सामुदायिक विकास, सामुदायिक नेतृत्व के साथ–साथ मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सतत् विकास लक्ष्यों में भी स्वस्थ मानव निर्माण की बात कहीं गई है जो इस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होकर 21वीं सदी की चाहे वो बालकों की समस्या हो, घरेलू हिंसा की समस्या हो साथ ही मनुष्य की हिंसात्मक प्रवृत्तियों का निदान कर अहिंसा के मार्ग पर चढ़ने हेतु प्रेरित करेगा एवं संवैधानिक मूल्यों के पालन हेतु प्रेरित करेगा।

शासकीय विभागों एवं योजनाओं से संबद्धता

- पंचायत विभाग, महानिषेध विभाग
- समाज कल्याण विभाग
- मानवाधिकार एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग
- शैक्षणिक संस्थाएं
- जन अभियान परिषद/आजीविका मिशन/स्वास्थ्य मिशन
- महिला एवं बाल विकास विभाग
- स्वैच्छिक संगठन एवं औद्योगिक संगठन
- बालनिर्देशन एवं परिवार परामर्श केन्द्र
- अपराधी सुधार केन्द्र (जिला कारागार द्वारा एवं मण्डल कारागार)
- राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित समस्त हितग्राही मूल योजनाएं
- शासकीय विभागों की गतिविधियाँ एवं योजनाओं को समुदाय स्तर पर सामूहिक सहभागी के माध्यम से क्रियान्वित कराने में सहयोग।

इंटर्नशिप/व्यावहारिक कार्य अभ्यास

- समाज कार्य में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए आपको स्थानीय स्तर/ सम्बन्धित जिले के शासकीय विभाग या उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने कार्यक्षेत्र में आप इसका व्यावहारिक उपयोग कर सकेंगे।

ISBN: 978-81-966699-2-8

विषय प्रवेश

समाज कार्य शिक्षा का उद्धेश्य समाज में सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, भाईचारा, अहिंसा तथा शोषण रहित समाज की स्थापना है। साथ ही सुविधा वंचित समाज का उत्थान एवं समाज की सामाजिक पुनर्रचना करना है। प्रमुख सामाजिक, आर्थिक, मनोसामाजिक समस्याओं के निदान हेतु समाज कार्य शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के निर्माण का कार्य इस पाठ्यक्रम द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मॉड्यूल में समाज कार्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाया गया है जो भारत, इग्लैंण्ड एवं अमेरिका जैसे देशों से सम्बन्धित है। साथ ही समाज कार्य का अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं ग्रामीण विकास से क्या सम्बन्ध है। सामाजिक कार्यकर्ता की क्या भूमिका है। स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मॉड्यूल में समाज कार्य की अवधारणा का वर्णन, आचार संहिता, मूल्य एवं नैतिक दायित्वों को स्पष्ट किया गया है। समाजकार्य के दर्शन से यह तात्पर्य है कि इसके अर्थ और ज्ञान को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करते हुए इसके आदर्शों एवं मूल्यों का सही ढंग से अनुपालन किया जाए। सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य अनुभव के आधार पर कुछ नये आदर्श एवं मूल्यों को विकसित भी करता है।

समाज कार्य के अर्थों में जब इन्हीं आदर्शों व मूल्यों को एक तर्कसंगत प्रणाली के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है तो वह समाज कार्य का दर्शन बन जाता है। प्रत्येक व्यवसाय का कोई न कोई मूल्य निर्धारित होता है। समाजकार्य के अन्तर्गत भी हमारा उददेश्य सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिवर्तन लाना है। इसलिए समाजकार्य में कुछ मूल्यों का होना नितान्त आवश्यक है। ये मूल्य सामाजिक कार्यकर्ता को एक अनोखा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। यह विशिष्ट व्यक्तित्व उसी समय विकसित हो सकता है, जब समाज कार्य की मनोवृत्तियों व मूल्यों का विकास हो जाये। इसके साथ ही इस मॉड्यूल में गाँधीवादी विचार धारा को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जिससे भारतीय परिवेश एवं सामुदायिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं ग्रामीण पुनर्रचना के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक पूर्ण विकसित सामाजिक कार्यकर्ता का निर्माण किया जा सके।

ISBN: 978-81-966699-2-8

इकाई–1 : भारत में समाज कार्य का इतिहास

उद्देश्य :–

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि–

- भारत में व्यावसायिक समाज कार्य आने के पूर्व समाज सेवा के प्रमुख कारण एवं आधार क्या थे।
- इंग्लैंड में व्यावसायिक समाज कार्य के पूर्व क्या स्थितियां थी।
- अमेरिका में व्यावसायिक समाज कार्य को स्थापित करने में कौन–कौन सी परिस्थितियां विद्यमान थीं।
- भारत में व्यावसायिक समाज कार्य संबंधित शैक्षणिक आधार, आवष्यकताएं एवं संस्थाएं कैसे विकसित हुईं।

भारत में समाज कार्य का इतिहास

भारतीय समाज एक परम्परागत समाज रहा है। भारतीय समाज अति प्राचीनकाल में एक प्रकार का साम्यवादी समाज था जिसमें निजी सम्पत्ति का जन्म नहीं हुआ था । निजी सम्पत्ति के जन्म के साथ 'राजा' का भी जन्म हुआ एवं युद्ध से जीती गई सम्पत्ति विजेता की हो गई। जिसे वितरित करना उसकी अपनी इच्छा पर था। पीड़ितों की सहायता करना प्राचीनकाल से भारत की परम्परा रही है । मजूमदार के अनुसार राजा, व्यापारी, जमींदार तथा अन्य सहायता संगठन धर्म के पवित्र कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक–दूसरे की सहायता करने में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते थे ।

हडप्पा संस्कृति से लेकर बौद्ध काल तक जनता की भलाई के लिए उपदेश दिए जाते थे । बुद्ध अपने जीवन काल में काफी लोगों को उपदेश दिया करते थे । मौर्यकाल में भी जनता की भलाई के लिए उपदेश दिए गए । अशोक ने भी कहा कि सहायता के लिए मेरी प्रजा किसी भी समय मुझसे मिल सकती है। चाहे मैं अन्तःपुर में ही क्यों न रहूँ । गुप्तकाल एवं हर्ष के काल में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ देखने को मिलती हैं ।

ISBN: 978-81-966699-2-8

भारत में जब मुसलमान आये तो उन्होंने भी अपने धर्म के आदेशानुसार दान–पुण्य् पर अधिक धन व्यय किया । इस्लाम में जकात एक महत्वपूर्ण तत्त्व है। जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष अपनी सम्पत्ति, विशेष प्रकार से धन या स्वर्ण का ढाई प्रतिशत भाग जकात के रूप में व्यय करना आवश्यक है। जकात की रकम निर्धन एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों पर व्यय की जाती है। इसके अतिरिक्त इस्लाम में एक संस्था खैरात की भी है। जिसके अनुसार अभावग्रस्त व्यक्तियों की आर्थिक सहायता व्यक्तिगत रूप से की जाती है। इसके लिये कोई दर निश्चित नहीं है और यह इच्छानुसार दी जाती है । इस्लाम में धन के प्रति घृणा का प्रचार किया गया है और अधिक से अधिक धन को अभावग्रस्त व्यक्तियों में वितरित करने पर बल दिया गया है।

दिल्ली के सुल्तानों ने अपने धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार, जो दान पर अधिक बल देता है, निर्धनों एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों पर अधिक धन व्यय किया। जकात द्वारा प्राप्त धन के अतिरिक्त, जो वैधानिक रूप से दान–सम्बन्धी कार्यों के लिए निर्दिष्ट होता था, अन्य साधनों से प्राप्त बड़ी–बड़ी धन राशियाँ निर्धनों पर व्यय की जाती थी।

इस सम्बन्ध में शेरशाह का एक विश्वसनीय शिष्ट मनुष्य खवास खां बहुत प्रसिद्ध है । हजारों नर नारी उसके बनवाए घरों और खेमों में रहते थे और वह स्वयं उनके लिए भोजन परोसता था । हिन्दुओं को कच्चा भोजन मिलता था। महमूद गवान जो एक राज्य का मालिक था अपना सारा धन निर्धनों पर व्यय कर देता था और स्वयं कृषकों वाला साधारण भोजन लेता था और चटाई बिछाकर जमीन पर सोता था। राज्य की ओर से या निजी व्यक्तियों की ओर से जो धन उन्हें मिलता था उसका एक बड़ा भाग शिक्षा, समाज सेवा, एवं निर्धन सहायता पर व्यय होता था। यह दान पुण्य इतना विस्तृत था कि इसके कारण व्यावसायिक भिक्षुकों का एक वर्ग उत्पन्न हो गया – इब्ने बूता ने एक विभाग के विषय में लिखा है जिसमें अभावग्रस्त पुरूषों एवं स्त्रियों की सूची रखी जाती थी। उन्हें अनाज दिया जाता था। विद्वानों को निरीक्षक नियुक्त किया जाता था ताकि तटस्थ रूप से कार्य हो सके ।

फिरोजशाह ने अपने कोतवाल को आदेश दे रखा था कि वह वृत्तिहीनों को उसके सामने प्रस्तुत करे। वे उसके सामने प्रस्तुत किये जाते थे और उनके लिए रोजगार उपलब्ध करता

ISBN: 978-81-966699-2-8

था। इस बात में वह सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का अनुसरण करता था जिसके अनुसार अपराध अभाव का परिणाम था । अतः वह निर्धनों के लिए कोई कार्य या व्यवसाय उपलब्ध करता था । वह उन्हें धन या भूमि अनुदान के रूप में देता था जिससे वह कृषि कर सकें । उसने इस बात का प्रयास किया कि भिक्षावृत्ति उसके राज्य से समाप्त हो जाये और इसके लिये वह भिक्षुओं को किसी लाभदायक व्यवसाय ग्रहण करने के लिये तैयार करता था ।

मुस्लिमकाल में भी शासकों ने इस्ला्म के सिद्धान्तों के अनुसार ही समाज की शासन व्यवस्था को संगठित किया । जकात एवं खैरात जैसी इस्लामी अवधारणाओं को सामाजिक मान्यता प्राप्त हुई । असहाय तथा निर्धन व्यक्तियों की सहायता करना इस्लाम धर्म का एक आधारभूत अंग था । (फिरोज तुगलक) के समय अनेक औषधालयों का निर्माण किया था। जहाँ गरीब व्यक्तियों का निःशुल्क उपचार किया जाता था । अकबर के काल में अनेक समाज सुधार किए गए । अकबर ने दीन इलाहीं चलाया । दास प्रथा को समाप्त किया एवं यात्री कर तथा जजिया कर लगाया ताकि कल्याण कार्य किया जा सके । अकबर ने एक आदेश दिया कि यदि कोई विधवा सती न होना चाहे तो उसे बाध्य नहीं किया जाए ।

भारत में काफी अधिक समय से पारसी लोग भी रहते हैं । पारसियों के धर्म में भी दान को बड़ा महत्त्व दिया गया है। पारसियों ने यहाँ धर्मशालाएँ, तालाब, कुएँ, विद्यालय आदि बनवाए। उन्होंने बहुत से न्यास स्थापित किये। जिनमें से एक प्रसिद्ध न्यास बाम्बे पारसी पंचायत ट्रस्ट फन्ड्स है । इन न्यास के उद्देश्यों में पारसी विधवाओं की सहायता, पारसी बालिकाओं की विवाह सम्बन्धी सहायता, नेत्रहीन पारसियों की सहायता, निर्धन पारसियों की सहायता और धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी सहायता सम्मिलित है ।

इंग्लैंड़ में समाज कार्य का इतिहास

प्रत्येक समाज एवं प्रत्येक युग में दुर्बल, निर्धन, निराश्रयी व्यक्ति रहे है। प्रत्येक समाज अपने कमजोर सदस्यों की किसी न किसी रूप में सहायता में सहायता करता आया है।

मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही मनुष्य ने पारस्परिक रक्षा एवं सहयोग की आवश्यकता का अनुभव किया है। संसार के सभी धर्मों ने निर्धनों, निराश्रितों, असमर्थों एवं विकलांगों की

ISBN: 978-81-966699-2-8

सहायता का उपदेश दिया है। प्रत्येक एवं विकलांगों की सहायता का उपदेश दिया है। प्रत्येक संस्कृति में अभावग्रस्त दरिद्र एवं निराश्रित व्यक्तियों की सहायता का प्रबन्ध रहा है।

यदि हम समाज कार्य के इतिहास को देखें तो ज्ञात होगा कि समाज कार्य मानवता का यह रूप है। जो निरन्तर एक वैज्ञानिक प्रणाली की खोज में रहा है। जिसके द्वारा सहायता के कार्य को अधिक से अधिक नियमित और वैज्ञानिक रूप दिया जा सके। अन्य स्थानों के समान यूरोप में भी समाज कार्य को धार्मिक भावनाओं से ही प्रेरणा मिली और धार्मिक संस्था ने प्राचीन समय के धार्मिक नेताओं ने दान वितरण के कार्य को अत्यधिक महत्त्व दिया। ऐसी परिस्थिति में धार्मिक भिक्षावृत्ति का अधिक प्रचलन हो जाना स्वाभाविक था क्योंकि भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करना सरल था और धार्मिक भिक्षावृत्ति आदर की दृष्टि से देखी जाती थी।

आदिकाल से ही धर्म गुरूओं, प्रचारकों तथा अनुयायियों ने दीन–दुखियों की सहायता करने का उत्तरदायित्व प्रदान किया। इन लोगों ने धार्मिक भावनाओं ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की इच्छा ने सहायता एवं दान को प्रोत्साहन दिया। परस्पर सहायता प्रदान करने की भावना का होना ईसाई धर्म में आज्ञा के रूप में माना जाता था। 1520 में जर्मनी में मार्टिन लूथर ने भिक्षावृत्ति को रोकने तथा दिन दुखियों की सहायता हेतु भोजन, वस्त्र इत्यादि प्रदान करने के लिए दान पेटी स्थापना किए जाने की अपील की ।

किन्तु वैज्ञानिक क्रान्ति के प्रभाव स्वरूप मनुष्य के मानसिक तथा भौतिक जगत का विस्तार हुआ एवं निर्धन सहायता तथा भौतिक जगत का विस्तार हुआ एवं निर्धन सहायता की यह प्रणाली अधिक काल तक न चल सकी। उत्पादन के वैज्ञानिकरण तथा महत्वकालीन सामन्तवाद के विघटन से हजारों व्यक्त रोजगार की तलाश में घूमने लगे। इस स्थिति का समान करने के लिए इंग्लैण्ड में कानून का सहारा लिया गया। 1556 में संसद द्वारा एक अधिनियम पारित हुआ। जिसके अनुसार प्रत्येक रविवार को गिरजाघरों द्वारा बीमार गरीबों की सहायता के लिए धन का संग्रह किया जाने लगा। इसके साथ–साथ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भीख माँगना वर्जित कर दिया गया। 1547 में पारित एक अधिनियम के अनुसार स्वस्थ भिखमंगों के शरीर में ही चिन्ह गुदवाने की व्यवस्था कर दी गई। परंतु इस प्रकार के अधिनियम समस्या को हल करने के बजाय समस्या को दबाने के दृष्टि से पारित हुए थे।

ISBN: 978-81-966699-2-8

1576 में सुधारगृह स्थापित किए गए जिनमें पटसन, पटुआ लोहा एकत्रित किया जाता था। स्वस्थ शरीर वाले निर्धनों, विशेष रूप से युवकों को कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता था। निर्धनों के लिए 1601 में एलिजाबेथ का निर्धन कानून बनाया गया जिसे "43–अ एलिजाबेथ" के नाम से जाना जाता है।

इस कानून के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं–

1. किसी भी ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण न किया जाए जिसके सम्बंधी, पति अथवा पत्नी, पिता अथवा पुत्र सहायता कर सकने की स्थिति में हों।
2. निर्धन कानून के अन्तर्गत 3 प्रकार के निर्धनों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गयी :
   - स्वस्थ शरीर वाले निर्धन।
   - शक्तिहीन निर्धन।
   - आश्रित बच्चे।
3. यदि बच्चे अपने निर्धन माता–पिता या सम्बंधियों के साथ रह सकें तो उन्हें उत्पादन के लिए आवश्यक ऐसी वस्तुएँ प्रदान की जाएँ जिनसे वे घरेलू उद्योग गृहों में रखा जाए।
4. निर्धन सहायता हेतु वित्तीय व्यवस्था करने के लिए निर्धन कर लगाकर एक कोष स्थापित किया गया था जिसमें निजी दान, कानून का उल्लंघन करने पर किए गए जुर्माने इत्यादि से प्राप्त धनराशि जमा की जाती थी।
5. निर्धनों के ओवरसियर इस निर्धन कानून को लागू करने एवं उसका प्रशासन सम्बंधी कार्य करते थे। इनकी नियुक्ति शान्ति के न्यायाधीश या मैजिस्ट्रेट द्वारा की जाती थी। इन अधिकारियों का कार्य निर्धनों से सहायता के लिए प्रार्थना पत्र लेना उनकी सामाजिक दशाओं का पता लगाना एवं किस प्रकार की सहायता दी जाए इससे सम्बंधित सभी निर्णय लेना था।

इस प्रकार 1601 का यह निर्धन कानून इंग्लैड़ में 300 वर्षों तक सहायता के क्षेत्र में अपेक्षित मानदण्ड निर्धारित करते हुए निर्धनों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता

ISBN: 978-81-966699-2-8

रहा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया कि अपने क्षेत्र के निर्धनों की सहायता का उत्तरदायित्व स्थानीय समुदाय पर होना चाहिए ।

किसी भी एक स्थान पर अन्य् स्थानों से आकर निर्धन जमा न हों इसके लिए 1662 में पारित किया गया। 1982 में बन जाने के बाद ब्रिस्ट्रल तथा अन्य शहरों में कार्य गृहों की स्थापना की गयी। जिनमें वहाँ निर्धन प्रौढ़ों एवं बच्चे को कताई–बुनाई इत्यादि के प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए गए।

इन संस्तुतियों के आधार पर 1834 में नया निर्धन कानून बनाया गया। इससे पहले सहायता की कंगाली में वृद्धि एवं निर्धन कर के बोझ के कारण 1832 में एक आयोग गठित किया गया। जिसने दो वर्षों तक निर्धन कानून के प्रशासन का एक विस्तृत सर्वेक्षण करके 6 मुख्य सिफारिशें की –

1. आंशिक दान की समाप्ति।
2. सभी स्वस्थ शरीर सहायता प्रार्थियों को कार्य गृहों में रखा जाना।
3. बीमार, अपंग एवं छोटे बच्चों वाली विधवाओं के लिए सहायता प्रदान करना।
4. गाँवों के सहायता कार्यों को मिलाकर पुनः संगठित करना।
5. निर्धन सहायता पाने वालों की दशाओं को समुदाय में कार्य करने वाले व्यक्तियों की दशाओं से कम आकर्षित बनाना।
6. नियंत्रण के लिए एक केन्द्रीय मण्डल की स्थापना।

अन्ततः इन सिफारिशों के आधार पर एक नया कानून बनाया गया जो एक सौ साल तक चलता रहा। इस कानून के आधार पर निर्धन सहायता व्यय को कम कर दिया। 200 कार्य गृह स्थापित किए गए एवं पुराने गृहों में सुधार किया गया। निर्धनों के पूरे परिवारों को इन कार्य गृहों में रखा गया। सभी प्रकार के व्यक्तियों को एक ही संस्था में रखा जाने लगा। अनुशासन का कठोरता से पालन होने लगा। जिससे इन गृहों की लोकप्रियता समाप्त हो गई।

1905 बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में इंग्लैड़ में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। मुख्य रूप से कोयला खानों के श्रमिकों एवं उनके परिवारों ने निर्धन सहायता माँगना आरम्भ कर दिया। अतः 1905

ISBN: 978-81-966699-2-8

में लार्ड जार्ज हेमिल्टन की अध्यक्षता में निर्धन कानून एवं दुःख निवारण शाही आयोग (Royal Commission on Poor Law and Relief of Distress) का गठन किया गया। इस आयोग ने 4 सिफारिशें की –

1. The Poor Law एवं संरक्षकों के मण्डल के स्थान पर काउण्टी कॉन्सिल स्थापित की जाए। जिससे स्थानीय प्रशासन को कम किया जा सके।
2. निर्धन सहायता के दण्डात्मक पक्ष को समाप्त करके उसके स्थान पर मानवीय जन सहायक कार्यक्रम रखा जाए ।
3. मिश्रित भिक्षा गृह समाप्त कर दिया जाए। मानसिक रोगियों का चिकित्सालयों में उपचार किया जाए एवं बच्चों को पालन–गृहों या आवासीय विद्यालयों में रखा जाए।
4. वृद्धों के लिए राष्ट्रीय पेंशन, निर्धनों के लिए चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार सार्वजनिक रोजगार की सेवाएँ एवं बेरोजगारी एवं अशक्तता की सुविधाओं के साथ सामाजिक बीमा का एक कार्यक्रम आरम्भ किया जाए।

अमेरिका में समाज कार्य का इतिहास

अमेरिका में समाज कार्य के विकास का इतिहास इंग्लैड जैसा ही था। 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक समाज कार्य का विकास वैसा ही रहा। परन्तु इसके बाद 1935 तक समाज कार्य के क्रियाकलापों मे थोड़े बहुत परिवर्तन देखने में आते हैं। अमेरिका के निवासी मुक्त उद्यम पद्धति में विश्वास रखते थे। इसलिए किसी भी प्रयास को जो इस सिद्धान्त से मेल नहीं खाता, नहीं मानते थे।

सत्रहवीं शताब्दी को आरम्भ से यूरोप में व्यक्तियों की एक बड़ी संस्था ने अमेरिका में प्रवेश किया और वहाँ एक नवीन संस्था की स्थापना की। अमेरिका की प्राचीन बस्तियों की संस्कृति यूरोप की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर आधारित थी। यहाँ के राजनैतिक स्वरूपों आर्थिक, क्रियाओं, सामाजिक प्रथाओं, रूढियों और धार्मिक दष्टिकोण के निर्माण में यूरोप की परिस्थिति का महत्वपूर्ण स्थान हैं।

ISBN: 978-81-966699-2-8

समाज कार्य के क्षेत्र में भी उपयोग की बस्तियों ने यूरोप और विशेषकर इंग्लैड का अनुसरण किया। अमेरिका के ऐच्छिक एवं राजकीय समाजकार्य का आधार बहुत कुछ उन विचारों एवं व्यवहारों पर है। जिनका जन्म और विकास इंग्लैड में हुआ।

समाज कल्याााण पर इग्लैड का प्रमुख प्रभाव यह पड़ा कि इंग्लैण्ड के समान अमेरिका में भी ऐच्छिक दान (प्राइवेट चैरिटी) पर बल दिया जाने लगा। आरम्भ में अमेरिका में भी राज्य का कार्य केवल संरक्षण करना ही समझा जाता था।

भारत में व्यावसायिक समाज कार्य का शैक्षणिक विकास

समाज कार्य एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक विधा है जो समाज कार्य की अपनी छः प्रणालियों के आधार पर सेवा प्रदान करता हैं। इन विधियों के द्वारा लोगों एवं समूहों के जीवन–स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। सामाजिक कार्य का अर्थ है सेवार्थी की अनुमति के आधार पर आवश्यक हस्तक्षेप के माध्यम से व्यक्ति, समूह, समुदाय और उनके सामाजिक माहौल के बीच अन्तःक्रिया प्रोत्साहित करके सेवार्थी की क्षमताओं को बेहतर करना। ताकि वे अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। इस प्रक्रिया में समाज कार्य सेवार्थी की आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उन्हें अपने ही मूल्यों की कसौटी पर खरे उतरने में सहायक होता है। समाज कार्य में जिन्हें सेवा प्रदान किया जाता हैं, उन्हें सेवार्थी कहते हैं। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सक जिसे सेवा देता है। वो उनके लिए मरीज होता है। ठीक उसी प्रकार समाज कार्य में सेवा लेने वाले को सेवार्थी कहा जाता हैं।

समाज कार्य वैयक्तिक, समूह अथवा समुदाय में व्यक्तियों की सहायता करने की एक प्रक्रिया है, जिससे सेवार्थी अपनी सहायता स्वयं कर सके। इसके माध्यम से सेवार्थी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में उत्पन्न अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने में सक्षम होता है। समाज कार्य सेवार्थी के जीवन के प्रत्येक पहलू तथा उसके पर्यावरण में क्रियाशील, प्रत्येक सामाजिक स्थिति से अवगत रहता है क्योंकि सेवा प्रदान करने की योजना बताते समय वह इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता।

ISBN: 978-81-966699-2-8

समाज कार्य एक बहुआयामी ज्ञान अनुशासन आधारित पाठ्यक्रम है। अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र आदि अनुशासन से अधिकांश ज्ञान और इनके सिद्धांतों से लिया गया है, लेकिन ये सभी विषय जहाँ मानव–समाज और मानव–संबंधों के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करता है। वहीं समाज–कार्य इन संबंधों में आने वाले अंतरों एवं सामाजिक परिवर्तन के कारणों की खोज जमीनी स्तर पर करने के साथ–साथ व्यक्ति के मनो–सामाजिक पक्ष का भी अध्ययन और उन समस्याओं का समाधान भी करता है। समाज कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता का आचरण एक विद्वान साथ–साथ समस्याओं में हस्तक्षेप के जरिये व्यक्तियों, परिवारों, छोटे समूहों या समुदायों के साथ संबंध स्थापित करने की तरफ उन्मुख होता है। इसके लिए समाज कार्य अनुशासन पूर्ण रूप से प्रशिक्षित और व्यावसायिक कार्यकर्ता तैयार करता है।

भारत में 1936 के पहले समाज कार्य को एक ऐच्छिक क्रिया समझा जाता था। 1936 में पहली बार समाज कार्य की व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक संस्था 'सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल आफ सोशल वर्क' के नाम से स्थापित हुई। इस समय इस बात की स्वीकृति भारत में हो चुकी थी कि समाज कार्य करने के लिये औपचारिक शिक्षा अनिवार्य थी। बाद में इस विद्यालय का नाम 'टाटा इन्टीस्ट्यूट आफ सोशल साइन्स' हो गया, और अब भी यह इसी नाम से प्रसिद्ध है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1946 में स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना की गयी। भारत में स्वतंत्रता के बाद काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय आदि ने समाज कार्य के विभिन्न डिप्लोमा आधारित पाठ्यक्रम शुरू कर दिए थे। 1954 में समाज कार्य का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क के द्वारा शुरू किया गया। भारत में समाज कार्य की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि प्राचीन है, किन्तु समाज कार्य के वैज्ञानिक स्वरूप का विकास काफी विलंब में हुआ।

भारत के कई केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय बैचलर ऑफ सोशल वर्क पाठ्यक्रम संचालित कर रहे। यह पाठ्यक्रम साधारणतः सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम की तरह तीन वर्ष का है। समाज कार्य अनुशासन की पढाई लगभग भारत

ISBN: 978-81-966699-2-8

के सभी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में करायी जाती हैं। लेकिन अगर आप हिंदी माध्यम से समाज कार्य अनुशासन की पढाई करना चाहते है, तो अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। वहीं अगर आप दूरवर्ती शिक्षा मतलब डिस्टेंस मोड में घर बैठे समाज कार्य के विभिन्न पाठ्यक्रम की पढाई करना चाहते हैं, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय समाज कार्य के स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। समाज कार्य के शैक्षिक विकास में महात्मा गाँधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म. प्र.) अपने यहाँ समाज कार्य के स्नातक एवं स्नातकोत्तर नियमित पाठ्यक्रम के साथ–साथ शोध कार्य भी करवा रहा है। साथ ही दूरवर्ती पद्धति एवं मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बी.एस.डब्ल्यू. एवं एम.एस. डब्ल्यू. के पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है।

उच्च शिक्षा जगत में समाज कार्य अनुशासन के स्नातक, स्नातकोत्तर और एम.फिल., पी.एच.डी. आदि की उपाधि के पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। समाज कार्य अनुशासन के स्नातक आधारित पाठ्यक्रम को बैचलर ऑफ सोशल वर्क, स्नातकोत्तर आधारित पाठ्यक्रम को मास्टर ऑफ सोशल वर्क और कई विश्वविद्यालय डिप्लोमा आधारित पाठ्यक्रम भी संचालित करते हैं। जिन्हें एनजीओ मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर चिकित्सा जगत की तरह यहाँ भी कई शाखा हैं, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सायकेट्रिक सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट आदि। इन शाखाओं के चयन के आधार पर आप अकादमिक क्षेत्र और जमीनी स्तर पर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तथा स्वयं के संस्था आदि की भी स्थापना कर कई को रोजगार प्रदान कर सकते हैं।

भारत में आजादी के बाद से राज्य के सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों के पश्चात जिस क्षेत्र के आकार–प्रकार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, वह है स्वैच्छिक क्षेत्र। जबकि सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दिन–प्रतिदिन सिमटते जा रहे हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर कई गुना बढ़ते जा रहे हैं। समाज कार्य के क्षेत्रों में न केवल गैर सरकारी संगठन सक्रिय हुए हैं बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े कॉर्पोरेट हाउस भी स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, आपदा और कल्याण

ISBN: 978-81-966699-2-8

आदि कार्य में सीधे प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे अनगिनत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ हैं, जो बड़ी संख्या में सामाजिक कल्याण, सेवा और सुरक्षा के कार्यक्रमों को प्रायोजित कर रही हैं।

विकास की इस तेज रफ्तार के साथ व्यावसायिक समाज कार्य एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभरा है, जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यद्यपि भारत में समाज कार्य का व्यवसाय इतना चर्चित नहीं है। लेकिन अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया, चीन या कहें पश्चिम के लगभग सारे देश में समाज कार्य एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यवसाय के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। लेकिन भारत में आज भी समाज कार्य एक तरफ से संघर्ष की स्थिति में ही हैं। अभी समाज के द्वारा इतनी मान्यता प्राप्त नहीं हुई हैं। इसके पीछे कई कारण हैं– लोगों में समाज कार्य को लेकर तरह–तरह की भ्रांतियां हैं। भारत एक परोपकारी और कल्याणकारी राज्य हैं, और यहाँ दान, किसी असहाय की सेवा, सुरक्षा और कल्याण आदि एक भावनात्मक लगाव और आत्मसंतुष्टि के लिए किया जाता हैं। इन्हीं कार्यों को व्यावसायिक समाज कार्य लोगों ने समझ लिया हैं। जिस कारण से वास्तविकता में समाज कार्य क्या हैं? और किन मूल्यों और उद्देश्यों को लेकर व्यावसायिक समाज कार्य अपने गतिविधि आदि को आयोजित करता हैं। लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा हैं। व्यावसायिक समाज कार्य दान और किसी असहाय की सहायता तक सीमित नहीं हैं, अपितु ये तो हमारा कार्य ही नहीं हैं। समाज कार्य शिक्षा के आधार पर नीति निर्माण करना है, समाज के उत्थान और चौमुखी विकास के लिए योजना बनाना और उसे जमीनी स्तर पर लागू करना, मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान करना, परामर्श प्रदान करना, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी और कल्याण के लिए परियोजना निर्माण करना, समय–समय पर सर्वेक्षण आदि आयोजित करना, ग्रामीण, शहरी और जनजातीय विकास के लिए कार्य करना, बाल कल्याण, युवा कल्याण, वृद्ध कल्याण, तृतीय लिंग कल्याण, महिला कल्याण और दिव्यांग कल्याण के लिए कार्य करना, अति पिछड़ा कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए कार्य करना आदि। इस तरह के और भी कई ऐसे कार्य, गतिविधि और कार्यक्रम जमीनी स्तर पर समाज कल्याण प्रशासन के माध्यम से सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर आयोजित करते हैं।

ISBN: 978-81-966699-2-8

अकादमिक क्षेत्र में आचार्य, परियोजना निदेशक, क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक और किसी परियोजना में अनुसंधानकर्ता के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के भी कई अवसर समाज कार्य के स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए मौजूद हैं। जैसे समाज कल्याण प्रशासन विभाग में कई पद होते हैं। इसके अलावा और भी अन्य कई पद सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में होते हैं। जैसे परियोजना निदेशक, कार्यक्रम निदेशक, कार्यक्रम अधिकारी, कार्यक्रम समन्वयकर्ता, सहायक समन्वयकर्ता, कार्यक्रम सहायक, परियोजना अधिकारी, कम्यूनिटी मोबलाइजर, कार्यक्रम प्रबंधक, ब्लॉक जिला राज्य जोनल क्षेत्रीय समन्वयकर्ता, सलाहकार, समाज–वैज्ञानिक, निगरानी एवं मूल्यांकन अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी अनुसंधानकर्ता, क्षेत्र प्रबंधक, क्षेत्र कार्य प्रबंधक, फंड रेजर, सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, संसाधन मोबलाइजर, प्रशिक्षण समन्वयकर्ता, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यालय सामाजिक कार्यकर्ता, सलाहकार आदि।

समाज कार्य विषय से शिक्षण के आधार पर स्वयं से भी आप गैर सरकारी संगठन स्थापित कर सकते हैं। और समाज के वंचित, गरीब, असहाय जन को सेवा प्रदान कर खुद और अन्य कई को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। मानवाधिकारों की प्राप्ति के साथ अशिक्षा, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार को हटाने के क्षेत्र में भी संगठन स्थापित कर राष्ट्र के उत्थान और विकास का कार्य कर सकते हैं। अन्य और भी ऐसे सभी क्षेत्र जिनसे मानवीय मूल्यों की अवहेलना होती हो या समाज के लिए अवरोधक तत्व हो उस क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार के संगठन स्थापित कर कार्य कर सकता हैं। कोई संगठन की स्थापना स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्थापित करने का प्रावधान हैं।

समाज कार्य की शिक्षा

भारत में समाज कार्य की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितनी अन्य देशों में मुख्य रूप से यूरोपीय देशों में मानी जाती हैं। भारत में समाज कार्य की औपचारिक शिक्षा का आरंभ 20वीं सदी सन् 1936 से प्रारंभ हुआ है । बम्बई में एक संस्था ''सोशल सर्विस लीग'' ने 6 सप्ताह का संक्षिप्त पाठ्यक्रम समाज कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण हेतु बनाया। सन् 1936 में बम्बई में

ISBN: 978-81-966699-2-8

ही 'सर दोराब जी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क' की स्थापना हुई । सन् 1947 में काशी विद्यापीठ में समाज विज्ञान के अंतर्गत समाज कार्य विद्यालय खुला। इसी वर्ष डेल्ही स्कूल ऑफ सोशल वर्क खुला। सन् 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज कार्य प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। इसी के अंतर्गत आगरा, दिल्ली, उदयपुर, नागपुर, मद्रास, पटना, कोलकाता, बम्बई, मदुराई, धारवाड़, बेंगलुरु, आन्द्राबाद, बड़ौदा, कुरुक्षेत्र, पटियाला आदि कई स्थानों पर विश्वविद्यालयों में समाज कार्य की औपचारिक शिक्षा दी जाती है। इनमें स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा के साथ–साथ पी–एच.डी. की उपाधि के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

समाज कार्य का ज्ञान

समाज कार्य ज्ञान में निरंतर वृद्धि हो रही है। अनेक समाज कार्य के स्कूलों में शोध की सुविधा पाई जाती है । जिनमें ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्रों में खोज की जा रही है इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों में मानव व्यवहार पर्यावरण संस्कृति उद्योग की सामाजिक विकास आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ी कठिनाई जो स्वीकार की जा सकती है । वह यह है कि भारत में समाज कार्य के सिद्धांतों, प्रणालियों एवं प्रविधियां व्यावहारिक प्रयोग के विषय में नवीन अनुभव का विकास एवं शोध कार्य उसे स्तर के नहीं हो पा रहे हैं, जिससे समाज कार्य को एक व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सके ।

समाज कार्य का व्यावसायिक संगठन

किसी व्यवसाय को एक निश्चित योजना के अनुसार चलाना एवं न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। इस प्रकार, जब उत्पादन के तीनों प्रमुख अंगो भूमि, श्रम और पूंजी का विनियोग उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए व्यावसायिक साहस के साथ एक निश्चित योजना के अनुसार कर लिया जाता है, तब ''व्यवसाय संगठन'' का निर्माण होता है।

व्यावसायिक संगठन का प्रयोग क्रिया तथा संज्ञा दोनों ही रूपों मे किया जाता है। संज्ञा के रूप मे– 'व्यावसायिक संगठन' एकाकी व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, कंपनी व्यवसाय, सहकारी एवं राजकीय व्यवसाय हो सकते हैं। क्रिया के रूप मे ''व्यवसायिक संगठन'' किसी उक्त वर्णित व्यवसाय की आंतरिक क्रियाओं के संगठन को सम्बोधित करता है। जिसके अंतर्गत व्यवसाय के स्वरूप का निर्धारण, व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण, व्यवसाय के विभिन्न भागों का

ISBN: 978-81-966699-2-8

नियोजन, व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं का निरीक्षण तथा अपनाये गये सिद्धांतों और नीतियों का पुनरावलोकन जैसे कार्य किये जाते है।

न्यूमेन के अनुसार, ''व्यवसायिक संगठन का आशय किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ व्यक्तियों के समूह के प्रयासों का पथ–प्रदर्शन, नेतृत्व एवं नियंत्रण करने से है।''

ई. एफ. एल. बैच्र के अनुसार, ''व्यवसायिक संगठन किसी भी उद्योग का वह कार्य है, जो कि उन विधियों के निर्माण एवं सम्पादन से संबन्धित है, जो कार्यक्रम निर्धारित करती है, कार्यकलापों की प्रगति का नियमन करती है और योजनाओं के संदर्भ मे उनके परिणामों का मूल्यांकन करती है।''

स्टीफेन्सन के अनुसार, ''व्यवसायिक संगठन से आशय सामान्यतः व्यापार अथवा उसी प्रकार कि किसी अन्य व्यवसाय की गतिविधियों के संचालन एवं नियंत्रण करने से है।''

जेम्स एल. लूण्डी के अनुसार, ''व्यवसायिक संगठन का प्रमुख कार्य नियोजन, समन्वय तथा प्रेरणा प्रदान करना है तथा किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य नियंत्रित करना है।''

सारांश (Summary)

- भारत में प्राचीनकाल में विद्यमान परंपरागत समाज सेवा से लेकर धर्म के पवित्र कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक दूसरे की सहायता करने में सभी लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। इस ईकाई में आपको हड़प्पा संस्कृति से लेकर बौद्धकाल एवं मौर्यकाल तक की समाज कल्याण की अवधारणा की समझ दी गई है। इंग्लैंड के समाज कार्य के इतिहास से आप समझ सकते हैं कि वहां पर भी गरीब, दरिद्र एवं अभावग्रस्त लोगों की सेवा से षुरू होकर किस प्रकार समाज कार्य आज विकसित रूप धारण कर सका है। उसी प्रकार अमेरिका में समाज कार्य का विकास इंग्लैण्ड के ही आधार पर विकसित हुआ, क्योंकि दोनों जगह ईसाई समुदाय होने के कारण इनकी परंपरा दोनों समाज में विद्यमान थी। मुख्य रूप से यह ईकाई वैश्विक परिदृश्य में समाज कार्य की प्रारम्भिक स्थितियों को वहाँ के समाज की तत्कालीन समस्याओं से जोड़कर प्रस्तुत करती है।

ISBN: 978-81-966699-2-8

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- **हडप्पा सम्यता** – हडप्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त का एक पुरातात्विक स्थल है। सिन्धुघाटी सम्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिन्धुघाटी की सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हडप्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सबसे पहले खोजी गयी भारतीय सभ्यता है। इसका काल ईसा पूर्व 2600 से 1900 के बीच था।
- **गुप्तकाल** – भारत के प्राचीन राजवंशों में से गुप्त राजवंश एक है। इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त वंश का प्रारम्भिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश एवं बिहार में था। इस काल में भारतीय संस्कृति के विकास को पूर्णता प्राप्त हुई। पाटलीपुत्र इस साम्राज्य की राजधानी थी। इनका प्रारम्भ काल 319 ई. से 334 ई. थी।
- **सल्तनत काल** – कुतुब–उद–दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। वह मूल रूप से तुर्क था। उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। यह चार साल तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। सल्तनत काल का समय 1206 से 1524 ई.तक रहा।
- **हर्षवर्द्धन काल** – हर्षवर्धन का काल 590 ई. से – 697 ई. तक था। इसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्ष के शासनकाल में भारत ने आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की थी।
- **गांधीवादी दृष्टिकोण/विचारधारा** – गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा अपनाई और विकसित की गयी। उन धार्मिक एवं सामाजिक विचारों का समूह है जो उन्होंने पहली बार 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका तथा उसके बाद भारत में अपनायी थी। विचारों के प्रेरणा स्रोत भगवत गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबिल, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉलस्टाय, जान रस्किन आदि प्रमुख थे।

स्व–मूल्यांकन (Self-Assesment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long answer type questions)**
  1. सम्राट अशोक द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को लिखें?
  2. हर्षवर्धन के काल में समाज सेवा के स्वरूप को लिखें?

ISBN: 978-81-966699-2-8

3. पारसियों में समाज सेवा के स्वरूप को लिखें?
4. शेरशाह सूरी द्वारा किए समाज सेवा के कार्यो को लिखें?
5. भारत में समाज कार्य के विकास को लिखें?
6. हिन्दू राजाओं द्वारा किए गए समाज सेवा के स्वरूप को लिखें?

- **लघु उत्तरीय प्रश्न (Short answer type questions)**
  1. हडप्पा संस्कृति में सामाजिक व्यवस्था क्या थी? लिखे
  2. मौर्यकाल में समान सेवा के स्वरूपों को लिखे?
  3. गुप्तकाल में समान सेवा के स्वरूप को लिखे?
  4. इग्लैण्ड में समानकार्य के इतिहास के बारे में लिखें?
  5. अमेरिका में समान कार्य के इतिहास को लिखें?
- **अति लघुउत्तरीय/वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Very short/ Objective type questions)**
  1. बौद्धकालीन सामाजिक व्यवस्था को लिखे?
  2. इस्लाम में जकात के स्वरूप को लिखें?
  3. वर्तमान समाय में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए बनाये गए कानून को लिखें?
  4. वर्तमान समय में निर्धनों की सहायता के लिए चलाए जा रहे शासकीय कार्यक्रमों को लिखें?
  5. वृद्धों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे शासकीय कार्यक्रमों को लिखें?

प्रदत्त कार्य (Assignment)

1. आप जहाँ निवास करते है उसके आस–पास समाज सेवा के स्वरूप को लिखें?
2. आप जहाँ निवास करते है, वहाँ मन्दिरों/मठो द्वार किए जा रहे समाज सेवा के स्वरूप को लिखें?
3. आपके क्षेत्र में चर्च द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के स्वरूप को लिखें?
4. आपके गाँव में पूर्वजों द्वारा यदि कोई कुआं/तालाब/बावली इत्यादि का निर्माण किया गया हो तो उसकी केस स्टडी लिखें?
5. आपकी ग्राम पंचायत द्वारा गरीबों के लिए किए गए कल्याणात्मक कार्यक्रमों को लिखें – जैसे प्रधानमंत्री आवास निर्माण, सामूहिक विवाह, दिव्यांगो को साईकिल वितरण, स्वास्थ्य शिविर इत्यादि?

ISBN: 978-81-966699-2-8

6. आप अपने गाँव के या उसके आस–पास समाज सेवा करने वाले व्यक्ति की केस स्टडी लिखें?
7. आप अपने क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों को लिखें?
8. स्थानीय समुदाय द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यक्रमों को लिखे जैसे– गॉव के लोग एन.जी.ओ. / अन्य?
9. भिक्षा मांगने वाले किसी भिखारी की केस स्टडी लिखें?
10. आप अपने गाँव या उसके आस–पास धार्मिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे धर्मार्थ कार्यों को लिखें?

संदर्भ (References)

मुद्रित संदर्भ :

- गुप्ता, निमिषा पाण्डे, बंशीधर – **समाज कार्य एवं सामाजिक न्याय**, अल्टर नोट्स प्रेस, हजरत मोहनी लेन, जामिया नगर, नई दिल्ली–25।
- थोटे, डॉ. पुरुषोत्तम – **समाज कार्य : सिद्वांत, तत्व ज्ञान एवं मनोविज्ञान,** रजिस्टार, पुरुषोत्तम थोटे समाजकार्य महाविद्यालय, नरसाधन रोड, नागपुर।
- दुबे, डॉ. प्रीति – **भारत में समाज कार्य**, कैलाश पुस्तक सदन, हमीदिया मार्ग, भोपाल–001।
- शास्त्री, राजाराम – **समाज कार्य**, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
- पाण्डे, प्रो. बालेश्वर – **समाज कार्य – एक समग्र दृष्टि**, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

वेब संदर्भ :

- https://www.scotbuzz.org/2020/08/vaiyaktik-samaj-kary-ka-itihas.html?m=1
- https://www.scotbuzz.org/2020/10/vyavasayik-samaj-kary.html?m=1
- https://hi.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF

ISBN: 978-81-966699-2-8

इकाई–2 : समाज कार्य का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध

उद्देश्य :–

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि

- व्यावसायिक समाज कार्य के स्वरूप एवं एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में अन्य समाज विज्ञानों एवं विषयों की भूमिका क्या है।
- अर्थषास्त्र, समाजषास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान जैसे मूल समाज विज्ञान विषयों के साथ इसकी अवधारणा एवं संबंध किस आधार पर है।
- विधिषास्त्र, सांख्यिकी, मानवषास्त्र जैसे विषयों की आवष्यकता समाज कार्य को समझाने में क्यों है।

समाज कार्य एवं समाजशास्त्र

समाजशास्त्र मनुष्यों के आपसी संबंधों से उत्पन्न होने वाली सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। मुख्य रूप से उन घटनाओं का जो परस्पर संबंधों की क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं तथा व्यक्ति का विघटन और सामाजिक विघटन लाते हैं। जिस वर्ग ने समाजशास्त्र की परिभाषा करते हुए कहा है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है अर्थात् मानवी परस्पर संबंधित क्रियाओं एवं पारस्परिक संबंधों के ताने–बाने या जाल का अध्ययन है।

क्योंकि व्यक्ति की बहुत सी समस्याएं परस्पर संबंधित क्रियाओं से संबंधित होती हैं। समाज कार्य को इनको समझाने के लिए इन्हीं पारस्परिक संबंधों के ताने–बाने का अध्ययन करना पड़ता है। ब्लैकमर और गिलन के अनुसार ''समाजशास्त्र मानव–जाति के परस्पर संबंधों से उत्पन्न समाज की घटनाओं का अध्ययन करता है।''

इस परिभाषा से भी यही बात स्पष्ट होती है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो उन घटनाओं का अध्ययन करता है जो परस्पर संबंधित क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। सामाजिक संबंधों को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं।यह कारक मिलकर सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में कभी कभी इतने गंभीर और महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देते हैं कि सामाजिक विघटन उत्पन्न हो जाता है जिसके फलस्वरूप व्यक्तिक विघटन की संभावनाएं भी बढ़ जाती है।

ISBN: 978-81-966699-2-8

सामाजिक संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व की संतुलन एवं आंतरिक अनुकूल को प्रभावित करते हैं जैसा कि इस बात से सिद्ध होता है कि बहुत ही शारीरिक एवं मानव शरीर एक रोगों के कारण सामाजिक संबंधों में प्रतिकूलता आ जाती है। इसलिए समाज कार्यकर्ता व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र की सहायता से करते हैं। समाज कार्य में व्यक्ति के परिवार एवं परिवारिक संबंधों के अध्ययन को बड़ा महत्व दिया जाता है । समाज कार्यकर्ताओं को कई परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार की समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता पड़ती है। जिसके लिए उन्हें व्यक्तियों के भूतपूर्व एवं वर्तमान सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाज कार्य की सहायता से करना पड़ता है । मनुष्य समाज में जो भी व्यवहार करता है। वह उसकी उप संस्कृति की जनरीतियों, मूल्यों, रूढियों, विश्वासों और विचारधाराओं पर आधारित होता है। इसलिए समाज कार्यकर्ता अपने सेवार्थी की समायोजन संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए उसके सामाजिक अनुभव, उसकी उप संस्कृति की प्रथाओं, रूढियों, मूल्यों, विश्वास एवं विचारधाराओं का अध्ययन समाजशास्त्र की सहायता से करते हैं ।

समाज कार्य एवं अर्थशास्त्र

मनुष्य के आर्थिक संबंधों का अध्ययन करना अर्थशास्त्र का कार्य है। अर्थशास्त्र जीवन की दशाओं से संबंधित उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। जिनका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को पूरा करना है। सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ एक–दूसरे से जुड़े होते हैं। कई देशों में इस बात के उदाहरण मिलते हैं। जब समाज शास्त्र के विकास की आरंभिक काल में इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही होता था। कुछ महान अर्थशास्त्री प्रमुख समाजशास्त्री भी रहे हैं।

व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपत्ति का उत्पादन करता है । इस संपत्ति के उत्पादन वितरण एवं विनिमय की व्यवस्था करनी पड़ती है। विभिन्न प्रकार के आर्थिक संगठनों की स्थापना और उन्हें नियंत्रण में रखने की आवश्यकता पड़ती है । साथ ही उन आर्थिक नियमों की खोज करनी पड़ती है जो समाज के आर्थिक क्षेत्र में कार्य करते हैं । जैसी वस्तुओं की कीमत, मांग, और उपलब्धि के नियम।

मैकाइवर के अनुसार आर्थिक मामलों में निर्धारण सामाजिक आवश्यकताओं एवं क्रियाओं का स्थान महत्वपूर्ण होता है। अर्थशास्त्र की कई परी भाषाओं में से केवल एक परिभाषा का उल्लेख किया जाता है जो समाज कार के उद्देश्यों पर पूरी उतरती हैं और जिसे कुछ लेखकों

ISBN: 978-81-966699-2-8

ने अर्थशास्त्र की कल्याण परिभाषा कहा है । इन लेखकों ने 'धन को साधन माना है साध्य नहीं' ।

समाज कार्य के क्षेत्र में व्यक्ति और उसकी आवश्यकताएं आती हैं। इनमें आर्थिक आवश्यकताएं भी सम्मिलित होती हैं। इन आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाना, समस्या का रूप धारण कर लेना है और समाज कार्य का उद्देश्य इसी प्रकार की समस्याओं का समाधान करना भी है। आर्थिक समस्याओं का संबंध निर्धनता की समस्या से जुड़ा रहता है । इसी के साथ आर्थिक विषमता की समस्या भी समाज कार्यकर्ताओं को आकर्षित करती है। समाज कार्य के लिए समाज के आर्थिक ढांचे का भी अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि समाज की आर्थिक पद्धति व्यक्ति को कई प्रकार से प्रभावित करती है । यदि एक आर्थिक पद्धति व्यक्तियों एवं वर्गों के बीच आर्थिक विषमता को बढ़ावा देती हैं तो समाज कार्य को अपनी प्रणाली समाजकार अनुसंधान के माध्यम से इसका ज्ञान जनता में बढ़ाना चाहिए। सामाजिक क्रिया प्रणाली का प्रयोग करके इस आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए, तभी समाज कार्य के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है ।

इस प्रकार कहा जाता है कि समाज कार्य एवं अर्थशास्त्र का गहरा संबंध है ।

समाज काय एवं राजनीति विज्ञान

राजनीति शास्त्र राज्य के स्वरूप, महत्व, संगठन, शासन सिद्धांतों और नीतियों की व्याख्या करता है । यह राज्य के जीवन अथवा संपूर्ण समूह के राजनैतिक भाग से संबंधित है। शासक मौलिक रूप से सामाजिक भी होते हैं और राजनीतिक भी। राजनीति शास्त्र भी एक सामान्य जीवन की स्थापना में रुचि लेने के साथ–साथ व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने में भी रुचि लेता है। राजनीतिक शास्त्र यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है जबकि समाज कार्य व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी मानता है। यह जानने का प्रयास करता है कि राज्य एवं समाज के विभिन्न भाषाओं एवं उसके विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है। बौटीमोर के अनुसार ''राजनीति शास्त्र में भी अधिकांश व्यवहारों को सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में समझने का प्रयास होने लगा है।''

राजनीतिशास्त्र में समाज के केवल राजनीतिक पद अर्थात राज्य की उत्पत्ति, व्यवस्था, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। यह समाज की केवल उस संगठन दशाओं का भी अध्ययन

ISBN: 978-81-966699-2-8

करता है। जिन पर राजनीतिक जीवन की छाप होती हैं। राजनीति शास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है। यह इस बात पर बल देता है कि भविष्य में राज्य की नीतियां और व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए?, अधिकारों का आधार क्या होना चाहिए?, सरकार का स्वरूप क्या होना चाहिए? यह सब ऐसी बातें हैं जो समाज कार्यकर्ताओं को आकर्षित या प्रभावित करती हैं ।

मनुष्य की राजनीतिक संबंधों का अध्ययन राजनीतिशास्त्र करता है। राज्य मनुष्य का एक प्रमुख शक्ति संपन्न समुदाय है जो उनके जीवन को एक प्रकार से नियंत्रित करता है। यह शक्ति का प्रयोग करके अपने आदर्शों को जनता से मनवा सकता है। यह ऐसी व्यवस्थाएं करता है जिसमें सबका हित हो। राज्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है और मनुष्य की आपसी संबंध इसी के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक, नैतिक, धार्मिक सभी प्रकार के मानव संबंधों को नियंत्रित करने की शक्ति राज्य के पास होते है। मनुष्य समाज में रहकर विभिन्न प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। समाज कार्य का संबंध इन्हीं मानवीय संबंधों और मनुष्य की आपसे अंतर क्रियाओं से होता है। समाज कार्य में इन्हीं संबंधों एवं अंतर क्रियाओं को विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचालित करने का प्रयास किया जाता है । जिससे सबका कल्याण हो सके इसलिए समाज में नियंत्रण के साधनों का जिसमें राज्य भी एक पूरा ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है ।

समाज कार्य व्यक्तियों के आपसी संबंधों से संबंधित है और यह संबंध राजनीतिक भी हो सकते हैं। विभिन्न सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए वर्तमान सामाजिक विधानों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ती है या नये विधानों का निर्माण करने की आवश्यकता होती है। इन सब क्षेत्रों में कार्य करने के लिए राजनीति शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। देश की राजनीति पद्धति का ज्ञान आवश्यक होता है। इसलिए समाज कार्यकर्ताओं के लिए राजनीतिशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है।

समाज कार्य एवं ग्रामीण विकास

भारत गांवों में बसता है, यहाँ की तीन चौथाई से अधिक जनता गांवों में ही रहती है। गांवों के जीवन की अपनी कुछ विशेषताएं है। ये विशेषतायें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा नैतिक सभी क्षेत्रों में विद्यमान वैद्य जनसंख्या के इतने बड़े भाग की सामाजिक

ISBN: 978-81-966699-2-8

आर्थिक समस्याओं का प्रभावपूर्ण समाधान किए बिना ही कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को किसी प्रकार भी पूरा नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद से ही एक ऐसी वृहद योजना की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। जिसके द्वारा ग्रामीण समुदाय में व्याप्त अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि के पिछड़ेपन तथा रूढिवादिता जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके। भारत में ग्रामीण विकास के लिए यह आवश्यक था कि कृषि की दशाओं एवं दिशाओं में सुधार किया जाए। सामाजिक तथा आर्थिक संरचना को बदला जाएं। आवास की दशाओं में सुधार किया जाए। किसानों को कृषि योग्य भूमि प्रदान की जाए। जन स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर बेहतर किया जाये एवं दुर्बल वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाए। उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति तथा त्वरित विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के निचले स्तर के लोगों को विकास योजनाओं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जोड़ने पर बल दिया गया। इसके मद्देनजर 31 मार्च, 1952 में सामुदायिक विकास से सम्बंधित कार्यक्रमों को चलाने की लिए योजना आयोग के तहत सामुदायिक परियोजना प्रशासन संगठन की स्थापना की गयी। ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया तथा 2 अक्टूबर 1952 को 55 विकास खण्डों की स्थापना करके इस योजना का शुभारम्भ किया गया। कृषि को इस व्यापक कार्यक्रम का आधार बनाया गया। भूमि सुधार, साख व्यवस्था, ज्ञान एवं विज्ञान के लाभों और उपलब्धि को किसानों के दरवाजे तक पहुँचाने की योजना बनी। इस दिशा में सहकारिता आन्दोलनों ने भी सहायक भूमिका निभाई।

समाजकार्य एवं अपराधशास्त्र

अपराधशास्त्र के अंतर्गत समाज में व्याप्त विभिन्न अपराधों का अध्ययन किया जाता है। अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगाारी, जातिवा, आदि समस्याओं के कुप्रभाव से समाज में अपराधीकरण को बढावा मिल रहा है। इन विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों में अपराध की भावना तीव्र होती है और वे अपराध की ओर अग्रसित होते जाते हैं।

ये अपराध विभिन्न प्रकार के होते है, जैसे– श्वेतवसन अपराध, संगठित अपराध, मानसिक अपराध आदि। समाज कार्य का उद्देश्य इन समस्याओं का समाधान करना है। समाज कार्यकर्ता समाज कार्य की वैयक्तिक समाज कार्य प्रणाली का प्रयोग करते हुए इन अपराधियों का वैयक्तिक अध्ययन करता है और उनकी समस्याओं का सामाजिक निदान करने के पश्चात्

ISBN: 978-81-966699-2-8

उपचार करता है। ऐसा वह वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से करता है। समाज कार्यकर्ता अपराधी सुधार का उद्देश्य बनाकर विभिन्न कारागारों में निरुद्ध अपराधियों से प्रत्यक्ष संपर्क करके सामूहिक समाज कार्य के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। आवश्यकता पड़ने पर वह सामुदायिक संगठन प्रणाली का भी उपयोग समस्या समाधान के लिए करता है। सामाजिक शोध का उपयोग कार्यकर्ता अपराधशास्त्र को माध्यम बनाकर उनके विषय में या सामाजिक सम्बन्धों के विषय में नवीन जानकारी प्राप्त करता है एवं आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक क्रिया के माध्यम से उनके सामाजिक परिवेश में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। जिससे अधिक से अधिक अपराधियों का कल्याण हो सके, उनमें आत्मचेतना विकसित हो सके ओर वे स्वयं एक अच्छे वातावरण का निर्माण करके एक अच्छा जीवनयापन कर सकें।

इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि अपराधशास्त्र का समाजकार्य से गहरा सम्बन्ध है। अपराधी सुधार कार्य के लिए समाजकार्य की विभिन्न प्रणालियाँ आवश्यक रूप से इसका संज्ञान अपराधशास्त्र के माध्यम से समाज कार्य को होता है। वह इन समस्याओं के समाधान हेतु अपनी प्रणालियों का प्रयोग करता है। अतः वह निश्चित रूप कहा जा सकता है कि समाज कार्य अपराधशास्त्र से सम्बन्ध रखता है।

समाजकार्य एवं विधिशास्त्र

आज वर्तमान समय में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विधि से अलग हो। विधिशास्त्र के अंतर्गत कानून का प्रतिपादन और विवेचन किया जाता है। इसके अतिरिक्त कानून की शास्त्रीय व्याख्या करते समय इस बात पर स्पष्ट जोर दिया जाता है कि समाज में अपराध क्यों हो रहें हैं? इनकी रोकथाम के लिए कानून बनाये जातें हैं। विधि का हस्तक्षेप आज व्यक्ति के उन समस्त पहलुओं से हो गया है जिनमें वह अपने को स्वतन्त्र महसूस करता है। विधि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों, अन्य व्यक्तियों के हितों एवं सामान्य सामाजिक हितों के बीच सामंजस्य बनाये रखने के लिए समाज द्वारा स्थापित की गई। प्रथाओं तथा राज्य द्वारा बनाये गये नियम–कानूनों की व्यवस्था है, ताकि व्यक्ति के किसी एक विशेष व्यक्ति अथवा अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में अधिकारों को संरक्षित किया जा सके और उसे इनके परिपेक्ष्य में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य किया जा सके।

ISBN: 978-81-966699-2-8

विधि समाज में शोषण का सरलतापूर्वक शिकार बनने वाले, असहाय लोगों के उत्थान के लिए उपयुक्त वैधानिक प्रावधान करता है। विधिशास्त्र के अंतर्गत समाज के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, बच्चे, वृद्ध, शोषण का सरलतापूर्वक शिकार बनने वाले वर्गों एवं बाधितों आदि के लिए विशेष वैधानिक प्रावधान किये गये हैं। विधिशास्त्र का उद्देश्य समाज में समता को बढ़ावा देना है और समाज कार्य के क्षेत्र इससे विमुख नहीं है। समाज कार्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय की समस्याओं का समाधान किया जाता है। समाज कार्य वैयक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विचलन आदि सामाजिक समस्याओं का निराकरण अपनी वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हुए करता है।

जब समाज कार्य अभ्यास के माध्यम से विधि द्वारा बनाये गए नियमों एवं कानूनों को समझाते हुए कार्यकर्ता द्वारा समाजकार्य किया जाता है, उस समय इन नियमों एवं कानूनों में सुधार की आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी–कभी नियम और कानून व्यक्ति, समूह या समुदाय की आवश्यकताओं की अनदेखी करके बनाये जाते हैं। वहीं पर समाज कार्यकर्ता के लिए एक चुनौती परिलक्षित होती है। कार्यकर्ता अपने वैज्ञानिक ज्ञान एवं निपुणताओं के माध्यम से समाज कार्य की विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग करते हुये, विधि द्वारा प्रावधानित नियमों एवं कानूनों का अनुसरण करते हुये, समाज कल्याण के लिए अपना योगदान देता है। सामाजिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है।

अतः यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगा कि समाजकार्य विधिशास्त्र से विशेष सम्बन्ध रखता है। विधि शास्त्र में कानून एवं नियम जनता के लिए बनाये जाते हैं, जिससे वह अपना इच्छित जीवन–स्तर प्राप्त कर सके। समाज कार्य व्यक्ति, समूह या समुदाय में सन्तुलन एवं सामंजस्य बनाये रखने का प्रयास करता है और सभी के लिए आवश्यक जीवन–स्तर की व्यवस्था करता है।

समाजकार्य एवं मनोविज्ञान

मनोविज्ञान के अंतर्गत सम्प्रेरणाओं, भावनाओं एवं मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अध्ययन से ही हम मानव व्यवहार को जान सकते हैं। कई विद्वानों ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान एवं मानव प्रकृति का विज्ञान कहा है। मनोविज्ञान व्यक्तित्व के विकास एवं उसका अवस्थाओं के विषय में ज्ञान कराता है।

ISBN: 978-81-966699-2-8

सामाजीकरण सीखने की प्रक्रिया आदि का ज्ञान मनोविज्ञान से होता है। विलियम मैकडुगल ने लिखा है कि 'मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है।'

मनोविज्ञान का केन्द्र बिन्दु मानव है। इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण वैयक्तिक होता है। समाज कार्य का भी केन्द्र बिन्दु व्यक्ति ही है। परन्तु इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण वैयक्तिक होने के साथ सामाजिक भी होता है। समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान एवं निपुणताओं पर आधारित है जबकि मनोविज्ञान केवल व्यक्ति के मानसिक पक्ष से सम्बन्धित है।

किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय की सहायता करते समय समाज कार्यकर्ता को मानव व्यवहार को जानने, उसका विश्लेषण करने और उसको प्रभावित करने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा वह मनोविज्ञान की सहायता लेते हुये कहता है। समाज कार्यकर्ता अनेक परिस्थितियों में मानव व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसके लिए वैयक्तिक अध्ययन, सम्प्रेरणाओं के विश्लेषण एवं व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं और प्रतिउत्तरों को कार्यकर्ता मनोविज्ञान की सहायता से प्राप्त करता है। वैयक्तिक समायोजन में भी मनोविज्ञान की भूमिका सराहनीय होती है। समाज कार्य की वैयक्तिक समाज कार्य प्रणाली में मनोविज्ञान का अत्यधिक महत्व है।

अतः हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि समाजकार्य मनोविज्ञान से सम्बन्धित है।

समाजकार्य एवं मानवशास्त्र

मानवशास्त्र के अंतर्गत आदिम मानव के स्वरूप, प्रागैतिहासिक दशा एवं स्थिति जनजातीय समाजों एवं उनकी संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न जन समूहों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति का भी अध्ययन किया जाता है।

प्राचीन समाजों की संस्कृति, सभ्यता आधुनिक समाजों से कई पक्षों में भिन्न होती है। इसी प्रकार उनका सामाजिक संगठन भी वर्तमान गतिशील समाजों से अलग होता है। **होवल** और **क्रोवर** ने मानवशास्त्र को समाजशास्त्र से सम्बद्ध माना है। चूंकि समाज कार्य समाजशास्त्र की एक शाखा है। अतः मानवशास्त्र समाज कार्य से भी सम्बन्धित है।

समाज कार्य समाज के निर्बल एवं शोषण का सरलतापूर्वक शिकार करते हुये लोगों को उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं को बनाये रखते हुये उनका सर्वांगीण विकास कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करता है। समाज कार्यकर्ता वैज्ञानिक ज्ञान एवं निपुणताओं के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करता है। मानवशास्त्र

ISBN: 978-81-966699-2-8

समाजकार्य के लिए आधार प्रदान करता है। किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय की समस्याओं का समाधान करने के पूर्व समाज कार्यकर्ता व्यक्ति, समूह या समुदाय की स्थिति, संस्कृति, प्रथा, परम्परा, विश्वास, मूल्य तथा लोकाचार का ज्ञान कराता है। तत्पश्चात् समाज कार्य की प्रणालियों का प्रयोग करते हुये वह समस्याओं का समाधान करता है।

अतः यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि समाज कार्य और मानवशास्त्र एक–दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित हैं।

समाजकार्य एवं सांख्यिकी

सांख्यिकी के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी एक विज्ञान है, जिसमें विभिन्न सामाजिक समस्याओं की प्रकृति आकार आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है और सूचनाओं को संकलित, वर्गीकृत, सारिणीबद्ध और विश्लेषित किया जाता है। टुटेल के अनुसार– ''सांख्यिकी सामाजिक घटनाओं की माप, गणना एवं आकलन है।'' इसी कड़ी में लेविट के शब्दों में– ''सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जो किन्ही घटनाओं की व्याख्या, विवरण तथा तुलना के लिए आंकिक तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण का काम करता है।'' सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें सामाजिक घटनाओं से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, तत्पश्चात् आंकड़ो का वर्गीकरण, सारणीयन और निवर्चन किया जाता है।

इस प्रकार समाज कार्य और सांख्यिकी एक–दूसरे से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित हैं, क्योंकि समाज कार्य का प्रमुख उद्देश्य ही सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना है। एक कुशल समाज कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से समस्या की तह में जाकर सूचनाओं को एकत्रित करता है और फिर सूचनाओं का वर्गीकरण, सारणीयन और तथ्य निर्वचन का कार्य करता है, ऐसा वह विवरणात्मक एवं परिणात्मक दोनों प्रकार की विधियों को उपयोग में लाते हुये करता है। एक कुशल कार्यकर्ता के लिए सांख्यिकी का ज्ञान वर्तमान सूचना युग में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसके अभाव में वह विभिन्न सामाजिक समस्याओं का भली–भांति निराकरण नहीं कर सकता, क्योंकि सांख्यिकी के माध्यम से ठोस एवं सही सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सांख्यिकी केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापों के रूप में विभिन्न प्रकार के माध्य, माध्यिका तथा भूयष्ठिक की गणना करते

ISBN: 978-81-966699-2-8

हुए प्रमुख प्रवृत्ति को समझने में समाज कार्यकर्ता की सहायता करती है। यह विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करने, प्रतिदर्शन चयन को सम्भव बनाने, आंकड़ों का सम्पादन, वर्गीकरण एवं सारणीयन करने, उपकल्पना का जांच करने में समाज कार्यकर्ता की सहायता करती है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि समाज कार्य में सांख्यिकी की क्या उपयोगिता है और सांख्यिकी समाज कार्य से किस प्रकार सम्बन्धित है। समाज कार्य विषय के अंतर्गत सांख्यिकी को इसे और वैज्ञानिक रूप देने के लिए प्रयुक्त किया गया है।

सारांश (Summary)

- इस इकाई में निम्नानुसार सामग्री को समझाने का प्रयास किया गया है कि समाज कार्य का अन्य सामाजिक निकायों यथा समाजषास्त्र, अर्थषास्त्र, राजनीतिषास्त्र, मनोविज्ञान एवं ग्रामीण विकास से क्या संबंध है। मानवजीवन का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ग्रामीण विकास एवं भौतिक पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि एक पक्ष में कोई परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव दूसरे पक्षों पर भी पड़ता है। जो बात एक व्यक्ति के लिए लागू होती है। वहीं बात पूरे समाज के लिए लागू होती है। विकास के सभी कारक एक दूसरे से अंतर्संबंधित हैं और एक में यदि परिवर्तन होता है तो उसका निष्चित प्रभाव दूसरे पर भी पड़ेगा। विकास के लक्ष्य में कोई परिवर्तन होता है तो उस संबंध में निर्धारित संसाधनों में भी परिवर्तन होगा।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- **इड़ (इदम्)** – मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति को इदम् कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति की मूल वासनाएँ, प्रवृतियाँ तथा दमित इच्छाऐं आती हैं। इदम् किसी भी प्रकार का तनाव नहीं सह सकता है और बिना किसी बाधा या इन्तजार के तत्काल आनन्द, सुख एवं संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है।

- **इगो (स्व या अहम्)** – अहम् का अर्थ मानव की उन समस्त शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों से है जिनके कारण वह दूसरे से भिन्न है। यह व्यक्ति को वास्तविकता के आधार पर व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है।

ISBN: 978-81-966699-2-8

- **सुपर इगो** – पराहम् सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों एवं आदर्शों से सम्बन्धित होता है तथा मानवीय, सामाजिक और राष्ट्रीय हित में व्यक्ति को त्याग एवं बलिदान हेतु तत्पर करता है।

- **चेतन मन** – जब हम कोई कार्य सक्रिय अवस्था में रहकर करते हैं, तब उसे हम चेतन मन कहते हैं। हमारा ध्यान उस कार्य के प्रति हो जाता है। जैसे कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक निर्णय लेना सही गलत में भेद करना। जब हम सो जाते हैं। यह मन कार्य करना रोक देता है।

- **अवचेतन मन** – यह न ही पूर्वतः चेतन होता है और न ही अचेतन। अवचेतन मन को अत्यधिक शक्तिशाली बताया गया है। अपने अवचेतन मन का प्रयोग करके हम जो कुछ भी सीखते हैं। वही हम जिंदगी भर करते रहते हैं। जिन्दगी में जो भी व्यक्ति बड़ा काम करता है, वह सिर्फ अचेतन मन के कारण करता है।

- **अचेतन मन** – यह मन का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है। जिसके कार्य के बारे में व्यक्ति को जानकारी नहीं रहती है। यह मन की स्वस्थ एवं अस्वस्थ स्थिति पर प्रभाव डालता है। इसक बोध व्यक्ति को आने वाले सपनों से हो सकता है।

स्व–मूल्यांकन (Self-Assesment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long answer type questions)**

1. सामाजिक विधान के प्रमुख कारणों को लिखें?
2. संयुक्त परिवार के टूटने के प्रमुख कारणों को लिखें?
3. हिन्दू विवाह से शप्तपदी का वर्णन करें?
4. आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लिखें?
5. इड, इगो एवं सुपर इगो के बारे में लिखें?
6. आप एक माह तक लगातार जो स्वप्न देखते हैं, उसके बारे में लिखें?

ISBN: 978-81-966699-2-8

- **लघु उत्तरीय प्रश्न (Short answer type questions)**

1. चेतन, अर्द्धचेतन एवं अचेतन को लिखे?
2. दहेज के एक सामाजिक समस्या है, इसे रोकने के उपाय लिखें?
3. व्यक्ति के राजनैतिक अधिकारों को लिखें?
4. आर्थिक विषमता क्या है? लिखें।
5. आत्महत्या के प्रमुख कारणों को लिखें?

- **अति लघुउत्तरीय/वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Very short/ Objective type questions)**

1. समाजकार्य की परिभाषा दें?
2. मनोविज्ञान की परिभाषा लिखें?
3. अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखें?
4. राजनीतिशास्त्र की परिभाषा लिखें?
5. ग्रामीण विकास की परिभाषा लिखें?

प्रदत्त कार्य (Assignment)

1. अप अपने गाँव में जाति व्यवस्था के आपसी सम्बन्धों को लिखें।
2. आप अपने गाँव में वृद्धों के साथ किए जा रहे अच्छे/बुरे व्यवहारों के बारे में लिखें।
3. आप अपने गाँव में व्याप्त अन्धविश्वासों को लिखें।
4. आप अपने गाँव की अच्छी परम्पराओं को लिखें।
5. आपकी पंचायत द्वारा ग्रामीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को लिखें।
6. आप अपनी पंचायत समिति के कार्यों के बारे में लिखें।
6. मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के कार्यों को लिखें।

ISBN: 978-81-966699-2-8

संदर्भ (References)

मुद्रित संदर्भ :

- प्रसाद मणिशंकर, सत्यप्रकाश, – समाज कार्य, अरिहंत पब्लिकेशन्स इण्डिया लि., दरियागंज, नई दिल्ली–002।
- मिश्रा डॉ. प्रयागदीन – सामाजिक सामूहिक कार्य, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
- मिश्रा डॉ. प्रयागदीन – सामाजिक वैयक्तिक कार्य, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
- सिंह डॉ. ए. एन – सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़।
- नेमा डॉ. जी. पी. शर्मा, डॉ. के.के. – मानव अधिकार, सिद्धांत एवं व्यवहार। कॉलेज बुक डिपो, जयपुर–2।

वेब संदर्भ :

- https://www.scotbuzz.org/2020/08/vaiyaktik-samaj-kary-ka-itihas.html?m=1
- https://www.scotbuzz.org/2020/07/samaj-kary.html?m=1
- https://www.samajkaryshiksha.com/2017/02/blog-post.html?m=1

ISBN: 978-81-966699-2-8

इकाई–3 : समाज कार्य की अवधारणा

उद्देश्य :–

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि

- व्यावसायिक समाज कार्य को व्यावहारिक रूप से समझाने हेतु हमें इसकी अवधारणा एवं दर्षन का गहन अध्ययन आवष्यक है।
- एक व्यावसायिक कार्यकर्ता के लिए व्यावसायिक आचार संहिता क्यों और क्या है। यह जान सकेंगे।
- समाज कार्य विषय के मूल्य एवं नैतिक दायित्व हमें समाज कार्य के अंतर्गत क्यों आवष्यक हैं। जान सकेंगे।
- समाज कार्य के प्रमुख कार्य क्षेत्रों जैसे– सामाजिक न्याय एवं मानव अधिकारों की जागरूकता एवं स्थापना कैसे हो सकती है। इसे समझा सकेंगे।

समाज कार्य का आधार वैज्ञानिक ज्ञान है और इसकी प्रक्रिया में भी वही प्रमुख चरण होते हैं जो किसी भी वैज्ञानिक कार्य में होते हैं। समाज कार्य के अभ्यास में हम वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते है और वैज्ञानिक ज्ञान व जानकारी को आधार बनाकर समाज कार्य द्वारा सेवा प्रदान करते हैं। समाज कार्य के अन्तर्गत सर्व प्रथम समस्याग्रस्त व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय की समस्या के स्वरूप और इससे सम्बन्धित तथ्यों को समझने का प्रयास करत हैं कि उस समस्या के समाधान न में क्या भूमिका निष्पादित की जाएगी। समस्या का स्वरूप, आधार, कारण, कारक और समाज कार्य की भूमिका के निश्चियन का निर्धारण करने के पश्चात वास्तविक समस्या सम्बन्धी संकलित सम्पूर्ण तथ्यों का संगठन, विश्लेषण व संश्लेषण करते हुए मूल्यांकन के आधार पर मनोसामाजिक निदान हेतु गम्भीरता से विचार व मनन करते हैं। निदान हो जाने के बाद उपचार की योजना बनाकर उसी के आधार पर समस्या समाधान की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हैं। मनोसामाजिक सस्याओं के निदान और समाधान का जो नवीनतम तरीका विकसित हुआ है वह समाज कार्य है।

समाज कार्य का दर्शन

हर्बट बिस्नो ने समाजकार्य के दर्शन का विस्तृत वर्णन किया है, उन्होंने समाजकार्य दर्शन को चार क्षेत्रों में विभाजित किया है। व्यक्ति की प्रकृति के सन्दर्भ में समूहों, व्यक्तियों एवं समूहों

ISBN: 978-81-966699-2-8

और व्यक्तियों में आपसी सम्बंधों के सन्दर्भ में समाजकार्य की प्रणालियों एवं कार्यों के सन्दर्भ में सामाजिक कुसमायोजन एवं सामाजिक परिवर्तन के सम्बंध में।

व्यक्ति के सन्दर्भ मे –

1. व्यक्ति अपने अस्तित्व के कारण ही सुखवान है।
2. मानवीय पीड़ा अवांछनीय है। अतः इसको दूर किया जाना चाहिए, अन्यथा जहां तक संभव हो कम किया जाना चाहिए।
3. समस्त मानव व्यवहार जैविकीय अवयव तथा इसके पर्यावरण के अतः क्रिया का परिणाम है।
4. मनुष्य सम्भवतः विवेकपूर्ण कार्य नहीं करता है।
5. जन्म के समय मनुष्य अनैतिक तथा असामाजिक होता है।
6. मानव आवश्यकताएं वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार की होती हैं ।
7. मनुष्य में महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। अतः उन्हें अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए।
8. मानव सम्प्रेणा जटिल एवं अस्पष्ट होती है।
9. व्यक्ति के प्रारम्भिक विकास में पारिवारिक सम्बंधों का प्राथमिक महत्व होता है।
10. सीखने की प्रक्रिया में अनुभव एवं अवश्य पहलू है।

समाज कार्य का भारतीय दर्शन

भारत के इतिहास को यदि हम अवलोकन करें तो पता चलता है कि समाज के निर्माण के साथ–साथ समाज सेवा के कार्य में चलते रहे हैं। गरीबी असहायों तथा अपंगों की सहायता करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना गया है। वैदिक काल में सामंदायिक जीवन का विकास हुआ तथा सामूहिक सम्पत्ति की परम्परा हुई।

ऋग्वैदिक काल के उत्तरार्द्ध में पुरोहितों को एक कुशल समाज कार्यकर्ता के रूप में माना गया है। उपनिषद् एवं प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि प्राचीन समय दान देना, धर्मशालाएं बनवाना, सड़कें बनवाना तथा दीन–दुखियों की सहायता करना राजा का कर्तव्य होता था। व्यक्ति को सदैव महत्व दिया गया तथा उसकी पीड़ा को दूर करने में निरंतर प्रयास होते रहे। सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण साहित्य रामायण, महाभारत, गीता आदि से पता चलता है कि इस काल में व्यक्ति तथा समुदाय की भौतिक सहायता ही केवल सेवार्थी की सेवा नहीं थी।

ISBN: 978-81-966699-2-8

क्योंकि इससे हीनता एवं आश्रितता की भावना पनपने का भय था। इसलिए उन्हें किसी न किसी उद्योग में लगाना भी कर्तव्य समझा जाता था। न बौद्ध काल में समाजकार्य के भारतीय दर्शन की एक झलक मिलती है। विद्यार्थियों में अपने जीवनयापन के लिए स्वयं साधक दृढ़ होते थे। विद्यादान पर विशेष बल दिया जाता था। युवकों में धार्मिक मनोवृत्ति के विकास के लिए अनेक मठों, मन्दिरों तथा धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की गई थी। इस शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक सम्बंधों में सुधार करने के उद्देश्य से अनेक कार्य किये ।

समाज कार्य की आचार संहिता

समाज कार्य एक व्यवसाय है तथा प्रत्येक व्यावसायिक संगठन अपने व्यवसाय के अभ्यास कर्ताओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों व प्रतिबन्धों का सृजन करते हैं। जिनका पालन प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए लगभग अनिवार्य होता है। यह प्रतिबन्ध व नियम कार्यकर्ता को मनमाना व्यवहार करने से रोकता है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के व्यवहार क्रियाकलाप अभ्यास की प्रक्रिया आदि में एकरूपता लाने का प्रयास करता है। 1970 में अमेरिकन असोसिएशन ऑफ सोशल वर्क तथा नेशनल असोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स ने समाज कार्य के व्यवसायिक अभ्यास में समरूपता लाने के लिए एक आचार संहिता को ग्रहण करके उसे कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य कर दिया है। अमेरिका एवं अन्य देशों में उक्त संगठनों द्वारा सृजित व समाज द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के लिए एक निश्चित आचार संहिता का निर्माण किया गया है। जो कुछ–कुछ परिवर्तनों के साथ समाज कार्य के सभी क्षेत्रों में पालन करने के लिये बाध्य करती है। इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं में एकरूपता व व्यावसायिक व्यवहारों में समानता बनी रहती है।

भारत में सामाजिक कार्यकताओं के लिए पृथक से कोई आचार संहिता का निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि अमेरिका में ग्रहण की गई आचार संहिता को ही अपनया गया है। लेकिन भारत में व्यावसायिक संगठनों की अधिक सक्रिय व प्रभावशाली होने के कारण व्यावसायिक अभ्यास कर्ताओं पर कोई नियन्त्रण व अंकुश नहीं है। इस कारण अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता व्यवसाय के नियमों या आचार संहिता की पालना नहीं करते हैं एवं उन्हें इनके अनुरूप नियमों की पालना करने के लिए विवश भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी भारत में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता इन आचार संहिता के नियमों की अनुपालना कही न कही कर रहें हैं। इसलिए व्यवसाय की एक विशेषता के रूप में आचार संहिता को भारत में भी ग्रहण किया जा रहा है। अतः हम इसे व्यवसाय कह सकते हैं।

ISBN: 978-81-966699-2-8

13 अक्टूबर 1960 को नैशनल असोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स के एक सम्मेलन में निर्मित तथा 11 अप्रैल 1967 को संशोधित की गई आचार संहिता पाश्चात्य देशों में मान्य तथा भारत में प्रचलित आचार संहिता की आधार शिक्षा के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। अमेरिका के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सृजित निम्नलिखित आचार संहिता के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता के व्यवहार का एक मानदण्ड निर्धारित किया गया है, जिसके अनुरूप ही वह सेवार्थियों सह–कर्मियों, संस्थाओं तथा अन्य व्यावसायिक कार्यकर्ताओं एवं समुदाय के साथ व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करता है। आचार संहिता के प्रतिबन्धों का पालन करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर उन सिद्धान्तों को अपनाता है साथ ही आचार संहिता के वास्तविक सार के अनुरूप ही क्रियाकलाप निष्पादित करता है।

अमेरिका के समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं पर व्यवसायिक प्रतिबन्ध है कि वे आचार संहिता को निम्नलिखित शब्दों के साथ ग्रहण करते हुए अपनाने की शपथ लें। नैशनल असोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स के एक सदस्य के रूप में, मैं अपने आप को, आचार संहिता के अनुरूप व्यावसायिक सम्बन्धों स्थापन के लिए प्रतिबन्धित करता हूँ तथा आचार संहिता स्वरूप निम्नलिखित वक्तव्यों को उच्चारित करता हूँ –

1. मै सेवार्थी व्यक्ति अथवा समूह के साथ साथ सामाजिक परिस्थितियों के विकास सम्बन्धी क्रिया को अपना प्राथमिक आधारभूत उत्तरदायित्व समझता हूँ।
2. मैं प्रजाति, रंग, धर्म, आयु, यौन अथवा पूर्व पीढ़ी–राष्ट्रीयता के कारण भेद भाव नहीं करूंगा तथा मेरी कार्य क्षमता सेवा प्रदान करने कार्य निर्धारित करने तथा रोजगार सम्बन्धी अभ्यासों में उपस्थित भेद भाव का निवारण करेगी तथा उत्पन्न होने से बचाएगी।
3. मै अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पर व्यवसायिक उत्तरदायित्व को वरियता देता हूँ।
4. मैं अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा कार्य के गुण एवं विस्तार के प्रति अपने आपको दायित्वाधीन समझता हूँ।
5. मैं सेवार्थी की गोपनीयता को आदर देता हूँ।
6. मैं व्यावसायिक सम्बन्धों द्वारा संकलित तथ्य का उपयोग उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से करता हूँ।
7. मैं सह कार्यकर्ताओं क्रियाओं, विचार–धाराओं तथा उपलब्धियों को आदर देता हूँ तथा इन मामलों पर निर्णय देने में उचित ढंग व साधन का उपयोग करता हूँ।
8. मैं मान्य व्यावसायिक ज्ञान एवं सक्षमता की सीमा में समाजकार्य अभ्यास करता हूँ।

ISBN: 978-81-966699-2-8

9. मैं अपने विचारों एवं उपलब्धियों को समाज कार्य ज्ञान एवं अभ्यास में जोड़ने को अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्व के रूप में मान्यता देता हूँ।
10. मैं, समाज कल्याण क्रियाओं में व्यस्त व्यक्तियों अथवा संगठनों द्वारा किए जाने वाले अनैतिक अभ्यासों से सुरक्षा में सहायता करना अपना दायित्व स्वीकार करता हूँ।
11. मैं सार्वजनिक आपातों में समुचित व्यावसायिक सेवा हेतु सदा तैयार रहता हूँ।
12. मैं व्यक्तिगत तथा किसी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में अपने वक्तव्यों के बीच जनता में स्पष्ट भेद समझता हूँ।
13. मैं, इस सिद्धान्त का समर्थक हूँ कि व्यावसायिक अभ्यास के लिए व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता होती है।
14. मैं, संस्थाओं की उन दशाओं की पुष्टि एवं देख रेख हेतु कार्य करने के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूँ जो सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस संहिता के अनुरूप आचार करने के योग्य बनाती है।
15. मैं, मानव कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को समर्थन तथा अपने ज्ञान कौशल (निपुणता) से योगदान देता हूँ।

आचार संहिता

प्रत्येक व्यवसाय के कुछ विशिष्ट नियम, प्रतिबन्ध, आदर्श एवं व्यवहार करने की निश्चित सीमा और परिधि होती है, जिसे आचार संहिता कहते हैं। जिसके आधार पर प्रत्येक व्यावसायिक कार्यकर्ता निश्चित आदर्शों एवं प्रतिमानों से नियन्त्रित होकर व्यवहार करता है। आचार संहिता से व्यवसायिक कार्यकर्ता के मनमाने ढंग से व्यवसायिक क्रियाकलापों के निष्पादन पर नियन्त्रण स्थापित होता है। अलग–अलग व्यवसाय की आचार संहिता उनके कार्य क्षेत्र व उद्देश्य के अनुसार भिन्न–भिन्न होती है, परन्तु समाज कार्य भी एक व्यवसाय है तथा व्यवसाय होने के नाते इसकी भी अपनी आचार संहिता है। अमेरिकन असोसिएशन ऑफ वर्कर्स ने एक आचार संहिता का निर्माण किया है जिसका पालन करना सभी व्यवसायिक समाज कार्यकताओं के लिए अनिवार्य है। नेशनल असोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स ने भी इसी आचार संहिता को ग्रहण किया है।

कॉस ने समाज कार्य के 10 मूल्य बताएं है : –

1. व्यक्ति की योग्यता और महत्ता में विश्वास।

ISBN: 978-81-966699-2-8

2. व्यक्ति के क्षमतानुसार सर्वोच्च प्राप्त करने की योग्यता में विश्वास ।
3. असमानताओं या विभिन्नताओं के प्रति सहनशक्ति।
4. मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि ।
5. प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय लेने की स्वतंत्रता ।
6. आत्म निर्देशन
7. अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति ।
8. रचनात्मक, सामाजिक सहयोग।
9. खाली समय का रचनात्मक उपयोग तथा कार्य की महत्ता ।
10. व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा मानव एवं प्रति जनित खतरों से किया जाना।

उपरोक्त वर्णन के आधार पर समाज कार्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है तथा इससे स्पष्ट है कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जबकि समाज सेवा स्वेच्छा एवं हित की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है। समाज सेवा के अपने कोई मूल्य, मान्यतायें नहीं है क्योंकि यह वैज्ञानिक विधि पर आधारित नहीं है।

समाज कार्य में नैतिक दायित्व

एक दायित्व कार्रवाई का एक कोर्स है जिसे किसी को लेने की आवश्यकता होती है, चाहे वह कानूनी हो या नैतिक। दायित्व बाधाएं हैं। वे स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। जो लोग दायित्वों के अधीन हैं। वे दायित्वों के तहत स्वतंत्र रूप से कार्य करना चुन सकते हैं। दायित्व तब मौजूद होता है, जब नैतिक रूप से अच्छा और नैतिक रूप से अस्वीकार्य क्या करने का विकल्प होता है। अन्य मानक संदर्भों में भी दायित्व हैं, जैसे शिष्टाचार, सामाजिक दायित्वों, धार्मिक और संभवतः राजनीति के संदर्भ में, जहाँ दायित्व आवश्यकताएँ हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। ये आम तौर पर कानूनी हैं। दायित्वों, जो गैर–पूर्ति के लिए जुर्माना लगा सकते हैं, हालांकि कुछ लोग अन्य कारणों से भी कुछ कार्यों को करने के लिए बाध्य हैं, चाहे परंपरा के रूप में या सामाजिक कारणों से।

दायित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैंः उदाहरण के लिए, एक राजनीतिक पद धारण करने वाले व्यक्ति के पास आमतौर पर एक औसत वयस्क नागरिक की तुलना में कहीं

ISBN: 978-81-966699-2-8

अधिक दायित्व होंगे, जो स्वयं एक बच्चे की तुलना में अधिक दायित्व होंगे। दायित्व आमतौर पर किसी व्यक्ति के अधिकारों या शक्ति में वृद्धि के बदले में दिए जाते हैं।

एक दायित्व एक व्यक्ति और उस चीज या व्यक्ति के बीच अनुबंध है, जिसके लिए या जिसके लिए वे बाध्य हैं। यदि अनुबंध का उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति को दोष दिया जा सकता है। एक दायित्व में प्रवेश करते समय लोग आमतौर पर उस अपराध बोध के बारे में नहीं सोचते हैं जो वे अनुभव करेंगे। इसके बजाय वे सोचते हैं कि वे दायित्व को कैसे पूरा कर सकते हैं। तर्कवादियों का तर्क है कि लोग इस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। क्योंकि उनके पास दायित्व को पूरा करने का एक कारण है। स्वीकृति सिद्धांत के अनुसार, एक दायित्व उन सामाजिक दबावों से मेल खाता है जो एक व्यक्ति महसूस करता है। यह किसी अन्य व्यक्ति या परियोजना के साथ एक विलक्षण संबंध से उत्पन्न नहीं होता है। तर्कवादी तर्क में, यह वही दबाव लोगों के कारणों को जोड़ता है, जिससे दायित्व को पूरा करने की उनकी इच्छा मजबूत होती है। स्वीकृति सिद्धांत कहता है कि नैतिक कर्तव्य होने के लिए कर्तव्य के लिए स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

सामाजिक न्याय

'सामाजिक न्याय' शब्द का प्रयोग पहली बार 1840 में इटली के एक पादरी लुइगी तपारेली द एजेंग्लिओ द्वारा किया गया था, जबकि इस शब्द को पहचान 1848 में एंटोनियो रोस्मिनी सरबाली ने दिलाई। आधुनिक काल में जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन जैसे विचारकों ने 'सामाजिक न्याय' को एक प्रमुख अवधारणा बना दिया है, साथ ही वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य का मूल लक्ष्य भी 'सामाजिक न्याय' की स्थापना करना ही है। सामाजिक न्याय से आशय एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक–आर्थिक विषमताएँ न्यूनतम हों, समाज 'समावेशी' हो और संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर हो।

सामाजिक न्याय का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना है। समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी आवश्यक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है और यहाँ सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य लैंगिक, जातिगत,

ISBN: 978-81-966699-2-8

नस्लीय एवं आर्थिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों की मूलभूत अधिकारों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच प्राथमिकता को लेकर विवाद रहा है। 20वीं सदी में सामाजिक न्याय' की अवधारणा के तीव्र विकास के साथ ही उपरोक्त दोनों मूल्यों में व्याप्त भिन्नता और भी अधिक स्पष्ट हुई है। अतः एक ओर जहाँ पश्चिमी पूंजीवादी देशों ने अपनी संवैधानिक योजना में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रमुखता दी, वहीं दूसरी ओर, समाजवादी देशों ने सामाजिक न्याय को सर्वप्रमुख माना। जबकि, समकालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने प्रमुखतया उदारवादी लोकतंत्र को अपनाते हुए 'सामाजिक न्याय व व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के मध्य बेहतरीन सामंजस्य स्थापित किया है। भारतीय राजव्यवस्था में उदारवादी राजनीतिक लोकतंत्र के साथ–साथ समाजवादी आदर्शों को भी अपनाया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए ही संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय' का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' और 'सामाजिक न्याय में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और भाग चार में राज्य के नीति–निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया है।

'सामाजिक न्याय' शब्द को कठोर प्रतियोगिता के विरुद्ध कमजोर, वृद्धों, दीन–हीनों, महिलाओं, बच्चों और अन्य सुविधा वंचितों को राज्य द्वारा संरक्षण के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत एक विषमतामूलक समाज के 'सर्वसमावेशी समाज' के रूप में परिवर्तन में एक मार्गदर्शक का कार्य करता है।

सामाजिक न्याय की अवधारणा बदलती रही है। पूर्व में जो सामाजिक न्याय समझा जाता था। आज वह सामाजिक अन्याय हो गया है। एक देश में जो सामाजिक न्याय माना जाता है, दूसरे देश में वह सामाजिक अन्याय हो सकता है। एक धर्म जिसे सामाजिक न्याय मानता है, दूसरा धर्म उसे सामाजिक अन्याय मान सकता है। ज्योज्यों समाज आगे बढ़ता जायेगा समाज का विकास होगा। सामाजिक न्याय की अवधारणा भी परिवर्तित होती जायेगी।

प्लेटो ने ऐसे समाज की कल्पना भी नहीं की थी जो दासता से मुक्त हो। प्लेटो के अनुसार दासता समाज का एक अभिन्न अंग है। पहले सामाजिक न्याय का दासता थी। आज समाज

ISBN: 978-81-966699-2-8

में दासता नजर नहीं आती प्रत्यक्ष रूप से दास प्रथा की समाप्ति हो चुकी है। वर्तमान में सामाजिक न्याय का समानता है। वर्तमान समाज में समस्त गतिविधियां समानता पर केन्द्रित है।

पूंजीवादी समाज में श्रमिक स्वतन्त्र नहीं है। साम्यवाद में एक ऐसे समाज की कल्पना की गई है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को स्वतन्त्र समझे एवं दूसरे व्यक्ति उसके अधिकारों का हनन न करें। जाति प्रथा पहले अन्याय नहीं थी। निम्न वर्ग के लोग भी इसे अन्याय नहीं मानते थे। वे इसे ईश्वरीय कृपा मान कर स्वीकार करते थे। यदि उत्पादन के आधार पर सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया जाये तो उत्पादन का समाज में समान वितरण सामाजिक न्याय कहलायेगा, लेकिन यदि इसे व्यवहारिक रूप से लिया जाये और उत्पादन का समान वितरण किया जाये तो प्रति व्यक्ति प्राप्ति अत्यन्त कम होगी एवं उपभोग हेतु उसकी मात्रा अत्यन्त कम होगी। उपभोग के आधार पर यदि विश्लेषण किया जाये तो एक विशेष स्तर के लोगों का उपभोग ज्यादा है, क्योंकि वे परिष्कृत वस्तु ग्रहण करते हैं जिससे अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। वर्तमान समय में सत्ता जन सहयोग द्वारा प्राप्त होती है। आज पुरानी मान्यतायें बदल गई हैं। आज कानून सबको एक नजर से देखता है। कानून में कोई भेदभाव नहीं एक अपराध के लिये समस्त जाति के लोगों में समान सजा का प्रावधान है। यह विधिक न्याय (legal Justice) है। इस प्रचलित मान्यताओं के अनुसार समाज जिस व्यवहार को सामाजिक अन्याय मानता है, उसे न करने की व्यवस्था एवं प्रक्रिया ही सामाजिक न्याय है।

वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में समानता पर विशेष बल दिया जाता है। असमानता का न होना ही न्याय है। किन्तु असमानता दो प्रकार की होती है –

- प्राकृतिक असमानता।
- सामाजिक असमानता।

कुछ असमानता प्रकृति प्रदत्त है, जैसे कोई लंबा है, कोई छोटा है या कोई मोटा है, कोई पतला है। इसी प्रकार स्त्री एवं पुरुष प्राकृतिक रूप से भिन्न–भिन्न है। प्राकृतिक असमानता हम समाप्त नही कर सकते हैं। सामाजिक असमानता वह भेद–भाव है। जिसे समाज ने बनाया

ISBN: 978-81-966699-2-8

है, जैसे अस्पृश्यता एवं स्त्री होने के कारण शिक्षा का अधिकार न होना। समाज द्वारा किए गए इस प्रकार के अन्याय को दूर करना ही सामाजिक न्याय है। भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विभिन्न प्रकार की सामाजिक कल्याण योजनायें इत्यादि के रूप में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।

मानवाधिकार उन्मुखीकरण

'मानव अधिकार वे न्यूनतम अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को इसलिये प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। मानव अधिकारों की धारणा मानव गरिमा की धारणा से जुड़ी है। अतएव जो अधिकार मानव गरिमा को बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं, उन्हें मानव अधिकार कहा जा सकता है।

इस प्रकार मानव अधिकारों की धारणा न्यूनतम मानव आवश्यकताओं पर आधारित है। इनमें से कुछ शारीरिक जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए हैं और अन्य मानसिक जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए हैं। यद्यपि मानव अधिकारों की संकल्पना उतनी ही पुरानी है, जितनी कि प्राकृतिक विधि पर आधारित प्राकृतिक अधिकारों का प्राचीन सिद्धान्त, तथापि मानव अधिकारों पद की उत्पति द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय चार्टरों और अभिसमयों से हुई। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् व्यक्तियों की स्थिति में रूपान्तरण हुआ जो समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विकास है। मानव अधिकार राज्यों के अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय विधि से उत्पन्न अधिकारों और कर्तव्यों से युक्त होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय हो गया है। जबकि कतिपय नियम प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की स्थिति और कार्यकलाप के विनियमन से सम्बन्धित हैं, कतिपय अन्य प्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित करते हैं। 'मानव अधिकारों पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमरीकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 16 जनवरी, 1941 में कांग्रेस को संबोधित अपने प्रसिद्ध संदेश में किया था जिसमें उन्होंने चार मर्मभूत स्वतंत्रताओं पर आधारित विश्व की घोषणा की थी। इनको उन्होंने इस प्रकार सूचीबद्ध किया था –

- वाक् स्वतंत्रता,
- धर्मस्वतंत्रता

ISBN: 978-81-966699-2-8

- गरीबी से मुक्ति और
- भय से स्वातंत्रता ।

संदेश के अनुक्रम में राष्ट्रपति ने घोषणा किया कि ''स्वातंत्रय से हर जगह मानव अधिकारों की सर्वोच्चता अभिप्रेत है। हमारा समर्थन उन्हीं को है, जो इन अधिकारों को पाने के लिए या बनाये रखने के लिए संघर्ष करते हैं। मानव अधिकारों पद का प्रयोग फिर अटलांटिक चार्टर में किया गया था। तदनुरूप मानव अधिकारों का लिखित प्रयोग संयुक्त राष्ट्र चार्टर में पाया जाता है, जिसको द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् सैनफांसिस्कों में 25 जून, 1945 को अंगीकृत किया गया था। उसी वर्ष के अक्टूबर माह में भारी संख्या में हस्ताक्षरकर्ताओं ने इसका अनुसमर्थन कर दिया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की उद्देशिका में घोषणा की गयी अन्य बातों के साथ–साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद–1 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किये बिना मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना होंगे।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया। इस घोषणा से राष्ट्रों को प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और वे इन अधिकारों को अपने संविधान या अधिनियमों के द्वारा मान्यता देने और क्रियान्वित करने के लिए अग्रसर हुए। इस घोषणा पत्र में कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार तथा बालकों एवं स्त्रियों इत्यादि के अधिकारों का प्रावधान है।

सारांश (Summary)

इस इकाई के अंतर्गत समाज कार्य की अवधारणा, दर्षन, आचार संहिता, समाज कार्य में निहित्त मूल्य एवं नैतिक दायित्वों व सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार को समझ सकेंगे। प्रत्येक व्यवस्था का कोई न कोई मूल्य होता है, आचार संहिता होती है। जैसे– चिकित्सा विज्ञान, विधि विज्ञान इत्यादि। मूल्य एवं आचार संहिता सामाजिक कार्यकर्ता ने नवीन दृष्टिकोण प्रदान कर व्यक्तित्व को परिपक्व बनाने का प्रयास करते हैं।

ISBN: 978-81-966699-2-8

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- **मानव अधिकार** – किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार ही मानव अधिकार है। मनुष्य योनि में जन्म होने के साथ मिलने वाला प्रत्येक अधिकार मानव अधिकार की श्रेणी में आता है।

- **प्राकृतिक असमानता** – प्राकृतिक असमानताएँ लोगों की जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है। प्राकृतिक भिन्नताओं को बदला नही जा सकता है।

- **ट्रान्सजेन्डर (परलैंगिक व्यक्ति)** – यह वह व्यक्ति होते हैं जो जन्म के समय एक महिला जेन्डर के तौर पर पहचाने गए हो, लेकिन बाद में पुरूष के रूप में पहचान होता है अर्थात जो न पूरी तरह से पुरूष है और न पूरी तरह से महिला।

- **समाजिक असमानता** – सामाजिक असमानता तब होती है जब समाज में दिए गए संसाधनों का असमान रूप से वितरण किया जाता है। सामाजिक असमानता संरचनात्मक कारणों की एक श्रंखला से आकार लेती है।

- **अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति** – अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति अभिप्राय यह है कि किसी सेवार्थी की समस्या के कारक कोई भी हो, सेवार्थी की सहायता करने में यद्यपि उसकी असफलताओं तथा कमियों को जानना आवश्यक होता है, लेकिन इसमें निर्णय लेने का अधिकार सामाजिक कार्यकर्ता का नहीं होता है, बल्कि निर्णय लेने का अधिकार दूसरे अधिकारियों को होता है।

स्व–मूल्यांकन (Self-Assesment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long answer type questions)**

1. समाज कार्य के दर्शन को लिखें।
2. समाज कार्य की आचार संहिता को लिखें।
3. संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लिखें।

ISBN: 978-81-966699-2-8

4. समाज कार्य में नैतिक दायित्वों को लिखें।
5. मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को लिखें।

- **लघु उत्तरीय प्रश्न (Short answer type questions)**

1. प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता के गुणों को लिखें।
2. मानवाधिकार की अवधारणा स्पष्ट करें।
3. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएँ क्या हैं?
4. घृणापूर्ण भाषण क्या है?
5. धार्मिक स्वतंत्रता से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान लिखें।

- **अति लघुउत्तरीय/वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Very short/ Objective type questions)**

1. प्राकृतिक असमानता क्या है?
2. सामाजिक असमानता क्या है?
3. मानवाधिकार क्या है?
4. ट्रान्सजेन्डर कौन हैं?
5. जाति प्रथा के दोषों को लिखें।

प्रदत्त कार्य (Assignment)

1. पिछले 10 वर्षो में आपके गॉव में किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन हुआ है? लिखें।
2. मठ/मन्दिर एवं धार्मिक संस्थाओं के कार्य लिखें।
3. मध्यप्रदेश में कार्यरत किसी वरिष्ठ समाज सेवी के जीवन विवरण एवं कार्यो को लिखें।
4. व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है? लिखे।
5. सामाजिक परिवर्तन को लिखे।
6. आप अपने क्षेत्र किसी तीन ऐसे तीन व्यक्तियों के कार्यो के बारे में लिखे जो समाज सेवा के क्षेत्र में आपके लिए प्रेरणा स्रोत हो।

ISBN: 978-81-966699-2-8

7. आप अपने गॉव में सामाजिक न्याय की स्थापना कैसे करेंगे?

8. ट्रान्सजेन्डर (किन्नर) के कानूनी अधिकारों को लिखें।

संदर्भ (References)

मुद्रित संदर्भ :

- महात्मा गाँधी – ग्राम स्वराज, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद–14।
- गुप्ता, निमिषा पाण्डे, बंशीधर – **समाज कार्य एवं सामाजिक न्याय**, अल्टर नोट्स प्रेस, हजरत मोहनी लेन, जामिया नगर, नई दिल्ली–25।
- थोटे, डॉ. पुरुषोत्तम – **समाज कार्य : सिद्वांत, तत्व ज्ञान एवं मनोविज्ञान,** रजिस्टार, पुरुषोत्तम थोटे समाजकार्य महाविद्यालय, नरसाधन रोड, नागपुर।
- दुबे, डॉ. प्रीति – **भारत मं समाज कार्य**, कैलाश पुस्तक सदन, हमीदिया मार्ग, भोपाल–001।
- शास्त्री, राजाराम – **समाज कार्य**, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

वेब संदर्भ :

- https://www.esvvf.com/%E0%A4%B8%E0%A4%AE-%E0%A4%9C-%E0%A4%95-%E0%A4%B0-%E0%A4%AF
- https://hindimein.net/2021/05/social-work-kya-hai-hindi/

ISBN: 978-81-966699-2-8

इकाई–4 : समाज कार्य के लक्ष्य

उद्देश्य :–

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि

- समाज कार्य के उद्देष्यों के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति कैसे होगी। इसे समझा सकेंगे।
- समाज एवं व्यक्ति के कल्याण हेतु कौन–कौन से लक्ष्य आवष्यक हैं। इनका विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे।
- लक्ष्यों को समझकर उनकी प्राप्ति हेतु समाज कार्यकर्ता को कैसे कार्य करना है। उसका निर्धारण कर सकेंगे।
- लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समाज मनोविज्ञानिक प्रयासों एंव दृष्टिकोणों को समझा सकेंगे।

समाज कार्य एक सहायतामूलक व्यवासायिक सेवा है। इसका संबंध ऐसे व्यक्तियों की सहायता करने से हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है जिससे वे अपनी समस्याओं का हल स्वयं कर सके एवं स्वयं सक्षम बन सके। समाज कार्य मानव से संबंधित है। वह समाज की समस्याओं के समाधान को कम करने का प्रयास करता है। समाज कार्य मानव समाज की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न सामाजिक एवं व्यवहारिक विज्ञानों से ज्ञान सिद्धांत एवं कुशलताओं को ग्रहण करता है। उनका उपयोग अपने से भारतीयों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निदान एवं समाधान में करता है समाज कार्य की विषय वस्तु समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, जीव विज्ञान, मनोरोग विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान सभी से लिया गया है। यह सभी विद्या उपागम मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान को समझने में सहायक हैं।

इस प्रकार सामाजिक कार्यकर्ता समाज कार्य व्यवसाय में अंतर्निहित ज्ञान एवं कुशलताओं के आधार पर सामाजिक समस्याओं का बहुआयामी समाधान करता है। प्रमुख रूप से समाज कार्य के द्वारा चार क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की जाती है। जिनके अपने विशिष्ट सामाजिक स्रोत भी हैं। जैसे शारीरिक संबंधित समस्याओं के लिए – उपचारात्मक प्रकार्य, समाजिक संस्कृति के समस्याओं के लिए सुधारात्मक प्रकार्य, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के क्षेत्र में पुनर्वासन से संबंधित

ISBN: 978-81-966699-2-8

सेवाएं तथा विकासात्मक क्षेत्र में कार्य करने के लिए निरोधात्मक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार से इन सभी क्षेत्रों को समाज कार्य के प्रमुख प्रकार्य के रूप में देखा जा सकता है–

1. **सुधारात्मक**– समाज कार्य व्यवसाय में व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले संबंधों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यदि व्यक्ति का अपने पर्यावरण के साथ अंतः क्रियात्मक संबंध ठीक है तो वह समायोजन का अनुभव करेगा अन्यथा उसे सामाजिक भूमिकाओं के निर्वाह में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समाज कार्य के द्वारा विचलन पूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार में आवश्यक सुधार लाकर उनकी अंतः क्रिया करने की क्षमता में वृद्धि की जाती है। उन्हें समाज के अनुसार व्यवहार करने के लायक बनाया जाता है।

   समाज कार्य के द्वारा सुधारात्मक कार्य प्रमुखतः अपराधी सुधार संस्थाओं में किया जाता है, जहां पर वैयक्तिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्य रूप से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता का दायित्व संवासियों में संतोषजनक समायोजन उत्पन्न करने के साथ–साथ उन्हें पुनर्वास के लिए तैयार करना भी है।

   वस्तुतः सुधार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधुनिक समाज कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों की मनोवृतियों में परिवर्तन लाने तथा उनकी जीवन–शैली को सामाजिक नियमों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है। सुधारात्मक समाज कार्य के अंतर्गत व्यक्ति के विचलित व्यवहार एवं दृष्टिकोण में ऐसी सहायक प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन लाने का कार्य भी किया जाता है, जो उसके व्यक्तिगत समायोजन में सहायक सिद्ध होता है। इसके माध्यम से अपराधी व्यक्ति के पर्यावरण एवं परिस्थितियों में परिवर्तन तथा संशोधन द्वारा तथा अनेक प्रकार के निरोधात्मक एवं सुधारात्मक साधनों की उपलब्ध करवाकर उन में परिवर्तन लाते हैं। सुधारात्मक समाज कार्य उन व्यक्तियों को सामाजिक आचरणों के पालन करने में सहायता देती है जो विचलन पूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता अन्य सुधार कार्यकर्ताओं, मनोवैज्ञानिकों एवं मनोचिकित्सकों के साथ मिलकर कार्य करता है। कार्यकर्ता के द्वारा विचलन पूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के बारे में जांच पड़ताल करके उनके सामाजिक आर्थिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में

ISBN: 978-81-966699-2-8

ऐसी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिससे अपराधी सुधार संस्थाओं के अधिकारी किसी सुधारवादी निर्णय को ले सकें।

इन लक्ष्यों के अंतर्गत समाज कार्य से संबंधित सुधार, पुनर्वास एवं कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ कामगार सुधार सेवाएं, पररिवीक्षा एवं कारावास, बंदियों को रोजगार प्रशिक्षण बंदियों की रिहाई के बाद पुनर्वास इत्यादि सेवाएं इस श्रेणी में रखी जाती हैं। इसी भांति अधिकांश विद्वानों का अब यह मत है कि अपराध नहीं वरन अपराधी महत्वपूर्ण है। इसलिए वे अपराधी के पुनर्वास में विश्वास रखते हैं। इस दृष्टि से निर्मित दंड का सुधारात्मक सिद्धांत अधिक पुराना सिद्धांत नहीं है। इसी सिद्धांत के अनुसार जेल सुधारों के कार्यक्रम बनाए गए हैं। जिसमें अपराधी को प्रत्येक प्रकार से एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वह नष्ट ना हो। बल्कि समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में कार्य करता रहे। यही दंड की सच्ची अपील एवं नैतिक दृष्टिकोण है। सेथना का कहना है कि अपराधी को यह ज्ञात करा देना चाहिए कि दंड वास्तव में उसे उचित ही दिया गया है जो कि सुधार तभी हो सकता है। जबकि अपराधी स्वयं दिल व दिमाग से स्वीकार कर लें। व्यक्ति को अपराधी बनाने में सामाजिक परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए सुधारात्मक विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि अपराधी को सुधारने एवं उसका पुनर्वास करने का दायित्व भी समाज का ही है। सुधार सेवाओं के अंतर्गत ही परिवार कल्याण, विद्यालय, समाज कार्य एवं औद्योगिक समाज कार्यों का निरूपण किया जा सकता है। रोजगार संबंधित सेवाएं, वेश्यावृत्ति एवं मद्यपान निवारण कार्य भिक्षावृत्ति निवारण कार्य दहेज उन्मूलन संबंधित कार्यों तथा समाज के एकीकरण को प्रोत्साहित करने से संबंधित सेवाओं को भी सुधार सेवा ही कहा जाता है। विस्थापितों का पुनर्वास इसी श्रेणी का समाज कार्य है।

2. **उपचारात्मक** – इन कार्यों के अंतर्गत समस्या की प्रकृति के अनुसार चिकित्सा सेवाएं स्वास्थ्य सेवाओं मनोचिकित्सा एवं मानसिक आरोग्य से संबंधित सेवाओं, अपंग एवं निरोग संबंधित व्यक्तियों के लिए सेवाओं तथा पुनः स्थापना संबंधित सेवाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे– चिकित्सा संबंधित कल्याणकारी कार्य तथा विद्यालय संबंधित समाज कार्य आदि। **उपचारात्मक लक्ष्य** – इन लक्ष्यों के अंतर्गत समस्या की प्रकृति के

ISBN: 978-81-966699-2-8

अनुसार उपचारात्मक कार्यों को सम्मिलित किया जाता है ताकि समस्या से ग्रसित व्यक्ति या समूह का उपचार हो सके। उदाहरणार्थ – चिकित्सीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोचिकित्सकीय से एवं मानसिक आरोग्यता से संबंधित सेवाएं तथा अपंग एवं निरोग व्यक्तियों के लिए सेवाएं उपचारात्मक सेवा में ही हैं। समाज कार्य के उपचारात्मक लक्ष्यों का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं को समाप्त करना है तथा इन से ग्रसित लोगों का सुधार करना है। इस लक्ष्य हेतु प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है जो समस्या को समझ कर अनुकूल उपचार कर सके। सेवार्थी की समस्या का उपचार सामान्यतः दो प्रकार से होता है – प्रथम व्यक्तिक समाज कार्यकर्ताओं द्वारा सेवार्थी के पर्यावरण और शोधन द्वारा तथा धोती व्यक्तिक समाज कार्य साक्षात्कार के माध्यम से स्वयं सेवार्थी में परिवर्तन लाकर। पहले में सेवार्थी के बाहरी प्रभाव को कम करने अथवा उन साधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है जिससे उसकी जीवन पद्धति में परिवर्तन हो सके दूसरे में सहायक उपचार सेवार्थी की चिंताओं एवं शक्तिहीनता को कम करने का प्रयास किया जाता है ।

3. **पुनर्वासन लक्ष्य** – इस लक्ष्य के अन्तर्गत समाज कार्य से संबंधित पुनर्वासन के कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है । अर्थात इस दृष्टि से निर्मित कार्य जैसे बंदियों को रोजगार प्रशिक्षण आदि बंदियों को रिहाई के बाद पुनर्वासन का दायित्व समाज कार्य का है। जिससे समाज सुधार सेवा ही पुनर्वासन सेवा है।

4. **संवर्धनकारी लक्ष्य** – समाज कार्य में अभिप्राय एवं महत्व किसी भी संगठन में कार्यरत कार्मिकों की कार्यकुशलता उनकी संतुष्टि तथा मनोबल के स्तर से भी प्रभावित होती है। जो संवर्धनकारी होता है जिससे पदोन्नति अर्थात् 'पद की उन्नति' आधुनिक कार्मिक प्रशासन का महत्वपूर्ण आयाम है। पदोन्नति, पद, स्तर सम्मान में वृद्धि करने या योग्यता के आधार पर आगे बढने से सम्बद्ध है।

5. **विकासात्मक** – विकासात्मक प्रकार्यों के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता समुदायों के लिए विकास संबंधित कार्यक्रमों को बनाने में उनकी मदद करते हैं। वे समुदाय को अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों की व्यवस्था करने और

ISBN: 978-81-966699-2-8

आवश्यकता एवं संसाधनों में उचित सामाजिक स्थापित करने में मदद करते हैं। इन प्रकार्यों में प्रमुखतः विकास एवं रोजगार से संबंधित कार्यक्रमों का निर्माण कराना एवं उनका संचालन कराना समेकित है। जैसे– युवाओं व महिलाओं के लिए रोजगार परक व्यवसायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन करना समुदाय आधारित पेयजल बनाना, ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग संबंधित कार्य आदि। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों तथा उत्पादकता की दर में वृद्धि करने, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने को आर्थिक लाभों का साम्यपूर्ण वितरण करने, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने इत्यादि तथा सामाजिक उन्नयन के अनेक कार्यक्रमों में पेयजल, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधित सेवाएं सेवायोजन संबंधित सेवाएं, मनोरंजन संबंधित सेवाएं को सम्मिलित किया जाता है। वस्तुतः एक व्यवहारात्मक विषय होने के नाते समाज कार्य का लक्ष्य समाज का विकास तथा लोगों का उन्नयन करना भी है।

6. **रूपान्तकारी लक्ष्य** – समाज कार्य अन्तर्गत रूपान्तकारी प्रेम स्वरूप की महत्वाकांक्षी शक्ति है। जो भारतीय राजनीति आज एक कशमकश व रूपांतरकारी प्रक्रिया से गुजर रही है। "सर्वांगीण, रूपांतरकारी एवं नवीकृत शिक्षा के माध्यम से नेताओं का निर्माण" करना है।

7. **निरोधात्मक – निरोधात्मक लक्ष्य** – सुप्रसिद्ध कहावत है कि ''उपचार या सुधार से निरोध श्रेष्ठतर है''। इसलिए इन कार्यों के अंतर्गत उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, जिनसे समस्या मूलक परिस्थितियाँ विकसित ही ना हो। सामाजिक नीतियों, सामाजिक अधिनियमों, जन–चेतना उत्पन्न करने से संबंधित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों विभिन्न प्रकार के कल्याण संबंधित कार्यक्रमों तथा नाना प्रकार की समाज सुधार सेवाओं को समाज कार्य के निरोधात्मक लक्ष्य माना जाता है। अपराध का निरोधार्थ दंड सिद्धांत दंड का सही उद्देश्य समाज से अपराध का निरोध करना मानता है। 'अपराध निरोधक' एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें एक ओर अपराधी का सुधार हुआ पुनर्वास सम्मिलित है तो दूसरी ओर नए अपराधों की रोकथाम निहित है। इस दृष्टिकोण से प्रतिपादकों का मत है कि दंड अपराध निरोध के व्यापक प्रोग्राम का एक अंग है। दण्ड इस प्रकार दिया जाना

ISBN: 978-81-966699-2-8

चाहिए कि अपराधी का उपचार व सुधार हो वह अपने कुकृत्य का प्रायश्चित करें तथा समाज में उसका पुनर्वास हो सके। जिससे अन्य व्यक्तियों को भी अपराध न करने की प्रेरणा मिले।

निरोधात्मक प्रकार्य से आशय उन परिस्थितियों का निषेध करना है। जो व्यक्ति के जीवन में सामाजिक आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न करती है या कर सकती है। निरोधात्मक प्रकार्यों के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जीवन में हस्तक्षेप करके उन्हें ऐसी परिस्थितियों के प्रति सावधान एवं जागरूक किया जाता है। जो उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है या कर सकती है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा समुदायों में निरोधात्मक सेवाओं का संचालन किया जाता है। जैसे– लोगों को स्वास्थ्य रक्षा हेतु साफ–सफाई एवं स्वच्छता की जानकारी देना, टीकाकरण कार्यक्रम को समुदाय में लागू करवाना, शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों का लाभ दिलवाना आदि।

सांराश (Summary)

इस इकाई में विभिन्न बिंदुओं में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि समाज कार्य किसा प्रकार इस व्यवसाय में अंतर्निहित ज्ञान एवं कुषलताओं के आधार पर सामाजिक समस्याओं का बहुआयामी समाधान प्रस्तुत करता है। जैसे– षरीर से संबंधित समस्याओं के लिए उपचारात्मक कार्य, सामाजिक संस्कृति की समस्याओं के लिए सुधारात्मक कार्य, मनोवैज्ञानिक समस्याओं हेतु पुनर्वासन से संबंधित कार्य, विकासात्मक क्षेत्र में कार्य करने के लिए निरोधात्मक सेवायें प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार आप समाज कार्य के सहायतामूलक स्वरूप को समझ सकेंगे।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- **हिस्टोरिया** – हिस्टीरिया अवचेतन अभिप्रेरषा का परिणाम है। अवचेतन अन्तर्द्वन्द से चिन्ता उत्पन्न होती है और चिन्ता विभिन्न शारीरिक, शरीर क्रिया सम्बन्धी एवं मनोवैज्ञानिक लक्षणों में परिवर्तित हो जाती है। शरीर के किसी अंग में ऐंठन, थरथराहट,

ISBN: 978-81-966699-2-8

बोलने की आपत्ति का नष्ट होना, निगलने एवं सांस लेते समय दम घुटना, तेज चिल्लाना या हँसना जैसे लक्षण प्रकट होते हैं।

- **घरेलू हिंसा** – किसी भी घरेलू सम्बन्ध/नातेदारी में किसी भी प्रकार का व्यवहार जैसे शारीरिक दुरूपयोग, मारपीट लैंगिक शोषण, मौलिक और भावनात्मक हिंसा जैसे अपमानित करना, गाली देना, चरित्र और आचरण पर आरोप लगाना, आर्थिक हिंसा जैसे अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए धन न देना, महिला को अपना रोजगार न करने देना, घर से बाहर निकाल देना आदि घरेलू हिंसा में आते हैं।

- **दिव्यांगता** – दिव्यांग हम उन लोगों को कहते हैं जो आम इन्सान से अलग अंग के साथ जन्म लेते हैं। दिव्यांगता शारीरिक, मानसिक या दृष्टिबाधित भी हो सकता है।

- **बलात्कार** – आई.जी.सी. (इण्डियन पेनल कोड) भारतीय दण्ड सहिता की धारा 375 के अनुसार कोई व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध या उसकी मर्जी के बिना संबंध पर बनाता है तो वह बलात्कार (रेप) कहा जाएगा।

- **पाक्सो कानून** – पाक्सो कानून यानि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेन्स एक्ट 2012 जिसे हिन्दी में लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 कहा जाता है। इस कानून के तहत अलग–अलग अपराध में अलग–अलग सजा का प्रावधान है। यौन उत्पीड़न की मंशा से नाबालिग के शरीर के निजी अंगों को छूना, पाक्सो एक्ट का मामला है। कपड़े के ऊपर से बच्चे को छूना भी यौन शोषण है।

स्व–मूल्यांकन (Self-Assesment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long answer type questions)**

1. समाज कार्य के अन्तर्गत व्यावसायिक सेवा के अभिप्राय लिखें।
2. सेवार्थी को सहायता प्रदान करने में उपचारात्मक लक्ष्यों को लिखें।
3. समाज कार्य के विकासात्मक लक्ष्यों को लिखें।
4. एक अपराधी व्यक्ति के सुधार हेतु किस प्रकार के उपचार की आवश्यकता है?
5. हिस्टीरिया पीड़ित महिला का उपचार किस प्रकार करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका का उल्लेख करें।

ISBN: 978-81-966699-2-8

- **लघु उत्तरीय प्रश्न (Short answer type questions)**

1. घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की सहायता प्रक्रिया के बारे में लिखें।
2. समाज कार्य के निरोधात्मक लक्ष्य को लिखें।
3. बलात्कार से पीड़ित किशोरी की सहायता प्रक्रिया के बारे में लिखें।
4. वृद्धावस्था की सामाजिक समस्याओं को लिखें।
5. आप अपने क्षेत्र के किसी दिव्यांग व्यक्ति (पुरुष/महिला) की सामाजिक आर्थिक एवं भावनात्मक समस्याओं को लिखें। इसके आपकी क्या भूमिका होगी।

- **अति लघुउत्तरीय/वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Very short/ Objective type questions)**

1. पुनर्वासन लक्ष्य क्या है? लिखें।
2. संवर्धनकारी लक्ष्य क्या हैं? लिखें।
3. स्कूल–प्रबन्धन समिति के कार्यों को लिखें।
4. आप अपने गाँव के स्कूल में जल एवं स्वच्छता सम्बन्धी किए गए प्रयासों को लिखें।
5. आप अपने गाँव के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए क्या प्रयास करेंगे?
6. पाक्सो एक्ट क्या है?

प्रदत्त कार्य (Assignment)

1. आप अपने गाँव के तीन पीड़ित व्यक्तियों से सम्बन्धित केस स्टडी लिखें। आप उनकी सहायता किस प्रकार करेंगे?
2. यदि कोई महिला अपने परिवार के साथ समायोजन नहीं कर पा रही है तो उसके सुधार हेतु क्या प्रयास करेंगे?
3. किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित की आप किस प्रकार सहायता करेंगे?
4. आप अपने समुदाय के विकास के लिए क्या प्रयास करेंगे?
5. किसी दिव्यांग बालक/बालिका को समस्या समाधान हेतु उपाय लिखें?
6. आप अपने गाँव के लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु क्या प्रयास करेंगे?
7. आप अपने गाँव में किसी महिला श्रमिक की समस्याओं को लिखें एवं उपाय भी बतायें।

ISBN: 978-81-966699-2-8

8. आप अपने गाँव के युवाओं को नशाखोरी से बचाने के लिए क्या प्रयास करेंगे?

9. आपके गाँव में कोई भी बालक–बालिका अशिक्षित न रहे, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे?

संदर्भ (References)

मुद्रित संदर्भ :

- पाण्डेय हरिलाल – गाँधी, नेहरू एवं टैगोर, प्रयोग पुस्तक भवन, युनिवर्सिटी रोड, प्रयाग (उ. प्र.)।
- पाण्डे, प्रो. बालेश्वर – **समाज कार्य – एक समग्र दृष्टि**, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
- इनामशास्त्री डा0 ए.एस. – व्यावसायिक समाजशास्त्र
  गुलसी सोशल पब्लिकेशन वाराणसी
- दुबे, डॉ. प्रीति – **भारत में समाज कार्य**, कैलाश पुस्तक सदन, हमीदिया मार्ग, भोपाल–001।
- शास्त्री, राजाराम – **समाज कार्य**, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

वेब संदर्भ :

- https://www.samajkaryshiksha.com/2018/05/fields-of-social-work.html?m=1
- %95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF
- https://www.scotbuzz.org/2020/08/vaiyaktik-samaj-kary-ka-itihas.html?m=1
- https://www.scotbuzz.org/2020/07/samaj-kary.html?m=1

ISBN: 978-81-966699-2-8

इकाई–5 : समाज कार्य की भूमिका

उद्देश्य :–

इस इकाई को पढ़कर आप जान सकेंगे कि

- समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समाज कार्य की भूमिका को जान सकेंगे और उस अनुसार कार्य कर सकेंगे।
- समाज कार्य प्रक्रिया को समझ सकेंगे, उसके विभिन्न अवयवों को समझा सकेंगे।
- गांधीवादी उपागम एवं दृष्टिकोण के अंतर्गत गांधीजी के समाज कार्य को समझा सकेंगे।

सरकारी, गैर–सरकारी तंत्र के अधीन समाज कार्य को प्रोफेशनल सेवा, मूलतः साधन व्यतिरेक, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संभावनायें उत्पादक एवं संतुष्ट जीवन हेतु उपलब्ध होती हैं। समाज कार्य एक व्यवस्थित सहायक एवं अथवा पुर्नस्थापन उपलब्ध कराना है जो कि आर्थिक दृष्टि से निर्भरशील ग्रुप हैं, जैसे– बेरोजगार, रोगी, अक्षम, वयोवृद्ध, मानसिक रोगी, विधवा, विकासशील शिशु आदि ।

1989 से सामाजिक एवं वोकेशनल संस्थापक उपखंड ने पुर्नस्थापन मेडिसिन एवं शल्य चिकित्सा के अंतर्गत काम शुरू किया। इसमें भिन्नक्षमों को सामाजिक–वोकेशनल पुर्नस्थापन एवं पी.टी, ओ.टी, पी.ओ, छात्रों को शैक्षिक गतिविधि उपलब्ध हैं ।

यू.एन. द्वारा सामाजिक पुर्नस्थापन मॉडल पर अधिक प्राथमिकता के साथ–साथ 2012 में सामाजिक कार्य विभाग शुरू किया गया। इसमें पुर्नस्थापन में समाज कार्य के महत्व को मान्यता दी गई, भिन्न क्षमों (पी.डब्लू.डी.) के जीवन में आर्थिक गतिविधियाँ बढाना संभव है। साथ में मानव संसाधन का विकास एवं अधिकार आधारित दृष्टि सह समाज कार्य में संधान शामिल है। पुर्नस्थापन सेवाओं का लक्ष्य है समान अधिकार भिन्नजनों के लिए देना है। इसमें उन की भौतिक, मानसिक एवं समाज क्षमता का पूर्ण विकास करना है। एवं समाज में शामिल करने को प्रोत्साहन प्रदान है।

ISBN: 978-81-966699-2-8

समाज कार्य की प्रक्रिया

समाज कार्य प्रक्रियाओं में चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष प्रक्रियाएँ हो, मूल्यांकन एवं नियोजन महत्वपूर्ण भूमिका उनके उद्देश्यों की प्राप्ति में निभाते हैं। समाज कार्य अभ्यास में मूल्याकन निर्णय करने वाली एक प्रक्रिया है जो निश्चित करती है कि व्यक्ति कार्यकता, संस्था, संसाधनों, विधियों समूह तथा समुदायों का क्या उत्तरदायित्व है, उनको पुरी करने की कितनी क्षमता है, क्या–क्या शक्तियाँ है, क्या–क्या कमियाँ है तथा किस तरह से उद्देश्य प्राप्ति के लिए उनका प्रयोग करना चाहिये? प्रस्तुत अध्याय में हम समाजकार्य की प्रत्यक्ष प्रक्रियाओं यथा वैयक्तिक सेवाकार्य, सामुहिक कार्य तथा सामुदायिक संगठन में मूल्यांकन को समझेंगे।

सामाजिक सेवा कार्य में प्रत्येक सेवार्थी के विषय में सामाजिक कार्यकर्ता को निश्चित करना पड़ता है कि किस प्रकार से उसकी समस्या को अधिकाधिक संतोष के साथ सुलझाया जा सकता है। इसके लिए वह उपलब्ध सूचनाओं का अध्ययन करता है तथा अपने व्यावसायिक ज्ञान द्वारा समस्या के कारणों की खोज करता है।

सामाजिक कार्य के अवयव

पर्लमैन ने सामाजिक कार्य की जो परिभाषा दी है उनमें 4 P (चार तत्वों) को पहचाना जाता है, जो इस प्रकार है :–

1. व्यक्ति :

व्यक्ति से अभिप्राय उस सामान्य व्यक्ति से है जो सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों व परम्पराओं आदि के अनुरूप सामंजस्य स्थापित कर अपनी प्रस्थिति एवं भूमिका के समुचित निर्वहन का प्रयत्न करता हो, जिसमें उसके स्वयं के एवं पूरे समाज के विकास व कल्याण की अभिरूचि विद्यमान हो। यदि ऐसी सम्भावना दिखे कि व्यक्ति में अभिरूचि का अभाव हो तो ऐसी दषा में व्यक्ति के सम्बन्ध में समूह के दूसरे सदस्यों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कभी–कभी किसी व्यक्ति के समाज विरोधी कार्यों व व्यवहारों की स्थिति में भी इसे सहायतार्थ स्वीकार कर समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उसे उपयोगी सदस्य बनाने का प्रयास किया जा सकता है।

ISBN: 978-81-966699-2-8

जन्म लेने के पश्चात् व्यक्ति अपनी अनेकानेक आवष्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में तल्लीन हो जाता है। जिसमें उसकी मुख्य भौतिक एवं सुरक्षात्मक आवष्यकताओं के अतिरिक्त कुछ दूसरी विषिष्ट आवष्यकताएँ उसके प्रत्यक्षीकरण द्वारा निर्धारित होती हैं। एक व्यक्ति की अपेक्षा दूसरे व्यक्ति में आवष्यकताओं की तीव्रता में भेद पाया जाता है। जिसका आधार व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता, उसकी संचित शक्ति एवं सांस्कृतिक समूह की विषेषताएँ व व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती हैं। आवष्यकता पूर्ति के प्रयत्न में व्यक्ति अनेक बाधाओं का मुकाबला करता है, परेषान होकर पीछे हटता है या कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए परिस्थितियों के अनुरूप अपने आपको समायोजित कर लेता है तथा जीवन के विकास पथ में आने वाली रूकावटों को दूर करने का प्रयत्न करता है। व्यक्ति के व्यवहार का लक्ष्य निराषा से बचते हुए परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ–साथ संतुलन स्थापित कर संतुष्टि प्राप्त करना होता है। किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थितियों के अनुकुल कितना उपयोगी है? है भी, या नहीं, यह व्यक्ति के व्यक्त्वि संरचना पर आधारित होता है। जैव उर्जा, नियंत्रण तंत्र व संगठित तथा नियंत्रित प्रतिक्रियाएँ व्यक्तित्व संरचना के 3 कारक होते हैं।

जब व्यक्ति की आवष्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती अथवा समायोजन स्थापित करने में वह असफल हो जाता है तो वह सामान्यतः अपनी समस्याओं को लेकर अभिकरण में सहायता लेने के लिए आता है। समस्याओं का सम्बन्ध उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व से होता है। व्यक्तित्व के अन्तर्गत उसकी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विषेषताएँ, विगत जीवन के अनुभव, वर्तमान की क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ व भविष्य की आषाएँ आदि सभी कुछ छिपी रहती हैं।

सब का अध्ययन तो एक वृहद कार्य होता पर वैयक्तिक कार्य के दृष्टिकोण से हम यह कह सकते हैं कि किसी भी अभिकरण में किसी समस्या को लेकर कोई व्यक्ति आता है तो कार्यकर्ता का लक्ष्य यही होता है कि उसकी समस्याएँ सुलझाते हुए उसकी क्षमताओं का इस प्रकार विकास किया जाये कि वह यथासम्भव अधिक सुख और सन्तोष का जीवनयापन कर सके। कार्यकर्ता सहायता कार्य के दौरान व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं इससे सम्बन्धित शक्तियों की भी संक्षिप्त अध्ययन की आवष्यकता महसूस की जाती है।

ISBN: 978-81-966699-2-8

सबसे पहले **फ्रॉयड** (Freud) ने व्यक्तित्व एवं इसमें निहित मन के सम्बन्ध में दो प्रमुख अवधारणाओं का वर्णन किया है और ब्राउन आद्वि द्वारा प्रस्तुत मनोरचनाओं का भी उल्लेख किया है जिनके परस्पर सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध को ही व्यक्तित्व के स्वरूप के रूप में जाना जा सकता है और इसके विष्लेषण को ही व्यक्तित्व संरचना माना जा सकता है।

(अ) मन की गत्यात्मकता :

फ्रॉयड (Freud) मूल प्रवृत्ति के सिद्धान्त (Theory of basic urges) से प्रभावित हुए तथा कहा कि हर एक व्यक्ति में कुछ प्राथमिक प्रेरणाएँ होती हैं जो मूल प्रवृत्तियों के रूप में व्यक्ति की प्राथमिक शक्तियाँ हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। फ्रॉयड ने इन मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात कहकर दो रूपों में वर्गीकरण किया है :–

- **जीवन–मूल प्रवृत्ति :**

  हर व्यक्ति जीवित रहना चाहता है और जीवित रहने की प्रेरणा से ही वह कार्य व व्यवहार करता है अर्थात् जीवित रहने के लिए उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ, प्रतिक्रियायें एवं व्यवहार होते रहते हैं। यूनानी पुराणों जिसमें इरोज (Eros) जीवन प्रदत्त देवता को कहते हैं। इसके अन्तर्गत जीवित रहने तथा दूसरों को जीवित रहने देने की भावना विद्यमान होती है, इसीलिए जीवन–मूल प्रवृत्ति को ''प्रेम'' नाम से भी सम्बोधित किया गया है। व्यक्ति के अन्दर प्रेम व समीप होने की अभिलाषा जाग्रत होती है। जिसे यौन (Sex) भी कहा जाता है और जीवन–मूल्य प्रवृत्ति (Eros) संरचनात्मक (Constructive) होती है और इसी से जीवन प्रभावित होता है। इस मूल प्रवृत्ति का एक हिस्सा यौन प्रवृत्ति से सम्बन्धित होता जिसे कामलिप्सा (Libido) कहा जाता है जो यौन–पूर्ति का साधन बनता है। इसमें इच्छा (will) की भावना निहित होती है और अपनी पूर्ति ''संयोग'' से चाहता है। जीवन–मूल प्रवृत्ति के महत्वपूर्ण कार्य हैं – व्यक्ति को संकलित कर एकता लाना, चीजों को समीप लाना, संगठित होना व एकरूपता पैदा करना, इकट्ठा करना आदि जिनके आधार पर मानव का विकास होता है।

ISBN: 978-81-966699-2-8

- **मृत्यु–मूल प्रवृत्ति :**

  फ्रॉयड के अन्दर (सन् 1919 के पश्चात्) यह चेतना जाग्रत हुई कि व्यक्ति के अन्दर मात्र प्रेम, सहानुभूति, सर्जन, एकता एवं निकटता की ही नहीं बल्कि उसके अन्दर घृणा एवं विध्वंसात्मक प्रवृत्ति भी विद्यमान होती है। जिस प्रकार अपने जीवन के प्रति मोह, माया एवं रक्षा की इच्छा होती है। उसी प्रकार इसके विपरीत उनमें आत्महत्या करने की भी रूचि होती है। उनके अनुसार जब व्यक्ति को कुछ निर्माण कार्य को करने में असफलता मिलती है तो वह सम्पूर्ण को विध्वंस कर देता है। जिस कार्य से उसे एक विषेष सुखानुभव प्राप्त होता है और अयोग्यता व विफलता की भावना दमित होती है। फ्रॉयड ने इस प्रवृत्ति को मृत्यु–मूल प्रवृत्ति (Thanatos) के नाम से सम्बोधित किया। थैनाटस यूनान में मृत्यु देवता को कहते हैं। व्यक्ति के अन्दर जब मृत्यु–मूल प्रवृत्ति की अधिकता हो जाती है त बवह आत्महत्या कर लेता है। इसके अन्तर्गत निराषा व हतोत्साह की दषा में तथा सच्चाई से नामंजूर करने की स्थिति में अपने आपको समाप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए मनुष्य वध सम्बन्धी प्रवृत्ति (Homicidal Tendency) पर आधारित समझा जाता है। शारीरिक रूप से उग्र व्यवहार की उत्पत्ति एवं जैवकीय अस्तित्व की समाप्ति इसकी विषिष्टता है। मृत्यु–मूल प्रवृत्ति को विषेषता है। आलोचना व व्यंग्य करना आत्म व प्रजाति को समाप्त करना है।

उपर्युक्त दोनों तरह की परस्पर विपरीत मूल–प्रवृत्तियाँ मानव में विद्यमान होती है, जिनका सदैव परस्पर संघर्ष चलता रहता है लेकिन जो अधिक शक्तिषाली मूल–प्रवृत्तियाँ होती हैं उसी से प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य एवं व्यवहार सम्पन्न करता है। दोनों की शक्तियाँ जब बराबर–बराबर हो जाती हैं। तब अस्पष्ट निर्णय, अनिष्चिय की स्थिति एवं भावना (Ambivalence) पैदा हो जाती है, परिणामस्वरूप मानसिक बाधिता की स्थिति भी बन जाती है। यह अनिष्चितता और उभयवादिता की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए अहम् शक्ति, दोनों (जीवन एवं मृत्यु) मूल–प्रवृत्तियों के बीच आपसी संघर्ष को समाप्त करने का प्रयत्न करती है।

ISBN: 978-81-966699-2-8

2. व्यक्तित्व संरचना :

फ्रॉयड के मतानुसार व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक जीव है उसके अन्तर्गत तीन शक्तियाँ–इदम् (Id), अहम् (Ego), और पराहम् (Superego) होती हैं। इन्हीं के द्वारा व्यक्ति के सभी–व्यवहार संचालित होते हैं। व्यक्तित्व संरचना के ये तीव अवयव सदैव सक्रिय एवं गत्यात्मक रूप में पाये जाते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है :

- **इदम्** : इदम् का स्वरूप अचेतन होता है वह सदैव आनन्द की प्राप्ति के लिए इच्छाओं की पूर्ति होने देना चाहता है और सम्पूर्ण क्रियाकलाप अनियन्त्रित तरीके से होता है। यह कोई प्रतिबन्ध भी नहीं मानता। यह एक शक्ति के रूप में बाहर निकलता चाहती है। यह मूल–प्रवृत्तियों से जनित शारीरिक आवष्यकताओं की अपने मूल रूप से सन्तुष्टि करना चाहती है। व्यक्तित्व का विकास समुचित रूप से नहीं हो सकता। यदि इसे वास्तविकता से नियन्त्रित न किया जाये। जन्म के पश्चात् बच्चा इदम् से ही परिपूर्ण माना जाता है। सामान्य रूप में इदम् प्रभावित कार्य व व्यवहार समाज द्वारा मान्य नहीं होता। इसी कारण इसकी ज्यादातर माँगें या इच्छायें अहम् द्वारा नियन्त्रित हो जाती है और व्यवहारषील नहीं हो पाती। प्रारम्भिक अवस्था में इदम् का दमन कर दिया जाता है, लेकिन क्रमषः बड़ा होने पर व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई आन्तरिक शक्ति उसे गलत कार्य एवं व्यवहार करने से मना करती है। यह आन्तरिक शक्ति पराहम् (Superego) होती है। अहम् एवं पराहम् के नियन्त्रण एवं प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप इदम् की थोड़ी बहुत इच्छाएँ ही पूर्ण हो जाती है।

- **अहम्** : यह व्यक्तित्व का मुख्य भाग है जो पूर्णरूपेण सचेतन रूप में होता है, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को संतुलित बनाने में प्रमुख भूमिका अदा करता है। यह प्रत्यक्षीकरण एवं अवलोकन करते हुए इदम् की थोड़ी बहुत इच्छाओं को भी पूरा करता है। अहम् सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं एवं मर्यादा को ध्यान में रखकर व्यक्ति की आवष्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति हेतु सम्यक जाँच के पश्चात् ही व्यवहार का संचालन करता है। यह वास्तविकता से सम्बन्धित होता है। यह सतर्क व जागरूक रहकर स्थान, काल, व्यक्ति, मूल, मर्यादा व

ISBN: 978-81-966699-2-8

परिस्थितियाँ आदि को ध्यान में रखकर अपने व्यवहार के परिणामों की जानकारी रखता है। यह इदम् और पराहम् की इच्छाओं व आवष्यकताओं को नियन्त्रित रखते हुए समायोजन–स्थापन में मदद करता है, अर्थात् इदम् तथा पराहम् के बीच के संघर्ष करके सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।

अहम् सचेतन रूप से प्रयास करता है कि कुण्ठा की स्थिति में व्यक्ति की शक्ति एवं क्षमता का ह्रास न होने पाये, और न तो व्यक्तित्व विघटित हो। अतः व्यक्तित्व को विघटित होने से बचाने की अहम् सक्रियता की रक्षा युक्ति (Defence mechanism) है। अहम् की स्थिति सदैव एक समान नहीं रहती, इसमें लचीलापन होता है। परिस्थितियों के अनुसार इसकी शक्ति घटती–बढ़ती है। कुण्ठा या चिन्ता जिन परिस्थितियों के कारण होती है उसमें अहम् कमजोर हो जाता है और उसकी कार्य–क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत सुखमय परिस्थितियाँ में अहम् शक्ति बढ़ जाती है।

- **पराहम्** : पराहम् आदर्ष, नैतिकता व आध्यात्मिकता पर आधारित व्यक्तित्व में निहित एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके द्वारा समाज के आदर्षों व मूल्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, व्यक्तित्व के अन्तर्गत इदम् के द्वारा उत्पन्न हुई असांस्कृतिक और सामाजिक इच्छाओं का इसके द्वारा नियन्त्रण किया जाता है और व्यक्ति को समाज के आदर्षों और मूल्यों के अनुकूल चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह समाज द्वारा अमान्य व्यवहारों को करने से रोकती है, तथा इदम् की माँगों व इच्छाओं की पूर्ति का प्रतिरोध करती है। यह व्यक्तित्व का न्यायिक भाग है जो उचित व अनुचित का निर्णय करती है। जब बच्चों को उनके कार्यों व व्यवहारों के आधार पर दण्ड या पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तब पराहम् का विकास प्रारम्भ होता है। सर्वाधिक शक्तिषाली व दृढ़–पराहम् आदर्षवादी हो जाता है और वास्तविकता से दूरी बढ़ाता जाता है फलस्वरूप दोष–भावना (Guilt feeling) पैदा हो जाती है और व्यक्ति में सामाजिक असमायोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण उसका व्यवहार स्थान, काल, व्यक्ति तथा वास्तविकता के अनुरूप उचित नहीं होता और सामाजिक समायोजन का सन्तुलन–बिगड़ जाता है।

ISBN: 978-81-966699-2-8

3. समस्या :

व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी बाधाएँ एवं अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं जिनके कारण उसकी कार्य करने की शक्ति प्रभावित हो जाती है। वह ऐसे किसी कार्य को करने में असमर्थ हो जाता है जिससे उसके तनावों व दबावों में कमी आ सके ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति समस्या से ग्रस्त कहा जाता है। ऐसे समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्याओं के निराकरण हेतु किसी वाह्य मदद की आवष्यकता पड़ती है जो संस्था/अभिकरण के माध्ययम से प्रदान की जाती है।

जब किसी व्यक्ति की आवष्यकताओं की पूर्ति समुचित रूप से नहीं हो पाती है तो व्यक्ति समस्याग्रस्त हो जाता है और आवष्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति व संतुष्टि न हो पाने की दषा में व्यक्ति में कुण्ठा (Frustration) पैदा हो जाती है। बारम्बार ऐसी कुण्ठा की स्थिति आने पर व्यक्ति के जीवन में यही कुण्ठा समस्या का रूप धारण कर लेती है। अपनी आवष्यकताओं की पूर्ति हेतु कभी–कभी व्यक्ति स्वयं प्रयास न कर दूसरे पर ज्यादा आश्रित हो जाता है जिस कारण भी समस्या पैदा हो जाती है। दूसरों पर अधिक आश्रित होने के समय यदि उसके सम्मुख कोई रूकावट अथवा बाधा पैदा हो जाती है तो वह अनुभव के अभाव के कारण उसका समाधान नहीं कर पाता है। परिणामस्वरूप उसमें स्वभावतः कुण्ठा पैदा होती है जिसकी अधिकता समस्या का रूप ले लेती है। जब किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता/योग्यता से अधिक कार्य व जिम्मेदारी मिल जाती है तो व्यक्ति पर मानसिक दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है और स्थिर दबाव के कारण उसमें कुण्ठा (Frustration) आ जाती है, जो क्रमषः बाद में समस्या का रूप ले लेती है।

समस्या के दो पक्ष होते हैं, एक वस्तुगत और दूसरा विषयगत। एक ही प्रकार की समस्या का भिन्न–भिन्न व्यक्तियों पर भिन्न–भिन्न तरह से प्रभाव पड़ता है। वास्तविक रूप से समस्या के कारण जो कठिनाई होती है और उसका जो प्रभाव पड़ता है वह तो उसका वस्तुगत पक्ष हुआ, इसके अतिरिक्त जब व्यक्ति अपनी अहम् भावनाओं और संवेग आदि के आधार पर एक ही समस्या से अलग–अलग प्रकार से प्रभावित होता है तो यह सब बातें विषयगत पक्ष के अन्तर्गत आती हैं। सहायता देते समय वैयक्तिक कार्यकर्ता को दोनों पक्षों का ध्यान रखना चाहिए। किसी समस्या के अन्तर्गत ये दोनों पक्ष साथ–साथ तो रहते ही हैं और सामान्यतः एक पक्ष

ISBN: 978-81-966699-2-8

दूसरे पक्ष की उत्पत्ति का कारक भी बनते हैं। एक समस्या से दूसरी समस्या उत्पन्न होती है और दूसरी से तीसरी। इस प्रकार एक प्रकार की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति धीरे–धीरे अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है।

जब कोई भी सेवार्थी समस्याग्रस्त होकर संस्था में सहायता लेने आता है तो एक ही साथ वह अनेकानेक समस्याओं में उलझा रहता है ऐसी दषा में सीमित व साधन को ध्यान में रखते हुए वरीयता के क्रम में कार्यकर्ता को गम्भीर व महत्वपूर्ण समस्या को पहले हल करना चाहिए, तत्पष्चात् संस्था की नीति के अनुसार क्रमषः समस्या का चुनाव कर सेवार्थी की योग्यता व निपुणता के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक सरलता व अच्छे ढंग से समाधान कर प्रयास करना चाहिए।

कभी–कभी ऐसी स्थिति में भी आ जाती है कि व्यक्ति अपनी समस्या से पूरी तरह वाकिफ होता है। उसके ''कारण'' व ''समाधान' का तरीका भी जानता है। फिर भी अपनी समस्याओं को हल करने हेतु समुचित वाह्य साधनों की कमी के कारण असमर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता अभिकरण के माध्यम से उसको आवष्यक साधनों को उपलब्ध कराता है। कभी–कभी व्यक्ति अपनी समस्याओं, उसके कारण अथवा निवारण के विषय में अनभिज्ञ होता है तो इस स्थिति में कार्यकर्ता सेवार्थी को आवष्यक तथ्य एवं सूचनाओं की जानकारी कराकर सहायता प्रदान करता है। कभी–कदार व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का इस तरह ह्रास हो जाता है कि वह स्वयं अपनी समस्या के निराकरण में समुचित प्रयत्न नहीं कर पाता, ऐसी परिस्थिति में कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ सार्थक सम्बन्ध स्थापित कर सम्बल (Support) आदि की प्राविधियों के समुचित प्रयोग द्वारा अहम् शक्ति का विकास कर उसके शारीरिक व मानसिक क्षमताओं/योग्यताओं का इस प्रकार पुनर्जागरण करता है कि वह अपनी समस्या का स्वयं समाधान करने में समर्थ हो सके। किसी अप्रिय घटना के कारण भी व्यक्ति में अत्यधिक संवेग पैदा हो जाता है और अत्यधिक कष्ट की दषा में व्यक्ति की विचार एवं कार्यषक्ति समाप्त होने लगती है तब कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ सम्बन्ध स्थापित कर

ISBN: 978-81-966699-2-8

तादात्मीकरण (Indentification) की उप प्रविधि के माध्यम से संवेगों में कमी लाने का प्रयत्न करता है।

विगत जीवन में किसी घटना से सम्बन्धित अवास्तविक भावनायें एवं संवेग जो व्यक्ति के अचेतन मन में दबे रहते हैं, कभी–कभी मौका पाकर चेतन मन में दृष्टिगोचर हो जाते हैं तथा व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करने लगते हैं ऐसी स्थिति में व्यक्ति वास्तविक व्यवहारों के जरिये अपनी समस्या का निराकरण करने में असमर्थ हो जाता है। अतः कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ समुचित सम्बन्ध बनाकर प्राख्या की प्रविधि के माध्यम से वास्तविकता का बोध कराते हुए यथोचित व्यवहार के लिए सेवार्थियों को प्रेरणा करता है। कार्यकर्ता के लिए आवष्यक है कि वह किसी व्यक्ति की समस्याओं के निराकरण से पहले उसके आन्तरिक व वाह्य क्षमताओं की सम्पूर्ण जानकारी तथा उसकी समस्याओं, उनके कारणों का विस्तृत ज्ञान रखे।

4. संस्था/अभिकरण :

वैयक्तिक सेवा कार्य की प्रक्रिया सम्पन्न करने के लिए किसी स्थान विषेष की आवष्यकता होती है जहाँ पर प्रषिक्षित कार्यकर्ता एक विषिष्ट प्रक्रिया के द्वारा एक–एक समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सहायता प्रदान करता है। सामान्य रूप से इस कार्य की सम्पन्नता के लिए कुछ आवष्यक उपकरण, विषेषज्ञों की सेवायें, कुछ भौतिक वस्तुएँ या रूपये पैसे आदि का प्रबन्ध भी इस स्थान पर अपेक्षित होता है। इस तरह के स्थान को संस्था/अभिकरण कहते हैं। पर्लमैन के मतानुसार फोर पी (4Ps) का तीसरा तत्व अभिकरण है। अभिकरण या संस्था या स्थान है जहाँ व्यावसायिक कार्यकर्ता समयाग्रस्त व्यक्ति की पक्षपात के बिना सहायता प्रदान करता है ताकि समस्याग्रस्त व्यक्ति अपनी समया का समाधान करके समाज में समायोजित होकर अपना व समाज का कल्याण कर सके। वैयक्तिक सेवा कार्य के अन्तर्गत मात्र उन्हीं अभिकरणों को शामिल किया जा सकता है जो मानव हित व कल्याण के लक्ष्यपूर्ति हेतु स्थापित होते हैं तथा समस्या समाधान में मददगार होते हैं।

अभिकरण का लक्ष्य ऐसे व्यक्तियों की मदद करना है जिनके वैयक्तिक व पारिवारिक जीवन में विषेष सामाजिक रूकावटें पैदा हो जाती हैं। अभिकरण वह स्थान है जहाँ कार्यकर्ता व्यक्ति की सहायता संस्था के नियम व लक्ष्य के अनुरूप प्रदान करता है। संस्थायें एक–दूसरे से अनेक

ISBN: 978-81-966699-2-8

अर्थों में भिन्न–भिन्न होती है लेकिन सेवार्थी को सहायता देने का कार्य संस्था के माध्यम से अधिक निपुणता से सम्पादित किया जाता है।

अभिकरण कई प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं –

सहायता प्राप्ति के स्रोत की दृष्टि से उन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है :–

- **सामाजिक अभिकरण** : जिनके संचालन का आर्थिक भार राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- **निजी अभिकरण** : जब किसी रूप से एक या दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के किसी संगठन द्वारा संस्था का संचालन होता है और आर्थिक व्ययभार भी उन्हीं लोगों द्वारा वहन किया जाता है।

अधिकार की दृष्टि से भी संस्थाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है :–

- **प्राथमिक अभिकरण** : वे अभिकरण हैं जिन्हें अपने लक्ष्य के अनुरूप नीति–निर्धारण एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन दोनों का अधिकार प्राप्त होता है।
- **द्वितीयक अभिकरण** : वे अभिकरण हैं जो मानव कल्याण के किसी वृहद् संगठन से सम्बन्धित होती हैं और जहाँ सामान्यतः नीति–निर्धारण का कार्य ऊपर से होता है लेकिन अभिकरण द्वारा केवल उनका कार्यान्वयन ही होता है।

कार्य की दृष्टि से भी संस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है :–

- **बहुउद्देश्यीय अभिकरण** : वे अभिकरण हैं जिसके द्वारा अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है।
- **विशिष्ट अभिकरण** : ऐसे अभिकरण है जिसके द्वारा कुछ विषिष्ट समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता प्रदान की जाती है, अर्थात् क्षमता, निपुणता व साधनों के अनुरूप ही विषिष्ट समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता की जाती है।

अभिकरण की स्थापना कतरे समय कुछ विषिष्ट उद्देष्यों को ध्यान में रखा जाता है। अभिकरण में उद्देष्यों के अनुरूप कुछ कर्मचारियों को रखकर उनका एक संगठन बनाया जाता है और उनके अधिकार एवं कर्तव्य निष्चित कर दिये जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का

ISBN: 978-81-966699-2-8

एक–दूसरे के साथ सम्बन्ध भी निर्धारित हो जाता है। इस तरह से सभी लोग एक दूसरे के सहयोग एवं समन्वय से अभिकरण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं। अभिकरण में कार्यकर्ता एवं सेवार्थी दोनों को महत्व प्रदान किया जाता है। अभिकरण जिस समुदाय में स्थित होता है उसके आदर्ष व मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है और अपेक्षा की जाती है कि अभिकरण अपनी उपयोगिता को कायम रखने के लिए समुदाय की बदलती हुए जरूरतों, आदर्षों व मूल्यों के अनुरूप अपने में भी सार्थक परिवर्तन लाये।

5. प्रक्रिया :

प्रक्रिया से अभिप्राय उन क्रमागत क्रियाओं से है जिसके द्वारा समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक आधार पर व्यवसायिक विधियों एवं प्राविधियों का सदैव प्रयोग किया जाता है। इसमें कार्यकर्ता और सेवार्थी के मध्य उचित संचार होता है। कार्यकर्ता सेवार्थी से व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करता है और लक्ष्यपूर्ण सम्बन्धों का उपयोग करते हुए व्यक्ति की समस्याओं का अध्ययन एवं निदान करता है और उन समस्याओं व उनके कारणों की जानकारी व्यक्ति को भी कराता है। साथ ही, उसकी आन्तरिक व वाह्य क्षमताओं/योग्यताओं को उत्प्रेरित करता है ताकि वह अपनी समस्याओं को हल करने व क्षमताओं के विकास के क्रम में समुचित प्रयास हेतु योग्य बन सके और अधिकतम सुखमय व सन्तोषप्रद जीवनयापन व्यतीत कर सके।

इस प्रक्रिया में अन्तर्गत सामान्यतः समस्याग्रस्त व्यक्ति को किसी अभिकरण के माध्यम से प्रषिक्षित कार्यकर्ता द्वारा वैयक्तिक सेवा कार्य की विभिन्न प्रविधियों व सिद्धान्तों का उपयोग कर सहायता प्रदान की जाती है। व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए बाध्य न कर प्रत्येक पग पर यथासम्भव आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यकर्ता प्रमुख रूप से 3 कार्यों को सम्पन्न करता है :–

- **प्रथम** : सेवार्थी की समस्या, उसका व्यक्तित्व और सामाजिक पर्यावरण के सम्बन्ध में तथ्यों का अध्ययन करना।
- **द्वितीय** : निदान–समस्या की उत्पत्ति पर व्यक्तिवाद व सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव और इसे कैसे दूर किया जाये?

ISBN: 978-81-966699-2-8

- **तृतीय** : विभिन्न बाह्य और आन्तरिक साधनों के उपयोग से समस्या का उपचार करना। इनका विवरण निम्नलिखित है :–

  अध्ययन : इसके अन्तर्गत सबसे पहले कार्यकर्ता सवोर्थी से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करता है जिससे भविष्य में सेवार्थी की समस्याओं को जानने–समझने एवं उसके उपचार हेतु मदद मिलती है। इस अध्ययन में सेवार्थी के जीवन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्तियों और घटनाओं एवं इनके प्रति सेवार्थी की भावना व व्यक्तिगत आदि के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करना है। सेवार्थी में स्वयं समस्या के समाधान करने की क्षमता की सीमा क्या है यह भी अवलोकन किया जाता है।

  अध्ययन एक गतिषील प्रक्रिया है, जिसके द्वारा वैयक्तिक सेवा कार्य प्रारम्भ किया जाता है। इस कार्य हेतु सामान्यतः निरीक्षण, अन्वेषण एवं वैयक्तिक इतिवृति की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अध्ययन द्वारा पर्यावरण तथा परिस्थितियों के साथ समायोजित होने की सेवार्थी की क्षमता, योग्यता व प्रयत्न आदि के विषय में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्र किया जाता है। अध्ययन कार्य की सफलता कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों पर निर्भर है। यदि कार्यकर्ता सेवार्थी को सम्मान व रूचि के साथ स्वीकार कर उसके साथ समुचित सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करे और उसकी समस्याओं व उनसे उत्पन्न विभिन्न भावनाओं के साथ तादात्मीकरण कर अन्वेषण की प्रविधि द्वारा भिन्न–भिन्न तरह की जानकारी का प्रयास करे, तो उसे सर्वाधिक तथ्य उपलब्ध हो सकते हैं।

  अध्ययन के माध्यम से सेवार्थी की व्यक्तिगत भावनाओं को समझा जाता है साथ ही रक्षायुक्तियों के प्रयोग के कारण छिपी हुई भावनाओं को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सहभागिता का महत्वपूर्ण स्थान है और सेवार्थी का कार्यकर्ता के साथ पूर्ण सहयोग होने के पर अध्ययन की परिपूर्णता सम्भव हो सकती है।

ISBN: 978-81-966699-2-8

कार्यकर्ता सेवार्थी को आत्म–निर्णय का समुचित अवसर प्रदान कर उसकी परेषानियों एवं समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास करता है, लेकिन कभी–कभी आवष्यकतानुसार समुचित नियंत्रण व निर्देषन के द्वारा भी कार्यकर्ता सेवार्थी से तथ्यों की जानकारी करता है। तथ्यों की वास्तविक जानकारी के लिए कार्यकर्ता सेवार्थी से अलावा उसके परिवार व उससे सम्बन्धित अन्य लोगों से भी मिलता है और प्राप्त तथ्यों का उत्तरदायित्व ढंग से प्रयोग करता है।

गांधीवादी विचारधारा

- गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा अपनाई और विकसित की गई। उन धार्मिक–सामाजिक विचारों का समूह जो उन्होंने पहली बार वर्ष 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में तथा उसके बाद फिर भारत में अपनाई थी।

- गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है, बल्कि पारंपरिक और आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। यह कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है, जिनको गांधीजी ने उजागर किया था, लेकिन यह प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है तथा सार्वभौमिक नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है।

- यह दर्शन कई स्तरों आध्यात्मिक या धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और सामूहिक आदि पर मौजूद है। इसके अनुसार–
  - आध्यात्मिक या धार्मिक तत्व और ईश्वर इसके मूल में हैं।
  - मानव स्वभाव को मूल रूप से सद्गुणी है।
  - सभी व्यक्ति उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के लिये सक्षम हैं।
  - गांधीवादी विचारधारा आदर्शवाद पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक आदर्शवाद पर जोर देती है।

- गांधीवादी दर्शन एक दोधारी तलवार है जिसका उद्देश्य सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति और समाज को एक साथ बदलना है।

ISBN: 978-81-966699-2-8

- गांधीजी ने इन विचारधाराओं को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों जैसे– भगवद्गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबिल, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन आदि से विकसित किया।
- टॉलस्टॉय की पुस्तक 'द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू' का महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव था।
- गांधीजी ने रस्किन की पुस्तक 'अंटू दिस लास्ट' से 'सर्वोदय' के सिद्धांत को ग्रहण किया और उसे जीवन में उतारा।
- इन विचारों को बाद में ''गांधीवादियों'' द्वारा विकसित किया गया है, विशेष रूप से, भारत में विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण तथा भारत के बाहर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अन्य लोगों द्वारा।

प्रमुख गांधीवादी विचारधारा

सत्य और अहिंसाः गांधीवादी विचारधारा के ये 2 आधारभूत सिद्धांत हैं :

- गांधी जी का मानना था कि जहाँ सत्य है, वहाँ ईश्वर है तथा नैतिकता – (नैतिक कानून और कोड) इसका आधार है।
- अहिंसा का अर्थ होता है प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा। गांधी जी के अनुसार अहिंसक व्यक्ति किसी दूसरे को कभी भी मानसिक व शारीरिक पीड़ा नहीं पहुँचाता है। इसका अर्थ है सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग करना।
- यह व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरों को चोट न पहुँचाने की एक विधि है।
- सत्याग्रह की उत्पत्ति उपनिषद, बुद्ध–महावीर की शिक्षा, टॉलस्टॉय और रस्किन सहित कई अन्य महान दर्शनों में मिल सकती है।

ISBN: 978-81-966699-2-8

सर्वोदय–

सर्वोदय शब्द का अर्थ है 'यूनिवर्सल उत्थान' या 'सभी की प्रगति'। यह शब्द पहली बार गांधी जी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक ''अंटू दिस लास्ट'' पर पढ़ा था।

स्वराज–

हालाँकि स्वराज शब्द का अर्थ स्व–शासन है, लेकिन गांधी जी ने इसे एक ऐसी अभिन्न क्रांति की संज्ञा दी जो कि जीवन के सभी क्षेत्रों को समाहित करती है।

- गांधी जी के लिये स्वराज का मतलब व्यक्तियों के स्वराज (स्व–शासन) से था और इसलिये उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिये स्वराज का मतलब अपने देशवासियों हेतु स्वतंत्रता है और अपने संपूर्ण अर्थों में स्वराज स्वतंत्रता से कहीं अधिक है, यह स्व–शासन है, आत्म–संयम है और इसे मोक्ष के बराबर माना जा सकता है।

ट्रस्टीशिप–

ट्रस्टीशिप एक सामाजिक–आर्थिक दर्शन है जिसे गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था।

- यह अमीर लोगों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है, जिसके द्वारा वे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकें।
- यह सिद्धांत गांधी जी के आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है, जो कि थियोसोफिकल लिटरेचर और भगवद्गीता के अध्ययन से उनमें विकसित हुआ था।

स्वदेशी–

स्वदेशी शब्द संस्कृत से लिया गया है और यह संस्कृत के 2 शब्दों का एक संयोजन है। 'स्व' का अर्थ है स्वयं और 'देश' का अर्थ है देश। इसलिये स्वदेश का अर्थ है अपना देश। स्वदेशी का अर्थ अपने देश से है, लेकिन ज्यादातर संदर्भों में इसका अर्थ आत्मनिर्भरता के रूप में लिया जा सकता है।

- स्वदेशी राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से अपने समुदाय के भीतर ध्यान केंद्रित करता है।

ISBN: 978-81-966699-2-8

- यह समुदाय और आत्मनिर्भरता की अन्योन्याश्रितता है।
- गांधी जी का मानना था कि इससे स्वतंत्रता (स्वराज) को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत का ब्रिटिश नियंत्रण उनके स्वदेशी उद्योगों के नियंत्रण में निहित था। स्वदेशी भारत की स्वतंत्रता की कुंजी थी और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में चरखे द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था।

आज के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा की प्रासंगिकता

- सत्य और अहिंसा के आदर्श गांधी के संपूर्ण दर्शन को रेखांकित करते हैं तथा यह आज भी मानव जाति के लिये अत्यंत प्रासंगिक है।
- महात्मा गांधी की शिक्षाएं आज और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं, जब कि लोग अत्याधिक लालच, व्यापक स्तर पर हिंसा और भागदौड़ भरी जीवन शैली का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और म्याँमार में आंग सान सूकी जैसे लोगों के नेतृत्व में कई उत्पीड़ित समाज के लोगों को न्याय दिलाने हेतु गांधीवादी विचारधारा को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जो इसकी प्रासंगिकता का प्रत्यक्ष उदाहरण है।
- दलाई लामा ने कहा, ''आज विश्व शांति और विश्वयुद्ध, अध्यात्म और भौतिकवाद, लोकतंत्र व अधिनायकवाद के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा है।'' इन बड़े युद्धों से लड़ने के लिये ये ठीक होगा कि समकालीन समय में गांधीवादी दर्शन को अपनाया जाए।

निष्कर्ष :

- गांधीवादी विचारधारा ने ऐसे संस्थानों और कार्यप्रणालियों के निर्माण को आकार दिया जहाँ सभी की आवाज और परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट किया जा सकता है।
- उनके अनुसार, लोकतंत्र ने कमजोरों को उतना ही मौका दिया, जितना ताकतवरों को।

ISBN: 978-81-966699-2-8

- उनके स्वैच्छिक सहयोग, सम्मानजनक और शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के आधार पर कार्य करने के सुझाव को कई अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में अपनाया गया। साथ ही, राजनीतिक सहिष्णुता और धार्मिक विविधता पर उनका जोर समकालीन भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखता है।
- सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह तथा उनके महत्त्व से गांधीवादी दर्शन बनता है और ये गांधीवादी विचारधरा के चार आधार हैं।

सर्वोदय आन्दोलन

भारतीय परम्परा तथा संस्कृति से दूर न भागते हुए तथा नवीन आदर्शों से दूर न भागते हुए, समाज सुधार व सर्वांगीण उन्नति महात्मा गांधी के आदर्शों का आधार है। इसी आदर्श का मूर्त रूप सर्वोदय आन्दोलन है। सर्वोदय से हमारा अभिप्राय गांधीवादी विचारधारा से है। समाज को बदलने के लिए भारत में बहुत से लोगों ने विचार व्यक्त किये है, लेकिन समाज को कैस बदलना चाहिए उसके बारे में कोई मतैक्य नहीं है। गांधीवादियों की एक विचारधारा सर्वोदय है। भारत की आजादी के लिये जो गांधीज ने आन्दोलन चलाया, उसमें सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी विचार प्रस्तुत किये। लोगों का यह मानना था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद गांधी विचारधारा के आधार पर नये समाज की स्थापना होगी, लेकिन जब सरकार बनी, उसने अपने तरीके से कार्य करना प्रारम्भ किया तथा उसने समाजवाद पर अधिक जोर दिया जो न तो पूर्णतया मार्क्सवादी था और न ही गांधीवादी। इस प्रकार इन दोनों का मिश्रण समाजवाद के नाम पर भारत में अपने लगा।

निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित है : –

- सर्वोदय आन्दोलन का भारतीय संस्कृति व समाज पर प्रभाव।
- सर्वोदय आदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी ?
- सर्वोदय आदोलन में विनोबा भावे की क्या भूमिका थी ?

जो लोग गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करते थे, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे सामाजिक संरचना गांधीवादी आधार पर निर्मित हो। आज से लगभग 80 वर्ष

ISBN: 978-81-966699-2-8

पूर्व गांधीजी ने एक पुस्तक लिख थी, हिन्द स्वराज। इस पुस्तक में गांधीवाजी ने उन विचारों को अभिव्यक्त किया जिनके माध्यम से वे स्वतंत्र भारत में परिवर्तन लाना चाहते थे और वे एक नई व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। प्रश्न उठता है कि गांधीजी किस प्रकार का समाज चाहते थे ? गांधीजी की दृष्ठि में जो समाज था, उसका मूल दृष्टिकोण चारित्रिक तथा नैतिक था। वे इन्हीं आधारों पर समाज की संरचना करना चाहते थे। यह चारित्रिकता व नैतिकता 6 आधारों पर आधारित थी :

1. सत्य
2. अहिंसा
3. सत्याग्रह
4. स्वदेशी
5. समानता
6. श्रम की समानता

गांधीजी ने कहा कि सत्य का अर्थ है यह दूसरों की सेवा करना, उसी से सत्य की प्राप्ति होगी। अहिंसा भी एक प्रकार का प्रेम है। सत्याग्रह व संघर्ष है जो अहिंसा व प्रेम के आधार पर समाप्त करने को प्रयत्न करता है। स्वदेशी से अभिप्राय गांधीजी का तीन चीजों से था :

(1) गाँव अपने उत्पादन से आत्मनिर्भर होंगे तथा जो उत्पादन होगा, वह अपने उपयोग के लिये होगा न कि विनियम के लिये। शहरों का जो एकाधिकार बढ़ता जा रहा है, इस एकाधिकार की समाप्ति भी स्वदेशी के अन्तर्गत होगी।

(2) हर प्रकार के शोषण को समाप्त किया जाये चाहे वह किसी भी तरीके से हो।

(3) जब लोगों की मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी हो जायें तो लोगों को भौतिकवादी बनने से रोका जाए।

इसके अतिरिक्त हिन्दू – मुस्लिम एकता तथा अस्पृश्यता का निवारण भी इस स्वदेशी भावना के अन्तर्गत मानते थे।

ISBN: 978-81-966699-2-8

समानता से उनका अभिप्राय समाज में लोगों के अधिकारों व कर्त्तव्यों की समानता से था। श्रम की समानता – मानसिक व शारीरिक कार्य दोनों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यह गांधी दर्शन है, लेकिन गांधीजी की मृत्यु स्वतंत्रता प्राप्त होते ही हो गई। लेकिन जो लोग गांधीजी के अनुयायी थे, उन्होंने इसका प्रयोग करना प्रारम्भ किया। इसमें विनोबा भावे द्वारा चलाया गया भू–दान आन्दोलन प्रमुख है।

भू–दान (विनोबा भावे) आंदोलन यह तेलंगाना में प्रारम्भ हुआ। यहाँ पर कम्युनिस्टों का जोर इतना था कि उन्होंने हथियारों से जमींदारों की हत्या करना प्रारम्भ कर दिया तथा जमीन छीन कर गरीबों व भूमिहीनों में वितीरत करते थे, लेकिन सरकार उन गरीबों पर मुकदमें लगाती। इन्हीं परिस्थितियों में बिनोबा भावे तेलंगाना गये। उन्होंने सोचा कि क्यों न जमींदारों के मन में ऐसी प्रेरणा जागृत की जाऐ, जिससे वे अपनी भूमि का हिस्सा भूमिहीनों को प्रदान कर दें। यही भू–दान आन्दोलन था, जिससे अहिंसा के माध्यम से चलाया गया था तथा गरीबों को भूमि प्राप्त होने लगी थी। प्रारम्भ में इस आन्दोलन को काफी सफलता मिली। उसके बाद ग्रामदान व श्रमदान हुआ, लेकिन जैसे– जैसे यह आन्दोलन बढ़ा या वैसे ही वैसे इसमें बिखराव व विभिन्नताएँ आने लगीं। इसलियें यह आवश्यकता समझा गया कि गांधी जी के विचारों को नया रूप दिया जाए – वह विचार था – सर्वोदय।

यह आंदोलन पूर्णतः गांधीवादी नहीं था लेकिन गांधी दर्शन का विस्तृत स्वरूप था। सर्वोदय विचारधारा नई सामाजिक संरचना का निर्माण करना चाहती थी। सर्वोदय के मूल आधार थे :

1. व्यक्ति स्वतंत्रता :

इसमें अभिप्राय व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं है लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि जो शक्तिशाली हो, वह अधिक स्वतंत्र हो और जो कमजोर व कम शक्तिशाली है, वह कम स्वतंत्र हो। यह व्यक्ति स्वतंत्र समाज के व समुदाय के हित को ध्यान में रखते हुए होना चाहिये। इसलिये जयप्रकाश नारायण ने कम्यूनिटेरियन सोसायटी की अवधारणा को सामने रखा। वे समाज को समुदाय के आधार पर चलाना चाहते थे तथा उनका मानना था कि समाज का हित सर्वोपरि होना चाहिए।

ISBN: 978-81-966699-2-8

2. "राज्य" नहीं "प्राज्ञ" :

राज्य से हमारा अभिप्राय वह सरकार है जो निश्चित क्षेत्र में शासन चलाती है, वही राज्य है। प्राज्ञ का अर्थ है– जनशक्ति। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि राज्य की शक्ति को समाप्त कर जनशक्ति के पास अधिकार होने चाहिए।

3. राजनीति नहीं लोकनीति :

हमें राजनीति के स्थान पर लोकनीति चलानी चाहिये अर्थात् समस्त जनता के कल्याण की भावना से कार्य करना चाहिये। यह ऐसी नीति है जो गैर दलीय है। यही लोकनीति है।

इस प्रकार इनका कहना है कि राज्य व राजनीति दोनों एक–दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये दोनों कुछ ही लोगों के हाथ में केन्द्रित हैं। इसी दृष्टि से इन्होंने लोकनीति की बात कही थी। लोकनीति के माध्यम से शक्ति का विकेन्द्रीकरण होगा। सर्वोदयवादी यही चाहते थे कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण हो और यह विकेन्द्रीकरण समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास शक्ति का केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिये।

सर्वोदयवादियों का विश्वास था कि बड़े शहरों के बजाए छोटे–छोटे समुदाय बनाये जाने चाहिए और ये छोटे–छोटे समुदाय पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने चाहिए। उत्पादन की सबसे अधिक खपत इन्हीं गाँवों व छोटे समुदायों में होनी चाहिये। जिने अधिक से स्वायत्त हों, उतनी अधिक स्वायत्तता इन्हें मिलनी चाहिए।

सर्वोदयवादियों का कहना है कि समाज राज्यविहीन होना चाहिए। सभी कार्य सहमति के आधार पर होने चाहिये। समाज की सम्पूर्ण सम्पत्ति व भूमि पर किसी का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होना चाहिए बल्कि सम्पूर्ण समाज का आधिपत्य होना चाहिये। इस विचारधारा का परिपक्व रूप विनोबा भावे ने भू–दान व ग्रामदान के माध्यम से दिया।

ISBN: 978-81-966699-2-8

इस समय यह सोचा गया कि सर्वोदय विचारधारा के आधार पर ही गाँवो में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है और व्यापक समाजिक परिवर्तन लाया जायेगा, लेकिन इसका विस्तृत स्वरूप सम्पूर्ण क्रान्ति के साथ जुड़ा हुआ है।

सम्पूर्ण क्रान्ति

इस आन्दोलन का प्रारम्भ बिहार से हुआ तथा इसको चलाने वाले गैर साम्यवादी विचारों में विश्वास रखने वाले विद्यार्थी थे। इन्होंने बिहार छात्र संघर्ष समिति का निर्माण किया। इसकी विभिन्न शाखाओं का निर्माण गाँवों व शहरों में किया। इसी संयुक्त स्वरूप् ने आन्दोलन को चलाया। इसमें सभी राजनैतिक दलों के छात्र सम्मिलित थे। ये लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। अधिकांश तात्कालिक प्रकृति पर अपने आप को केन्द्रित किये हुए थे, जो विस्तृत समाजिक परिवेश का आधार हैं। उसके साथ में ये कम जुड़े हुऐ थे। मूलतः इसी संगठन ने आन्दोलन प्रारम्भ किया था।

धीरे–धीरे इस आन्दोलन को जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व प्रदान किया और इन्ही के व्यक्तित्व के चारों तरफ केन्द्रित होता चला गया। जयप्रकाश नारायण का व्यक्तित्व चमत्कृत था और वैचारिक दृष्टि से वे मार्क्सवादी से समाजवादी व साम्यवादी से गांधीवादी होते चले गये।

जयप्रकाश नारायण ने इस सम्पूर्ण क्रान्ति के आन्दोलन का नेतृत्व इसलिये स्वीकार किया, क्योंकि उसी समय यूरोप व एशिया के अनेक देशों में छात्रों ने क्रान्ति की थी। इसलिये जयप्रकाश नारायण को विश्वास हो गया कि भारत के छात्र भी क्रान्ति भी छात्रों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने इस आन्दोलन को नेतृत्व देना स्वीकार कर लिया।

उद्देश्य :

इस आन्दोलन का अन्तिम उद्देश्य सम्पूर्ण क्रान्ति है और 5 जून, 1975 को यह सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ और इसे अखिल भारतीय स्तर पर स्वीकार्य किया गया। यह माना जाने लगा कि यह आन्दोलन भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक और

ISBN: 978-81-966699-2-8

सांस्कृतिक क्षेत्र में क्रान्ति ला सकेगा। आन्दोलन चलाने वालों का विश्वास था कि आंतरिक व बाह्य दोनों स्थानों पर परिवर्तन हो सकेगा और ऐसा परिवर्तन किया जाए जिससे व्यक्तियों तथा संस्थाओं के बदलने में सारा कार्य किया जाए और यह बताया जाए कि सम्पूर्ण क्रान्ति के बाद का समय जातिविहीन, राज्यविहीन तथा वर्गविहीन होगा।

आन्दोलन के दौरान निम्न मुद्दों को उठाया गया :

- कीमतों में बढ़ोतरी को कम करवाने का प्रयास करना।
- शिक्षा में सम्बन्धित कठिनाईयाँ : छात्रों का भविष्य किस प्रकार का होगा तथा शैक्षणिक संस्थानों में अधिक से अधिक सुविधाओं को मुहैय्या करवाया जाये।
- भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करना।
- स्वतंत्रता बनाम परतंत्रता यानी देश में पुनः अधिनायकवादी शक्तियाँ सिर उठा रही हैं , उसे कुचलना तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को लागू करना।

इन्ही मुद्दों पर यह आन्दोलन चलाया गया।

आन्दोलन के लिए निम्न कार्यक्रम बनाये –

- लोगों में चेतना जागृत करना और आन्दोलन के स्वरूप का निर्धारण करना।
- समाज को अपने पक्ष में करने का कार्यक्रम भी चलाया गया। समाज के सामने अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करके उन्हें अपने पक्ष में करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम उन लोगों के लिये चलाना जो आन्दोलन के समर्थक तथा नेतृत्व हैं।

आन्दोलन को चलाने के लिए निम्न कार्य –

- सत्याग्रह।
- कर न चुकाना।
- जनता सरकार की स्थापना।

ISBN: 978-81-966699-2-8

- चुनाव सुधार।
- शैक्षणिक सुधार।

इस प्रकार इस आन्दोलन को चलाने के लिए छात्रों का सभी राजनैतिक दलों ने साथ दिया। सभी राजनैतिक दलों की विचारधारा में मतभेद था, लेकिन इस समय वे सभी साथ आ गये। एम. एस. शाह ने कहा कि इस आन्दोलन में मुख्य रूप से नगरों का मध्यम वर्ग जुड़ गया, लेकिन निम्न वर्ग ने इस आन्दोलन का कोई साथ नहीं दिया।

वैश्विक दृष्टि :

रिपोर्ट आमतौर पर प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कई कारकों के आधार पर 150 देशों को रैंक प्रदान करती है। इस वर्ष रिपोर्ट में 146 देशों को स्थान दिया गया है।

मानव की अवधारणा :

मानव विकास के विभिन्न उपगमों का वर्णन करों। मानव विकास, स्वास्थ्य भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तीकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है।

इस प्रकार, मानव विकास की अवधारणा का संबंध मुख्य रूप से मानव प्रयास के अंतिम उद्देश्य, लोगों को अच्छा जीवन बिताने के योग्य बनाने से है। देखना है कि यह उद्देश्य केवल आय में सुधार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है अथवा लोगों के भौतिक कल्याण से।

सत्य–प्रकृति :

प्रकृति की तरह जो चीज सरल रहती है, वही सत्य है। ऊपर से यह सहज जान पड़ता है, पर इसका अभ्यास करने पर यह इतनी सरल नहीं रहती। यही जीवन के साथ भी है। सरल रहने तक मानव जीवन सम्यक अर्थों में वास्तविक जीवन बना रहता है।

ISBN: 978-81-966699-2-8

ईश्वर :

परमेश्वर वह सर्वोच्च परालौकिक शक्ति है, जिसे इस संसार का सृष्टा और शासक माना जाता है। हिन्दी में ईश्वर को भगवान, परमात्मा या परमेश्वर भी कहते हैं। अधिकतर धर्मों में परमेश्वर की परिकल्पना ब्रह्माण्ड की संरचना करने वाले से जुड़ी हुई। ईश्वर सर्वव्यापी है, मानो तो संसार मे हर जगह, कण–कण में ईश्वर है।

ईश्वर एक विश्वास है, आशा है, मन है, शांति भी है। ईश्वर, अल्लाह, परवरदीगार, परमात्मा, यहोवा भगवान एक ही तो है। बस भाषा का फर्क है। हम सब उसकी प्रार्थना करें जिसने पूरी दुनिया बनाई, जो पूरी सृष्टि का मालिक हैं, पालनहार है उसकी ईबादत प्रार्थना करें। हम सब अपने–अपने तरीके से, सच्चे मन से, दिल से, शरीर से, आत्मा (रूह) से सच्चे ईश्वर से प्रार्थना (इबादत) करें। उससे जिसने हम सबको बनाया। अपने बच्चों को कहो हमें ईश्वर से प्रार्थना (ईबादत) अवश्य करनी होगी। कोई धार्मिक स्थल, कोई धर्म पसंद ना हो तो अपने अपने तरीके से प्रार्थना (ईबादत) करो। सच्चे मन और दिल से प्रार्थना करो। इन्सानों की ना सुनो। प्रार्थना (ईबादत) स्वीकार करना हमारे मालिक के हाथ में है। पूरी सृष्टि के मालिक सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। सब उसके हाथ में है, इसलिए इन्सान की ना सुनो।

समाज :

समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक वृहद समूह को कहते हैं। जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। समाज लोगों का ऐसा समूह होता है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूहों से काफी कम मेलजोल रखता है। किसी समाज के आने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति परस्पर स्नेह तथा सहृदयता का भाव रखते हैं। दुनिया के सभी समाज अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए अलग–अलग रस्मों–रिवाजों का पालन करते हैं।

समाज की विशेषताएँ

समाज की कतिपय विशेषताएँ निम्नलिखित हैं, जिन्हें सामान्यतया सभी समाजशास्त्री स्वीकार करते हैं–

ISBN: 978-81-966699-2-8

- एक से अधिक सदस्य
- वृहद संस्कृति
- क्षेत्रीयता
- सामाजिक संबंधों का दायरा
- श्रम विभाजन जिला में समाज सेवा हेतु प्रमाण चाहिए किशी की मदद कर खातिर
- सामजिक आपसी सहयोग
- सामुहिक कार्य

समाज के विभिन्न रूप

समाज के कुछ रूप निम्नलिखित हैं–

(1) पूर्वी समाज तथा पश्चिमी समाज

(2) पूर्व–औद्योगिक समाज (शिकारी समाज, पशुपालक समाज, उद्यान–समाज, कृषि समाज, सामन्तवादी समाज), औद्योगिक समाज, तथा उत्तर–औद्योगिक समाज

(3) सूचना समाज तथा ज्ञान समाज

(4) कुछ शैक्षणिक, व्यावसायिक, और वैज्ञानिक संघ अपने आप को 'समाज' (सोसायटी) कहते हैं, जैसे अमेरिकी गणितीय समाज, रॉयल सोसायटी आदि

(5) कुछ देशों में, कभी–कभी व्यापारिक इकाइयों को भी 'समाज' कहा जाता है, जैसे कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी

गाँधीजी के आर्थिक विचार

गांधीजी के आर्थिक विचार निम्नलिखित हैं :

1. पूंजीवाद का विरोध गांधीजी आर्थिक क्षेत्र में प्रचलित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करते है और समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना पर बल देते है। ...
2. औद्योगीकीकरण का विरोध ...
3. कुटीर उद्योगों का समर्थन ...

ISBN: 978-81-966699-2-8

4. अपरिग्रह का सिद्धान्तः ...
5. वर्ग सहयोग पर बलः ...
6. संरक्षण या ट्रस्टशिप का सिद्धान्त

गांधीजी के राजनीतिक विचार

गांधीजी और सत्य– गांधीजी के लिए ईश्वर और सत्य में कोई अन्तर नहीं है। उनके लिए ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। गांधीजी के धर्म का आधार भी सत्य एवं अहिंसा है।

गांधीजी और अहिंसा – गांधीजी का समस्त दर्शन सत्य और अहिंसा के पवित्र स्तम्भों पर टिका हुआ है। गांधीजी के अनुसार अहिंसा के बिना सत्य अपूर्ण है। वे दोनों एक ही हैं। गांधीजी के अनुसार बुराई का विरोध हिंसा के स्थान पर आत्मिक शक्ति (अहिंसा) के द्वारा करना चाहिए। गांधीजी सत्य और अहिंसा के महान् पुजारी थे। 'Young India' में उन्होंने लिखा है कि ''अहिंसा मेरा ईश्वर है और सत्य मेरा ईश्वर है। जब मैं अहिंसा की खोज करता हूँ, तो सत्य कहता है कि इसे मेरे द्वारा प्राप्त करो।'' गांधीजी ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन अहिंसा का पालन करना बताते हैं।

गांधीजी के प्रमुख सामाजिक विचार निम्नलिखित है–

- अस्पृश्यता का निवारण गांधीजी ने भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत या अस्पृश्यता का विरोध किया और ये कहा कि इससे समाज पतन की ओर अग्रसर हो रहा है मानवीय समाज का गम्भीर दोष है।
- वर्ण व्यवस्था का समर्थन
- नारी सुधार
- बुनियादी शिक्षा
- अहिंसा पर आधारित समाज

ISBN: 978-81-966699-2-8

ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी के शब्दों में

आर्थिक **समानता अहिंसक स्वाधीनता की असली कुंजी है**

ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसे कोई चीज जमा करके रखने की जरुरत नही। वह हर दिन सृष्टि करता है। इसलिये मनुष्य को भी सिद्धांततः आज की ही फिक्र करनी चाहिये और कल की चिंता में चीजें जमा करके नही रखनी चाहिये। अगर लोग आमतौर पर इस सच्चाई को अपने जीवन में उतारे तो वह कानूनी बन जायेगी और ट्रस्टीशिप एक कानूनी संस्था हो जायेगी। मैं चाहता हूं कि यह चीज दुनिया को हिंदुस्थान की एक देन बन जाये। फिर कोई शोषण नहीं होगा।

हर चीज ईश्वर की है

बरसों पहले मेरा जो विश्वास था। वही आज भी है कि हर चीज ईश्वर की है और ईश्वर के द्वारा मिलती है। इसलिये वह उसकी पूरी प्रजा के लिये है, किसी एक खास इंसान के लिये नही। जब इंसान के पास उसके मुनासिब हिस्से से ज्यादा होता है तो वह उस हिस्से का प्रभुकी प्रजा के लिये ट्रस्टी बन जाता है।

मै अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र के बीच कोई सुस्पष्ट या अन्य प्रकार का भेद नहीं करता। वह अर्थशास्त्र अनैतिक और इसलिये पाप युक्त है जो किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्र के नैतिक कल्याण को क्षति पहुँचाता हो। तद्नुसार वह अर्थशास्त्र पाप युक्त है जो यह अनुमति देता है कि एक देश दूसरे देश को लूट ले। शोषित श्रम द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को खरीदना और उनका इस्तेमाल करना पाप युक्त है।

जो अर्थशास्त्र नैतिक मूल्यों की अनदेखी अथवा उपेक्षा करता है, वह झूठा है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अहिंसा के नियम की प्रयुक्ति का अर्थ कम से कम इतना तो है ही कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में नैतिक मूल्यों को एक विचारणीय तत्व माना जाये।

किसी ने यह कभी भी नहीं कहा है कि मनुष्य को पीसने वाली गरीबी से नैतिक अधःपतन के सिवा दूसरा कुछ घटित हो सकता है। हर मनुष्य को जिंदा रहने का हक है, इसलिए खुद का

ISBN: 978-81-966699-2-8

पोषण करने का तथा जरुरत भर वस्त्र तथा मकान प्राप्त करने का भी हक है। इस सादी सी बात के लिये अर्थशास्त्रियों की या कानूनों की मदद की कोई जरुरत नहीं है।

आर्थिक समानता अहिंसक स्वाधीनता की असली कुंजी है। आर्थिक समानता के लिये कार्य करने का मतलब है– पूंजी और श्रम के सनातन संघर्ष को मिटा देना है। इसका अर्थ है, एक ओर तो उन मुठ्ठी भर धनवानों के स्तर को नीचा करना जिनके हाथ में राष्ट्र की अधिकांश संपदा केंद्रित है और दूसरी ओर आधापेट भोजन पर जीवन निर्वाह करने वाले लाखों करोडों लोगों के स्तर को उपर उठाना।

जब तक अमीरों और भूखे पेट रहने को मजबूर करोड़ों गरीब लोगों के बीच का भयंकर अंतर कायम है, तब तक अहिंसक सरकार बनाना स्पष्ट ही असंभव है। नई दिल्ली के प्रसादों और उनके निकट ही खड़ी गरीब मजदूरों की टूटी–फूटी झोंपडियों के बीच जो भारी अंतर है, वह स्वतंत्र भारत में एक दिन भी कायम नही रह सकेगा, क्योंकि उस भारत में तो जितनी सत्ता देश के अमीर से अमीर लोगों के पास होगी उतनी ही गरीबों के पास भी होगी। यदि स्वेच्छा से संपत्ति का त्याग नही किया जाता और जो सत्ता संपत्ति से प्राप्त होती है, उसे खुशी–खुशी नही छोडा जाता तथा संपत्ति का उपयोग मिलजुलकर, सबकी भलाई के लिये नही किया जाता तो निश्चय ही इस देश में खूनी क्रांति आयेगी।

मेरे विचार में भारत और भारत ही क्यों सारी दुनिया का आर्थिक गठन ऐसा होना चाहिये कि उसमें किसी को रोटी कपडे की तंगी न रहे। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिये पर्याप्त काम उपलब्ध होना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित भोजन, रहने को ठीक ठाक मकान, अपने बच्चों की शिक्षा के लिये सुविधाऐं और पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिये।

मै अहिंसक तरीके से और घृणा के विरुद्ध प्रेम की शक्ति के प्रयोग द्वारा लोगों को अपने दृष्टिकोण से सहमत करके आर्थिक समानता स्थापित करुंगा। मै इस बात की प्रतीक्षा नही करुंगा कि पहले सब लोग मेरे दृष्टिकोण के समर्थक बन जाये, बल्कि मैं तो सीधे अपने साथ ही इसकी शुरुआत कर दूंगा।

ISBN: 978-81-966699-2-8

मैं चाहता हूँ कि वे लोग अपने लालच और स्वामित्व की भावना से ऊपर उठे और अपनी दौलत के बावजूद उस स्तर पर उतर आ जायें जिस पर पसीने की कमाई से पेट भरने वाला श्रमिक जीवन निर्वाह करता है। श्रमिक को यह समझना होगा कि धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वामी उससे भी कम है जितना कि वह अपनी संपत्ति अर्थात् काम करने की शक्ति का स्वामी है।

मैं उन व्यक्तियों को जो आज अपने आप को मालिक समझ रहे है, न्यासी के रुप में काम करने के लिये आमंत्रित कर रहा हूं अर्थात् यह आग्रह कर रहा हूँ कि वे स्वयं को अपने अधिकार के बदौलत मालिक न समझे, बल्कि उनके अधिकार की बदौलत मालिक समझे जिनका उन्होंने शोषण किया है।

पूंजी और श्रम में सामंजस्य

अगर मुझे सत्ता प्राप्त होगी तो मै पूंजीवाद को तो अवश्य खत्म कर दूंगा, लेकिन पूंजी को नहीं। जाहिर है कि मै पूंजीपतियों को भी खत्म नही करुंगा। मेरा निश्चित मत है कि पूंजी और श्रम में सामंजस्य स्थापित करना बिल्कुल संभव है।

अहिंसक पद्धति में हम पूंजीपति को नष्ट करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि पूंजीवाद को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। हम पूंजीपति से आग्रह करते हैं कि वह स्वयं को उन लोगों का न्यासी समझे जिनके ऊपर वह अपनी पूंजी के निर्माण, उसकी रक्षा और उसके संवर्धन के लिये निर्भर है।

श्रमिक को भी उसके हृदय परिवर्तन के लिये प्रतिक्षा करने की आवश्यकता नही है। यदि पूंजी में शक्ति है तो श्रम में भी है। शक्ति का प्रयोग विनाश के लिये भी किया जा सकता है और सृजन के लिये भी। दोनों एक–दूसरे पर निर्भर हैं। अपनी शक्ति का अहसास होते ही श्रमिक पूंजीपति का गुलाम होने के स्थान पर उसका सहभागीदार होने की स्थिति में आ जाता है।

वर्ग संघर्ष

मै वर्ग संघर्ष को बल नही देना चाहता। मालिकों को ट्रस्टी बन जाना चाहिये। हो सकता है फिर भी वे मालिक ही बने रहना पसंद करें। उस हालात में उनका विरोध करना और उनसे

ISBN: 978-81-966699-2-8

लडना पड़ेगा। तब हमारा हथियार सत्याग्रह होगा। हम वर्गहीन समाज चाहते हों, तब भी हमे गृहयुद्ध में नहीं फँसना चाहिये। यह भरोसा रखना चाहिये कि अहिंसा वर्गहीन समाज ले आयेगी।

वर्ग संघर्ष भारत की मूल प्रकृति के लिये विजातीय तत्व है और वह, सबके लिये मूल अधिकार और सबके लिये समान न्याय के व्यापक आधार पर, एक प्रकार का साम्यवाद विकसित कर सकती है। मेरी कल्पना का रामराज्य राजा और रंक को एक से अधिकार देता है। आप यह यकीन कर सकते हैं कि मै अपनी पूरी शक्ति और सारा प्रभाव वर्ग संघर्ष को रोकने में लगाऊंगा।

आप कह सकते हैं कि न्यासी पद एक कल्पना है। लेकिन यदि लोग उस पर बराबर विचार करें और उसके अनुरुप आचरण करने की कोशिश करे तो धरती पर जीवन का नियमन आज प्रेम के द्वारा जितना कुछ होता है, उससे कही ज्यादा अंश में होगा। पूर्ण न्यासीवाद यूक्लिड की एक बिंदु की परिभाषा की भांति एक काल्पनिक वस्तु है और उतनी ही अप्राप्य है। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम उसके जरिये पृथ्वी पर किसी अन्य तरीके की अपेक्षा इस तरीके से समानता स्थापित करने की दिशा में ज्यादा दूर जा सकेंगे।

व्यक्तिगत रुप से मै जो पसंद करूगा, वह राज्य के हाथ में सत्ता का केंद्रिकरण नही, बल्कि न्यासीवाद का व्यापकीकरण होगा। कारण यह कि मेरी राय में, राज्य की हिंसा के मुकाबले निजी स्वामित्व की हिंसा कम हानिप्रद होती है। तथापि, यदि टाली न जा सकती हो तो मै न्यूनतम राज्य स्वामित्व का समर्थन करुंगा।

मै राज्य की बढ़ती हुई शक्ति को भय के साथ देखता हूँ। क्योंकि वह प्रत्यक्षतः शोषण को कम करते हुये भी व्यक्तिगत प्रयत्नों को नष्ट करके मानव जाति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुँचाती है। यह व्यक्तिगत प्रयत्न ही मानव जाति के प्रयत्नों की प्रगति की जड़ या बुनियाद है। हम ऐसे कई मामलों से परिचित हैं जबकि मनुष्य ने न्यासीवाद को स्वीकार किया है, लेकिन एक भी ऐसा उदाहरण हमारे सामने नहीं है जिसमें राज्य वस्तुतः गरीबों के लिये जिया हो।

ISBN: 978-81-966699-2-8

राष्ट्र संपत्ति को व्यक्तियों को सुपुर्द किये बिना अपना स्वामित्व रख ही नही सकता। वह केवल उसके न्यायोचित और पक्षपात रहित उपयोग की गारंटी करता है और उन सभी दुरुपयोगों को रोकता है जो संभाव्य है। अपनी संपत्ति को रैयत की भलाई के लिये अपने पास रखने में आपको कोई आपत्ति हो सकती है, मै ऐसा नही सोचता। रैयत केवल शांति और स्वतंत्रता से रहना चाहती है और इससे बडी उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। यदि संपत्ति का उसके लिये उपयोग करते है तो उस पर आपके अधिकार से उसे कोई ईर्ष्या नही होगी।

राज्य का अधिकार निजी स्वामित्व से बेहतर है। लेकिन वह भी हिंसा के आधार पर आपत्तिजनक है। यह मेरा दृढ विश्वास है कि राज्य पूंजीवाद को हिंसात्मक तरीके से दबाता है तो वह स्वयं हिंसा के चंगुल में फंस जायेगा और अहिंसा का विकास करने में सर्वथा विफल रहेगा। राज्य हिंसा का सघन और संगठित रुप में प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति के पास आत्मा होती है, लेकिन राज्य एक आत्माहिन यंत्र है, इसलिये उस हिंसा से उसे कभी मुक्त नही किया जा सकता जिस पर कि उसका अस्तित्व ही निर्भर करता है। इसीलिये मै न्यासीवाद के सिद्धांत को ज्यादा पसंद करता हूँ।

राज्य वस्तुतः उन चीजों को अपने हाथ में ले लेगा और मैं समझता हूँ कि यदि वह न्यूनतम हिंसा का इस्तेमाल करता है तो उसे ठीक समझा जायेगा। लेकिन यह भय तो बराबर ही है कि राज्य अपने से भिन्न मत रखने वालों के विरुद्ध बहुत अधिक हिंसा का प्रयोग करें। यदि संबधित व्यक्ति न्यासियों की भांति व्यवहार करें तो मैं वस्तुतः बहुत प्रसन्न होऊंगा। लेकिन यदि वे इसमें विफल हो तो वैसी दशा में मेरा विश्वास है कि हमें राज्य की सहायता से न्यूनतम हिंसा के जरिये उन्हें उनकी संपत्ति से वंचित करना होगा। प्रत्येक निहित स्वार्थ की जांच होनी चाहिये और आवश्यकता नुसार मुआवजे या बिना मुआवजे के संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया जाना चाहिये।

यदि भारत के पूंजीपति अपना सारा कौशल धन संपत्ति खडी करने में न लगाकर उसे परमार्थ की भावना से जनता की सेवा में ही लगाकर, जनकल्याण के संरक्षक बनकर उस विपत्ति को टालने की कोशिश नही करेंगे तो इसका अंत यही होगा कि या तो वे जनता को नष्ट कर डालेंगे या जनता उनको नष्ट कर देगी।

ISBN: 978-81-966699-2-8

सारांश (Summary)

- इस इकाई में सम्मिलित तथ्यों में प्रमुख तथ्य यह है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी को समस्या को धैर्यपूर्वक सुनता है और किस प्रकार से इसकी समस्या को आधिकारिक संतोष के साथ सुलझाता है। वह किस प्रकार अपने व्यावसायिक ज्ञान के द्वारा समस्या के कारणों की खोज करता है और उसका निदान एवं उपचार करता है। साथ ही आप यह भी समझ सकेंगे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान में गांधीवादी दृष्टिकोण किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकेगा।

अवधारणात्मक शब्दों का अर्थ (Meaning of Conceptual terms)

- **समाजकार्य प्रक्रिया** – समाजकार्य में सेवार्थी की समस्या समाधान के समय प्रक्रिया का पालन किया जाता है जिसमें समस्या के कारणों की खोज, उसका मूल्यांकन, व्यक्तित्व का मूल्यांकन, सामाजिक पर्यावरण का मूल्यांकन, व्यक्तित्व पर प्रभाव, समस्या उत्पत्ति के प्रमुख कारक, समस्या उपचार के उपाय पर कार्य किया जाता है।

- **सामाजिक पर्यावरण** – सामाजिक वातावरण विभिन्न समस्याओं के विकास पर आधारित है जो समय के साथ बदलती रहती है। विभिन्न जन–समूहों के रीति रिवाजों से सामाजिक पर्यावरण तथा विकास पर अलग–अलग असर पड़ता है। इसके परिवार, पड़ोस, मित्र समूह, स्कूल, खेलकूद समूह, समुदाय के लोग सभी का योगदान होता है।

- **समाजकार्य में समस्या** – व्यक्ति तथा पर्यावरण के बीच होने वाली अन्तःक्रिया में आने वाले बाधाएँ समस्या का प्रमुख कारण होती है। व्यवहार तथा दृष्टिकोण दोनों ही सामाजिक शक्तियों द्वारा प्रभावित किए जाते हैं। इसलिए सामाजिक शक्तियों में हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है।

- **ट्रस्टीशिप** – महात्मा गाँधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति एकत्रित करता है, उसे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु संपत्ति के उपयोग करने का अधिकार है। शेष सम्पत्ति का प्रबंध उसे एक ट्रस्टी की हैसियत से देखभाल कर समाज कल्याण पर खर्च करना चाहिए।

- **स्वदेशी** – स्वदेशी का अर्थ है, वह वस्तुएँ या सामग्री जो हमारे भारत देश में निर्मित होती है। स्वेदेशी कहलाती हैं। देशी वस्तुएँ जब हम लोग खरीदते हैं तो वह पैसा हमारे

ISBN: 978-81-966699-2-8

देश में ही रहता है जिससे देश तेजी से विकास करता है और देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।

स्व–मूल्यांकन (Self-Assesment)

- **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long answer type questions)**
  1. वैयक्तिक सेवा कार्य में मूल्यांकन को लिखें।
  2. वैयक्तिक सेवा कार्य में, सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका लिखें।
  3. गाँधीवादी विचार धारा क्या है?
  4. मनोसामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति के प्रमुख कारकों को लिखें।
  5. गाँधीजी के रचनात्मक व्यक्तियों को लिखें।
- **लघु उत्तरीय प्रश्न (Short answer type questions)**
  1. समाज कार्य में निदान को लिखें।
  2. सामूहिक सेवा कार्य में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका लिखें।
  3. सामुदायिक संगठन कार्य में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका लिखें।
  4. सर्वोदय दर्शन के बारे में लिखें।
  5. गाँधी जी के रचनात्मक विचारों को लिखिए।
- **अति लघुउत्तरीय/वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Very short/ Objective type questions)**
  1. 'ट्रस्टीशिप' क्या है?
  2. ग्राम स्वराज के बारे में लिखें।
  3. भूदान आन्दोलन के बारे में लिखें।
  4. सम्पूर्ण क्रान्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
  5. गाँधीजी के आर्थिक विचारों को स्पष्ट कीजिए।

प्रदत्त कार्य (Assignment)

1. आप अपने गाँव में व्याप्त सामाजिक समस्याओं का वर्गीकरण करें।
2. आप अपने गाँव में हाईस्कूल में अध्ययनरत किशोरों की मानसिक समस्याओं के समाधान हेतु किस प्रकार परामर्श देंगे।

ISBN: 978-81-966699-2-8

3. आपके गाँव में बाल–विवाह रोकने में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका का उल्लेख करें।
4. अपने गाँव की आशा बहु की भूमिकाओं का उल्लेख करें।
5. आपके क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य केन्द्र में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका का उल्लेख करें।
6. अपने गाँव की ग्राम पंचायत की बैठकों को नियमित रूप से सम्पन्न कराने में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका लिखें।
7. गाँधी जी के जीवन पर जान रस्किन की पुस्तक का क्या प्रभाव पड़ा। समीक्षा करें।
8. टालस्टाय की पुस्तक 'द किंगडम ऑफ गाड विदिन यू' का महात्मा गाँधी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? लिखें।

संदर्भ (References)

मुद्रित संदर्भ :

- महात्मा गाँधी – ग्राम स्वराज, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद–14।
- गाँधीजी – मेरे सपनों का भारत, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद–14।
- गाँधीजी – सत्य के प्रयोग, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद–14।
- कि. घ. मशरूवाला – गाँधी विचार दोहन, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद–14।
- पाण्डेय हरिलाल – गाँधी, नेहरू एवं टैगोर, प्रयोग पुस्तक भवन, युनिवर्सिटी रोड, प्रयाग (उ. प्र)।
- सिंह डा. कीर्ति, पाण्डेय डा. बालेश्वर – समाजकार्य के नए आयाम, भारत बुक सेंटर, लखनऊ
- पाण्डेय डा. बालेश्वर, शुक्ला डा. स्वाती – समाजकार्य एक समग्र दृष्टि, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

वेब संदर्भ :

- https://hi.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF